

कामकाजी बच्चों के पुनर्वास
के लिए नीति और कार्यक्रम
और
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं
के कार्यान्वयन के लिए पुस्तिका

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

कामकाजी बच्चों के पुनर्वास
के लिए नीति और कार्यक्रम
और
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं
के कार्यान्वयन के लिए पुस्तिका

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

© श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, २००६

प्रतिलिपियों की संख्या: ११००

पुनर्मुद्रण: २०१०

केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मुद्रित,
नॉर्थ अंबाज़ारी रोड,
नागपुर - ४४००३३,
श्रम और रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार
नई दिल्ली की ओर से,
और निखिल इंटरप्राइज़ेज,
अभयंकर नगर, नागपुर में मुद्रित

विषय - सूची

प्राक्कथन

अध्याय I

विहंगावलोकन

अध्याय II

बाल श्रम पर नीति

अध्याय III

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
(एनसीएलपी) योजना

अध्याय IV

एनसीएलपी के प्रचालन के
लिए दिशानिर्देश

अध्याय V

वित्तीय मामले

परिशिष्ट १ (समझौता बन्ध)

परिशिष्ट २

परिशिष्ट ३

परिशिष्ट ४

परिशिष्ट ५

अनुलग्नक - क (बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम,
१९८६ और नियम)

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) नियम १९८८

परिशिष्ट (बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम, १९८६)

अनुलग्नक - क (अनुसूची)

अनुलग्नक - ख (१०.१२.१९९६ के अपने फैसले में उच्चतम
न्यायालय के निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ)

विषय - सूची

अनुलग्नक - ग	(राज्यवार एनसीएलपी जिलों की सूची)
अनुलग्नक - घ	(रोजगार निर्माण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर कुछ चालू प्रमुख योजनाएँ)
अनुलग्नक - ङ	(एनसीएलपी समाज के जिलों की मॉडल संरचना)
अनुलग्नक - च	(ए- सोसायटी परियोजना का बजट)
अनुलग्नक - छ	(प्रत्येक ५० बच्चों के विशेष स्कूल के लिए वार्षिक बजट)
अनुलग्नक - ज	(समाप्त अवधि के लिए वार्षिक प्रगति रिपोर्ट)
अनुलग्नक - झ	(समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट.....)
अनुलग्नक - ञ	(नई राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एनसीएलपी) स्थापित करने के लिए चरण)
अनुलग्नक - ट	(राष्ट्रीय बाल श्रम संरक्षण की योजना संशोधित - २००३)

प्राक्कथन

बच्चे, जो हमारे समाज के एक बड़े हिस्से का गठन करते हैं, अखंडनीय रूप से हमारी सम्पदा और हमारा भविष्य हैं। इसलिए, यह राष्ट्र के, सामाजिक और आर्थिक दोनों, विकास के स्तर का एक सूचकांक है, कि उनकी किस प्रकार देखभाल की जाती है तथा उनका किस प्रकार पालन-पोषण किया जाता है। बच्चे का प्राकृतिक स्थान पाठशाला में तथा खेल के मैदान में है। हालाँकि, बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो, दुर्भाग्य से, उनके हर्षित विकास को सुनिश्चित करने वाला विधिसम्मत स्थान प्राप्त करने की बजाए, गरीबी और पारिवारिक आय की पूर्ति करने के प्रयोजन हेतु काम करने की अज्ञानता के बोझ से दबे हुए हैं। ये बच्चे, जिन्हें बाल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, देश के पाठशाला नहीं जाने वाले सभी बच्चों में से एक काफी बड़ी संख्या का गठन करते हैं।

यद्यपि हमारा संविधान में बच्चों के हित की सुरक्षा करने के स्पष्ट प्रावधान हैं जिनमें यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो और जीने हेतु काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, तब भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में बाल श्रम की समस्या अभी भी काफी हद तक प्रचलित है। जबकि बाल श्रम के प्रचलन के लिए गरीबी और शिक्षा की कमी मुख्य कारण हैं, तब भी इस समस्या को बनाए रखने के लिए अन्य कई सामाजिक-आर्थिक कारक हैं।

इस समस्या की बहुमुखी प्रकृति को महसूस करते हुए, सरकार ने देश से बाल श्रम का चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन करने के लिए एक समग्र और बहुआयामी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे खतरनाक व्यवसायों में कार्य करने वाले बच्चों से आरम्भ किया गया है और उत्तरोत्तर अन्य व्यवसायों में कार्य करने वाले बच्चों को भी आवृत्त किया जाएगा। १९८७ में घोषित 'बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति' के आधार पर, देश के कुछ चिह्नित बाल श्रम प्रकोप वाले जिलों में काम करने वाले बच्चों का पुनर्वास करने के लिए सरकार ने १९८८ में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) का शुभारम्भ किया। कार्यनीति में इन बच्चों को काम से वापस हटाना, उन्हें सेतु-शिक्षा और व्यावसायिक कौशल तैयार करने हेतु एक सामर्थ्यकारी वातावरण प्रदान करने के लिए न्यूनतम ३ वर्षों की अवधि के लिए विशेष पाठशालाओं में रखना, मध्याह्न-भोजन तथा एक मासिक वजीफा शामिल था। एनसीएलपी कार्यक्रम ९ जिलों के साथ आरम्भ हुआ था और, उसके बाद, देश में जिलों की एक बड़ी संख्या को आवृत्त करने के लिए इसकी व्याप्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा चुका है। वास्तव में, इस कार्यक्रम को प्रमुख जोर दिसम्बर, १९९६ में, एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से

मिला। शीर्ष न्यायालय ने देश से लक्षित तरीके से बाल श्रम का उन्मूलन करने हेतु केन्द्र और साथ ही राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए।

केन्द्र सरकार अपने प्रयासों में अत्यन्त गंभीर है और इस दिशा में कई अग्र-सक्रिय उपाय कर रही है। श्रम मंत्रालय में बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम एक अकेला सबसे बड़ा कार्यक्रम है तथा जिस पर मंत्रालय का आधा बजट लगता है। एनसीएलपी योजना के अधीन आवृत्त जिलों की संख्या को १०वीं योजना के दौरान १०० से २५० बढ़ाया जा चुका है। योजना के अधीन आवृत्त किए गए जिलों की संख्या में बड़ी वृद्धि के अलावा, इस दिशा में सरकार की प्राथमिकता १०वीं योजना के दौरान बजटीय आवंटन में लंबी छलांग में भी स्पष्ट होती है। ९वीं योजना में रु. १७८ करोड़ के खर्च के विरुद्ध सरकार ने १०वीं योजना के दौरान योजना के लिए रु. ६०२ करोड़ आवंटित किए हैं।

देश भर में लगभग पन्द्रह वर्षों तक योजना को कार्यान्वित करने के अनुभव के आधार पर, १०वीं योजना के दौरान एनसीएलपी योजना के लिए संशोधित कार्यनीति तैयार की गई थी। इसमें, प्राथमिक रूप से, विद्यमान विशिष्टताओं से ऊपर कुछ अतिरिक्त विशिष्टताएँ शामिल की गई थी जैसे कि किसी चिकित्सक का प्रावधान, मास्टर प्रशिक्षक, नियमित प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा बाल श्रम सर्वेक्षण। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नामांकित बच्चों की क्षमताओं का और आगे निर्माण करना और साथ ही विशेष पाठशालाओं में शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना था। संशोधित कार्यनीति की अन्य अति-महत्वपूर्ण विशिष्टता बाल श्रम वाले परिवार को निरंतर लाभ प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास विभाग इत्यादि जैसे अन्य विभागों का विकास योजना के साथ अभिसरण पर और अधिक जोर होना था। यह महसूस किया जाता था कि योजना के अधीन प्रत्यक्ष और मूर्त परिणामों को लाने में केवल एक बहुआयामी आक्रमण ही सहायता कर सकता है।

निगरानी अभ्यास के हिस्से के रूप में, जनवरी-फरवरी, २००५ के दौरान श्रम मंत्रालय ने देश भर में जिला कलेक्टरों के क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया था। इन सम्मेलनों ने एनसीएलपी जिलों के कलेक्टरों के साथ आमने-सामने की बातचीत का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया, जो जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन सम्मेलनों के दौरान संशोधित दिशानिर्देशों, नए जिलों में योजना के प्रचालन में चरणों, अभिसरण की आवश्यकता इत्यादि सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। जिला कलेक्टरों ने भी क्षेत्र स्तर पर योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कई सुझाव दिए।

एनसीएलपी योजना के क्रियान्वयन के लिए पहले वाला मैनुअल १९९८ में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद से, कई विकास हुए हैं, जिन्हें विभिन्न स्टैकहोल्डरों के साथ साझा किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, यह उचित महसूस किया गया था कि हमें अपने क्रियान्वयन करने वाले साझेदारों, और साथ ही अन्य स्टैकहोल्डरों के तुरन्त संदर्भ के लिए मार्गनिर्देशों और कार्यनीतियों के वर्तमान सेट के साथ नया मैनुअल प्रकाशित करना चाहिए।

मैं उन सभी के लिए प्रशंसा की अपनी गहन भावनाओं को रिकॉर्ड करना चाहूंगा जो इस मैनुअल को प्रकाशित करने में मददगार रहे थे। मुझे आशा है, कि यह देश से बाल श्रम उन्मूलन के लक्ष्य की ओर कार्य करने वाले कार्यक्रम क्रियान्वित करने वालों, नीति निर्माताओं, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उपयोग सिद्ध होगा।

नई दिल्ली
१०.९.२००५

(के. चंद्रमौली)
संयुक्त सचिव
श्रम और रोजगार मंत्रालय

अध्याय-1

विहंगावलोकन

बाल श्रम का उन्मूलन भारत सरकार की बड़ी चिंता और प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। बच्चों के लिए अनिवार्य सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा और साथ ही उनके स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए अहितकर आर्थिक गतिविधियों में सम्बद्धता से बच्चों को बचाने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में प्रासंगिक प्रावधानों का समझदारी के साथ समावेश किया है। अगस्त १९७४ में अपनाए गए, बच्चों पर राष्ट्रीय नीति संकल्प ने उपरोक्त विचारों को और आगे विकसित किया। १४ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और साथ ही उपेक्षा, क्रूरता और शोषण के विरुद्ध बच्चों की रक्षा करने के लिए यह एक नीतिगत ढाँचे को व्यक्त करता है।

गुरुपदस्वामी समिति, जिसने दिसम्बर, १९७९ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने बाल श्रम की समस्याओं की विस्तार से जाँच की थी। इसने 'बाल कार्य' 'बाल श्रम' के मध्य अन्तर को स्पष्ट किया। समिति ने जोर दिया कि बाल श्रम से व्यवहार करने वाले भविष्य के सभी कार्यों में, 'बाल कार्य' 'बाल श्रम' के मध्य मूलभूत अन्तर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी। इसने कहा कि "किसी बच्चे के मामले में श्रम एक परम बुराई हो जाती है जब उसे अपनी शारीरिक क्षमताओं से परे कार्य करने की आवश्यकता होती है, जब नियोजन के घंटे उसकी शिक्षा, मनोरंजन और आराम के साथ हस्तक्षेप करते हैं, जब उसकी मजदूरी किए गए कार्य की मात्रा के अनुरूप नहीं होती हैं, तथा जब व्यवसाय जिसमें वह लगा है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालता है, अर्थात् जब उसका शोषण किया जाता है।"

बाल श्रम का मुद्दा लीटन (जीके) जैसे कई शोधकर्ताओं द्वारा भी संबोधित किया जा चुका है। उसके अनुसार, ऐसे देश में जहाँ कार्यबल का एक प्रमुख अनुपात अभी भी कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों में नियोजित है, बच्चे प्रायः किसी फार्म घर के आवश्यक हिस्से के रूप में कार्य करते हैं अथवा सहायक कामों में माता-पिता की सहायता करते हैं। देश के इस दिए गए सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में, 'बाल श्रम' और 'बाल कार्य' के मध्य स्पष्ट अन्तर किए जाने की आवश्यकता है। या तो फार्म में अथवा परिवार-केन्द्रित सेवा प्रतिष्ठानों में तथा घरेलू कारीगरी में किसी हल्के और उचित रूप से संरचित कार्य जो उन्हें अवकाश, खेलने तथा शिक्षा के लिए पर्याप्त समय अनुमत करता है, में शामिल बच्चे बाल श्रमिक नहीं हैं किन्तु 'बाल कार्य' कर रहे हैं। 'बाल कार्य' जो कि 'बाल श्रम' के भिन्न है, सामाजीकरण की अधिक प्रकृति का है

तथा कौशल को ग्रहण करने में सक्षम बनाता है जो बाद में उनके लिए उपयोगी हो सकता है। दूसरी ओर 'बाल श्रम' ऐसा काम है जो किसी बच्चे के समग्र शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को अवरुद्ध करता है।

श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी की अध्यक्षता वाली बाल श्रम पर समिति ने बाल श्रमिकों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए विशद संवैधानिक प्रावधानों के एक समुच्चय की अनुशंसा की है। समिति ने महसूस किया कि उद्देश्यपूर्ण और कार्य-उन्मुख शिक्षा स्कूलों में बच्चों को रोके रखने में सुधार करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। हाल ही के संविधान संशोधन (८६वां संशोधन) के पश्चात् ६-१४ वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है। संशोधन इस बिन्दु को सुदृढ़ करता है कि किसी बच्चे के चौदह वर्ष पूरा करने तक शिक्षा परम आवश्यक है और अवेचनीय (नॉन-नेगोशिएबल) है।

बॉक्स १ संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद २१ क

शिक्षा का अधिकार

सरकार द्वारा ६ से १४ साल की उम्र के सभी बच्चों को, सरकार द्वारा कानून के ज़रिए निर्धारित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।

अनुच्छेद २४

कारखानों, आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध

चौदह साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्टरी या खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद ३९

सरकार द्वारा, विशिष्टतया, अपनी नीति को मज़दूरों के स्वास्थ्य और बल संरक्षण, पुरुष एवं महिलाएँ तथा कम उम्र के बच्चों का शोषण न होने देने और आर्थिक ज़रूरतों के कारण नागरिकों को अपनी उम्र और ताकत के लिए अनुपयुक्त उद्यम में प्रवेश न करने के प्रति निर्देशित करना होगा।

३. संवैधानिक प्रावधानों और बाल श्रम पर नीति बनाने के लिए स्थापित विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के सुसंगत, बच्चों का नियोजन अधिनियम, १९३८ को बदल कर बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६, बनाया गया था। अधिनियम खतरनाक व्यवसायों

और प्रक्रियाओं में १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को भी प्रतिबंधित करना तथा अन्य नियोजनों में बच्चों की कार्य की स्थितियों को विनियमित भी करना चाहता है। अधिनियम की अनुसूची के भाग-ए और बी में सूचीबद्ध (संलग्नक-ए) व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को यह अधिनियम प्रतिबंधित करता है।

४. अधिनियम में बाल श्रम तकनीकी सलाह समिति का प्रावधान भी है, जो अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में अनुवृद्धि पर केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए, तकनीकी विशेषज्ञों का एक निकाय है। समिति में अध्यक्ष और ऐसे अन्य अधिकतम १० सदस्य होते हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। १९९९-२००४ के दौरान, अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध खतरनाक व्यवसायों की संख्या तकनीकी सलाह समिति की अनुशंसाओं पर बढ़ कर ७ से १३ तथा प्रक्रियाओं की संख्या १८ से ५७ हो गई थी।

५. बच्चों को नियोजन के विरुद्ध रक्षा प्रदान करने वाले संवैधानिक और विधायी प्रावधानों की गूंज १९८७ में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में भी पाई गई। नीति ने बाल श्रम के जटिल मुद्दे को एक व्यापक, समग्र और एकीकृत ढंग से संबोधित किया। इस नीति के तहत कार्य योजना बहु-आयामी है तथा इसमें मुख्यरूप से शामिल हैं:

- (i) एक विधायी कार्य योजना
- (ii) बच्चों के परिवारों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना; और
- (iii) बाल श्रम के उच्च सघनता के क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्य योजना।

६. इस नीति के अनुसरण में, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना को क्रियान्वित करता आ रहा है, जो कि एक परियोजना आधारित कार्रवाई कार्यक्रम है। योजना में परियोजना के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए कलेक्टर/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर परियोजना सोसाइटियों की स्थापना के लिए प्रावधान है। परियोजना का लक्ष्य चिह्नित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को विशेष पाठशालाओं के माध्यम से वापस निकालना और उनका पुनर्वास करना है और अन्त में उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य-धारा में लाना है। प्रत्येक विशेष पाठशाला २५० बच्चों को नामांकन प्रदान करती है। प्रत्येक विशेष पाठशाला के लिए दो शैक्षणिक इंस्ट्रक्टर और एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का प्रावधान है। प्रत्येक बच्चे को रु. १०००- प्रति माह का एक वजीफा प्रदान किया जाता है। पैसा बच्चे से बचत खाते में जमा किया जाता है। बच्चे को मुख्य-धारा में लाते समय संचित

पैसा उसे भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, मध्याह्न-भोजन, वोकेशनल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जाँचें योजना के आवश्यक अवयव हैं।

७. कार्यक्रम के तहत, चिह्नित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को वापस निकालने और उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से ७वीं योजना के दौरान १२ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं आरम्भ की गई थी। ये १२ एनसीएलपी आन्ध्र प्रदेश (जगगर्नपेट और मर्कापुर), बिहार (गरवाह), मध्य प्रदेश (मन्दसौर), महाराष्ट्र (ठाणे), उड़ीसा (संभलपुर), राजस्थान (जयपुर), तमिलनाडु (शिवाकाशी) और उत्तर प्रदेश (वाराणसी - मिर्जापुर - भदोई, मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा फिरोज़ाबाद) में थे। बाद में, खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को विशेष पाठशालाओं के माध्यम से वापस निकालने और उनका पुनर्वास करने का एक बड़ा कार्यक्रम १५ अगस्त, १९९४ को शुरू किया गया था।

८. सर्वोच्च न्यायालय ने समादेश याचिका (सिविल) संख्या ४६५/१९८६ में अपने ऐतिहासिक निर्णय दिनांक १० दिसम्बर, १९९६ में खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों को वापस निकालने और उनका पुनर्वास करने के तरीके के बारे में भी कुछ निर्देश भी दिए हैं (संलग्नक-बी)। माननीय न्यायालय ने उस तरीके पर भी निर्देश दिए हैं जिसमें गैर-खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के कार्य करने की स्थितियों कि विनियमित किया और सुधारा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप तथा बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए, १२ चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त ६४ क्षेत्र-आधारित परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। ९वीं योजना के अन्त तक, एनसीएलपी योजना १३ राज्यों में १०० जिलों तक विस्तारित की गई थी।

९. हालाँकि, सरकार के प्रयासों के बावजूद, बाल श्रम की समस्या, जो कि मुख्यरूप से आर्थिक अभाव और निरक्षरता का परिणाम है, अभी भी काफी महत्वपूर्ण रहती है। भारत के महापंजीयक द्वारा २००१ में उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, १९९१ में १.१३ करोड़ की तुलना में हमारे देश में १.२६ करोड़ कार्यरत-बच्चे (५-१४ वर्ष) थे। बाल श्रमिक जनसंख्या का राज्य-वार वितरण दर्शाता है कि देश में उत्तर प्रदेश (०.१९ करोड़) में सर्वोच्च बाल श्रमिक जनसंख्या है, जिसके बाद आन्ध्र प्रदेश (०.१४ करोड़), राजस्थान (०.१३ करोड़) और बिहार (०.१० करोड़) आते हैं। ९० प्रतिशत से अधिक बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और खेतीबाड़ी, कृषि श्रमिक, पशुधन, वानिकी और मत्स्यपालन जैसे सहायक नियोजनों में लगे हैं।

१०. समस्या की भयावहता को ध्यान में रखते हुए, १०वीं योजना में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम और अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए जारी रहेंगे। सरकार ने विद्यमान १०० एनसीएलपी को १०वीं योजना के दौरान जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है।

इसने १५० अतिरिक्त एनसीएलपी को स्थापित करने का भी अनुमोदन कर दिया है। इसलिए, १०वीं योजना में, स्कीम २० राज्यों में २५० जिलों को आवृत्त करेगी। सभी १५० अतिरिक्त जिलों को चिह्नित किया जा चुका है और नए चिह्नित जिलों में योजना को क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रयास पहले से ही किए जा रहे हैं। एनसीएलपी योजना के तहत लिए गए जिलों की सूची संलग्नक-सी पर है। योजना के विस्तार के अलावा, इसकी प्रभावशीलता को सुधारने के लिए इसके मापदण्डों को भी संशोधित और सुदृढ़ किया गया है। तदनुसार, पिछली योजना अवधि में रु. २५० करोड़ की तुलना में १०वीं योजना के लिए परिव्यय भी बढ़ा कर रु. ६०२ करोड़ किया गया है।

११. १०वीं योजना अवधि के दौरान, यह सुनिश्चित किया गया है कि चिह्नित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत सभी बच्चों को जैसा कि परियोजना सोसाइटी द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए हैं वापस निकाला जाए और औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाया जाए। सरकार की प्रतिबद्धता प्रभावी प्रवर्तन और उसके बाद जिला स्तर पर बाल श्रम को मुख्य धारा में इस तरीके से लाना होगी ताकि १०वीं योजना अवधि के अन्त तक खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन प्राप्त किया जाए।

१२. १०वीं योजना में बाल श्रम का उन्मूलन करने पर प्रयासों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ कर सुदृढ़ किया गया है। इसके हिस्से के रूप में, ५-८ वर्ष आयु वर्ग में बाल श्रमिकों को औपचारिक पाठशाला के माध्यम से सीधे मुख्य-धारा में लाया जाएगा। ९-१४ वर्ष आयु वर्ग में कार्यरत बच्चों को एनसीएलपी कि विशेष पाठशालाओं के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य-धारा में लाया जाएगा। इसके अलावा, १०वीं योजना के दौरान, औपचारिक पाठशाला तंत्र को गुणवत्ता तथा संख्या दोनों मामलों में सुदृढ़ किया जाएगा।

१३. उपरोक्त के अलावा, चालू योजनाओं के साथ राज्य, जिला, मण्डल और सूक्ष्म स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास / सामाजिक न्याय इत्यादि जैसे अन्य मंत्रालयों/विभागों का अभिसरण, एक समय-बद्ध तरीके से बाल श्रम के उन्मूलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अध्याय-II

बाल श्रम पर नीति

बाल श्रम गरीबी, आर्थिक अभाव और व्यापक निरक्षरता का परिणाम है। इसे श्रम सशक्तिकरण के निम्न स्तर के साथ-साथ विभाजित श्रम बाजार का परिणाम भी माना जाता है।

सरकार ने बाल श्रम के मुद्दे को चारों ओर से संबोधित किया है और बच्चों को शोषण और खतरनाक स्थितियों में काम करने अधीन कराए जाने जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास खतरे में पड़ता है, से बचाने की आवश्यकता पर उचित किया है। यह इसी आलोक में था कि १९८६ में बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम लागू किया गया था। यह अधिनियम बच्चों का उन गतिविधियों में काम करने का निषेध करता है जो उनके स्वास्थ्य और सामान्य कुशलता के लिए खतरनाक मानी जाती हैं। यह गैर-खतरनाम व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित बच्चों के कार्य करने की स्थितियों का भी विनियमन करता है।

कानून के अतिरिक्त, अगस्त १९८७ में बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति घोषित कि गई थी। नीति ने बाल श्रम के जटिल मुद्दे को एक वृहत और ध्यान-केन्द्रित तरीके से संबोधित किया। इस नीति के तीन प्रमुख घटक हैं:

- (i) विधिक कार्य योजना;
- (ii) बाल श्रमिक के परिवारों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान-केन्द्रित करना; और
- (iii) बाल श्रम की उच्च सघनता के क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्य

नीति के तहत व्यापक दृष्टिकोण १०वीं योजना अवधि सहित बाद की योजना अवधियों में जारी रहा है।

(i) विधिक कार्य योजना:- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६, कारखाना अधिनियम, १९४८ तथा खनन अधिनियम, १९५२ जैसे कई कानूनों के तहत बाल श्रम से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के कठोर और प्रभावी प्रवर्तन पर जोर देती है।

केन्द्र सरकार को अधिनियम की अनुसूची में खतरनाक माने गए व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं को अनुवृद्धि करने सलाह देने के लिए बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम,

१९८६ की धारा ५ के तहत एक बाल श्रम तकनीकी सलाह समिति भी स्थापित की गई है। आरम्भ में अधिनियम ७ व्यवसायों तथा १८ प्रक्रियाओं में १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। हालाँकि, तकनीकी सलाह समिति समय-समय पर खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की इस सूची में अनुवृद्धि करती आ रही है। वर्तमान में अधिनियम की अनुसूची में १३ व्यवसाय तथा ५७ प्रक्रियाएँ शामिल कि गई हैं।

(ii) बाल श्रमिक के परिवारों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान-केन्द्रित करना:- बाल श्रम गरीबी, आर्थिक पिछड़ेपन और निरक्षरता जैसी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का परिणाम है। इसलिए, इस समस्या से निपटने के लिए एक बहु-आयामी आक्रमण की आवश्यकता है। यह इसी संदर्भ में है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला स्तर पर चल रही विकासात्मक योजनाओं का अभिसरण प्राप्त करने के लिए ध्यान-केन्द्रित और सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है। मूल विचार ग्रामीण विकास मंत्रालय की आय सृजन योजना जैसी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं से सहक्रियाओं का आहरण करना है जो पहले से ही देश में अस्तित्व में हैं।

प्राथमिक शिक्षा ६ - १४ वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे के लिए एक मौलिक अधिकार बना दी गई है तथा सरकार द्वारा संविधान में तदनुसार संशोधन किया जा चुका है। इस लक्ष्य को साकार करने में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का पाठशाला प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व द्वारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है। यह गुणवत्ता वाली बुनियादी शिक्षा के लिए देश भर में माँग के प्रति प्रतिक्रिया है। एसएसए, मिशन विधा में सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्ता वाली शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों की जन्मजात क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु एक प्रयास भी है।

योजना का लक्ष्य २०१० तक ६ - १४ वर्ष के आयु वर्ग में सभी बच्चों के लिए उपयोगी तथा प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य पाठशाला के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लिंग के अंतरों को पाटना है। १०वीं योजना के दौरान बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सर्व शिक्षा अभियान की बड़ी योजना के साथ अभिसरित हो जाएगा। आशय यह सुनिश्चित करना है कि ५ - ८ वर्ष के आयु समूह में कार्यरत बच्चों सहित सभी बच्चे एसएसए के माध्यम से औपचारिक पाठशाला शिक्षा प्रणाली के साथ सीधे जुड़ जाएँ। इसलिए, १०वीं योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही विशेष पाठशालाएँ खतरनाक व्यवसायों तथा

प्रक्रियाओं में कार्यरत केवल ९ - १४ वर्ष के आयु समूह के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य-धारा में लाएँगी।

इसके अलावा, आर्थिक पिछड़ापन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे अन्य मामले जो बाल श्रमिकों के परिवारों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं भी संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। एनसीएलपी योजना के तहत आवृत्त बच्चों के माता-पिता को विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आय सृजन कार्यक्रमों में जोड़ना परिवार की आय को सुधारने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा और कार्यरत बच्चों को पाठशाला जाने में सक्षम बनाएगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण तथा आदिवासी कल्याण जैसे विभागों की अन्य चल रही योजनाओं के साथ अभिसरण समयबद्ध तरीके से बाल श्रम के उन्मूलन के उद्देश्य की अंतिम प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित बहुत से कार्यक्रम भी हैं जिन्हें परियोजना सोसाइटियों द्वारा अपने प्रयासों के पूरक के लिए उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में कार्य कर रहे कुछ कार्यक्रमों की सूचियाँ अनुलग्नक - डी पर हैं।

(iii) बाल श्रम की उच्च सघनता के क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्य:- विधायी कार्रवाई तथा सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के अतिरिक्त, बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति, १९८७ ने बाल श्रम के उच्च सघनता के क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई की परिकल्पना भी की है। यह इसी संदर्भ में था कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना शुरू की गई थी। परियोजना का मुख्य जोर परियोजना क्षेत्रों में बाल श्रम की घटनाओं को कम करना था, जिससे बाल श्रम के उन्मूलन को उत्तरोत्तर प्रोत्साहित किया जाए। इसे शुरू करने के लिए, नौ जिलों में नियोजन के विशेष क्षेत्रों पर परियोजना गतिविधियों को लक्षित किया गया था जहाँ बाल श्रम की घटना उच्च थी तथा कार्य की प्रकृति बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थी। ये थे:

- (i) शिवकाशी, तमिलनाडु में माजचिस उद्योग
- (ii) जयपुर, राजस्थान में कीमती पत्थर चमकाने का उद्योग
- (iii) फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग
- (iv) मिर्जापुर - भदोही, उत्तर प्रदेश में हस्तनिर्मित कालीन उद्योग
- (v) अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का उद्योग
- (vi) जगमपेट, आन्ध्र प्रदेश में टाइल उद्योग
- (vii) मरकापुर, आन्ध्र प्रदेश में स्लेट उद्योग

(viii) मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्लेट उद्योग

यह निर्णय लिया गया था कि नौ परियोजना क्षेत्रों में से हर एक में, कार्यनीति, एक पैकेज विकसित करना होगी जिसमें, अन्य बातों के साथ, शामिल होगा:

(i) बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, कारखाना अधिनियम तथा खनन अधिनियम के प्रवर्तन को आगे बढ़ाना;

(ii) बाल श्रमिकों के परिवारों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के समग्र तत्वावधान के तहत आय/रोजगार सृजन कार्यक्रमों के तहत अभिसरित करना;

(iii) खतरनाक रोजगार में संलग्न सभी बाल श्रमिकों तथा गैर-खतरनाक रोजगारों में यथा संभव अधिक बच्चों की औपचारिक/गैर-औपचारिक शिक्षा;

(iv) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की गतिविधियों का बाल श्रमिकों के लाभ के लिए समन्वय करना;

(v) ऐसी विशेष पाठशालाओं में वोकेशनल शिक्षा/प्रशिक्षण के प्रावधान के साथ बाल कामगारों के लिए विशेष पाठशालाओं को स्थापित करना, पूरक पोषाहार, निषिद्ध रोजगारों में से बाहर निकाले गए बच्चों को एक वजीफा, और ऐसी विशेष पाठशालाओं में भाग लेने वाले सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल।

बाल श्रम परियोजनाओं के लिए श्रम मंत्रालय को नोडल एजेंसी पदनामित किया गया था। प्रत्येक परियोजना उस जिले के प्रशासनिक प्रमुख के सामान्य पर्यवेक्षण और दिशानिर्देश के तहत क्रियान्वित की जानी थी जहाँ परियोजना अवस्थित थी, अर्थात्, सम्बन्धित जिलों के कलेक्टर।

निगरानी करने तथा क्रियान्वयन के लिए संस्थागत ढाँचा:

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत विभिन्न बाल श्रम परियोजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, निगरानी तथा मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ सचिव, श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता के अधीन एक केन्द्रीय निगरानी समिति भी स्थापित की गई थी। यह १०वीं योजना में भी जारी है। राज्य सरकारों को भी केन्द्रीय निगरानी समितियों के समान राज्य स्तरीय समितियाँ स्थापित करने की सलाह दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, एनसीएलपी के प्रचालन की गति तथा प्रगति की निगरानी करने के लिए जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर पहल भी की जा चुकी है। परियोजनाओं के प्रचालन, शिक्षकों का चयन तथा प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, कोर्स सामग्री तथा वाचनिक सामग्री, इत्यादि के तरीके के बारे में परियोजना सोसाइटियों को विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

१०वीं योजना अवधि में कार्यनीति:

१०वीं योजना में कार्यनीति जनवरी २००१ में हुए राष्ट्रीय बाल श्रम सम्मेलन के निर्णय तथा '१०वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार द्वारा गठित बाल श्रमिक, बंधुआ श्रमिक, प्रवासी श्रमिक इत्यादि जैसे श्रम बल में कमजोर समूहों पर कार्यरत वर्ग' द्वारा परिभाषित दृष्टिकोण पर आधारित है।

१०वीं योजना में, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए नीति और कार्यक्रम और अधिक ध्यान केन्द्रित, एकीकृत और अभिसरित तरीके से जारी रहेंगे। कार्यनीति का जोर बाल श्रम उन्मूलन प्रयासों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एसएसओ की योजना के साथ जोड़ने पर है। खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करते हुए कार्यरत बच्चों पर सूचना एकत्रित करने हेतु चिह्नित जिलों में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण में परिवार प्रोफाइल शामिल किया जाएगा। गैर-खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों की सूचियों को शिक्षा विभाग के साथ साझा किया जाएगा चाहे वे अपनी विद्यमान स्कीमों के तहत बच्चों को लक्षित करने में समर्थ हों। खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में कार्यरत ५ - ८ वर्ष के बहुत छोटे बच्चों को क्षेत्र में सीधे औपचारिक पाठशाला की मुख्य-धारा में लाया जाएगा।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना के तहत, एनसीएलपी पाठशालाएँ खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में से वापिस निकाले गए ९ - १४ वर्ष के आयु समूह बच्चों को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के अन्दर औपचारिक पाठशालाओं के लिए मुख्य-धारा में लाने, अथवा उन्हें प्रभावी वोकेशनल प्रशिक्षण के साथ जोड़ने के उद्देश्य से लक्षित करेंगी। सभी

बाल श्रम के प्रकोप वाले जिलों को आवृत्त करने के लिए कार्यनीति में एनसीएतपी योजना/विद्यमान परियोजनाओं के पुनर्वास की परिकल्पना की गई है।

१०वीं योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना को संशोधित किया जा चुका है और विद्यमान १०० जिलों के अतिरिक्त रु. ६६२ करोड़ के समग्र परिव्यय के साथ १५० नए जिलों तक विस्तारित किया जा चुका है। अगले अध्याय में योजना की विस्तार से चर्चा की गई है।

उसके अलावा, १०वीं योजना कार्यनीति ने बाल श्रम के प्रकोप वाले जिलों में गुणवत्ता तथा संख्या दोनों अर्थों में औपचारिक पाठशाला तंत्र को इस प्रकार से मजबूत बनाने पर जोर दिया है जो बाल श्रम बल और इसके माता-पिता को एक आकर्षक पाठशाला प्रणाली प्रदान करे ताकि बच्चों के माता पिता का प्रेरक स्तर ऊँचा रहे।

१०वीं योजना ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास के जैसे भारत सरकार तथा संबन्धित राज्य सरकार के अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को बाल श्रम के समयबद्ध तरीके से उन्मूलन के उद्देश्य की अन्तिम प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण के रूप में रेखांकित करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि दी गई अवधि के अन्दर परियोजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सके, यह राज्य सरकारी की प्रभावी भागीदारी के साथ बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६ के प्रवर्तन को आगे बढ़ाने की तथा निगरानी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर भी जोर देती है। प्रिंट, लोक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निरंतर जागरूकता पैदा करने पर भी बराबर महत्व दिया गया है तथा सभी स्तरों पर अपेक्षित प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यशालाओं की आवश्यक बनाती है। यह बच्चों को मुख्य-धारा में लाने के लिए पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर डालती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पाठ्यक्रम का सामना करने में सक्षम हैं तथा जिला स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को लक्षित करती है।

अध्याय-III

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना

बाल श्रम की उच्च सघनता के क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्य की योजना बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति, १९८७ एक आवश्यक घटक है। आरम्भ में, परियोजना-आधारित कार्रवाई के अधीन नौ जिलों में उद्योग-विशिष्ट हस्तक्षेपों को शुरू किया गया था। मुख्य रूप से अलीगढ़ में ताला-निर्माण, मुरादाबाद में पीतल के बरतन उद्योग, फिरोज़ाबाद में काँच उद्योग, जयपुर में रत्नों को काटने और पॉलिश करने, मन्दसौर और मर्कापुर में स्लेट उद्योग तथा शिवकाशी में माचिस उद्योग जैसे पारम्परिक उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। बाद में, सीएल (पी एवं आर) अधिनियम, १९८६ की अनुसूची में दिए गए सभी खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं को ९वीं योजना अवधि के अन्त तक १३ बाल श्रम-प्रकोप वाले राज्यों भर के १०० जिलों को आच्छादित करने के लिए एनसीएलपी कार्यक्रम का विस्तार किया गया था।

१०वीं योजना की कार्यनीति ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्यक्रम को और अधिक ध्यान-केन्द्रित, एकीकृत और अभिसरित तरीके से जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने बाल श्रम प्रकोप वाले सभी जिलों को आच्छादित करने हेतु योजना के विस्तार/विद्यमान परियोजनाओं के पुनर्वास की परिकल्पना की और साथ ही इसे और अधिक प्रभावी और लक्ष्य-उन्मुख बनाने के लिए पूर्व के अनुभव के आधार पर योजना को संशोधित और पुनः-डिजाइन करने को महत्व दिया। कार्यनीति को ध्यान में रखते हुए, १५० नए जिलों को आच्छादित करने हेतु एनसीएलपी योजना का विस्तार किया गया था।

योजना को १३ बाल श्रम-प्रकोप वाले राज्यों में क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों को जाँचने हेतु एक समिति का गठन भी किया गया था। अन्तर-मंत्रालयी समिति ने अवलोकन किया कि एनसीएलपी बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार के पास उपलब्ध शक्तिशाली हस्तक्षेप था। इसकी राय थी कि विभिन्न राज्यों/जिलों द्वारा अपनाए जाने के लिए कोई विशिष्ट मॉडल नहीं दिया जाए क्योंकि राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं और स्थानीय पर्यावरण में विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए इसके लिए हर जगह इसे दोहराया जाना व्यवहार्य नहीं हो सकता है। समिति ने महसूस किया कि सम्बन्धित जिलों को इसके स्थानीय पर्यावरण के अनुसार परियोजना को अनुकूलित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह योजना के प्रचालन में न केवल लचीलेपन का काफी अंश प्रदान करेगा बल्कि योजना के विभिन्न घटकों से संबंधित कई प्रकार के नवाचारों

और नए प्रयोगों के लिए गुंजाइश भी अनुमत करेगा। समिति द्वारा कि गई चर्चाओं के आधार पर, एक संशोधित योजना का तैयार की गई थी। योजना की स्थूल विशिष्टताएँ हैं:

I. लक्ष्य समूह

एनसीएलपी योजना के लिए लक्ष्य समूह (निम्नलिखित में) कार्यरत १४ वर्ष की आयु से नीचे के सभी बच्चे होगा:

- (i) सीएल (पी एवं ए) अधिनियम, १९८६ की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यवसाय और प्रक्रियाएँ; और/अथवा (अनुलग्नक - क)
- (ii) व्यवसाय और प्रक्रियाएँ, जो उनके स्वास्थ्य तथा मानस को प्रतिकूल प्रभावित करते हैं।

बाद की श्रेणी में, हालाँकि, नियोजन की संकटग्रस्तता यथोचित रूप से स्थापित करनी होगी।

II. कार्यक्रम के अवयव

एनसीएलपी कार्यक्रम विशेष पाठशाला की स्थापना, वोकेशनल प्रशिक्षण तथा विभिन्न आय एवं रोजगार सृजन गतिविधियों में माता-पिता की भागीदारी इत्यादि जैसे कई समानान्तर हस्तक्षेपों के माध्यम से बाल श्रम को संबोधित करता है। प्रमुख गतिविधियाँ जो इस परियोजना के तहत की जाती हैं नीचे दी गई हैं:

- (i) खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों को चिह्नित करने हेतु सर्वेक्षण;
- (ii) जागरूकता पैदा करने और सीएल (पी एवं आर) अधिनियम, १९८६ के माध्यम से बच्चों को कारखाने/कार्य पर्यावरण से वापस हटाना;
- (iii) कार्य से वापस हटाए गए बच्चों का परियोजना सोसाइटी द्वारा स्थापित विशेष पाठशालाओं के माध्यम से पुनर्वास;
- (iv) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एसएसए तथा भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अन्य विकासात्मक योजनाओं के साथ अभिसरण।

बाद के अनुच्छेदों में एनसीएलपी कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों को सविस्तार कहा गया है।

(i) खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों को चिह्नित करने हेतु सर्वेक्षण

परियोजना सोसाइटियों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण करना आवश्यक है। ये बच्चे तब परियोजना सोसाइटी के लिए लक्ष्य समूह बनावेंगे। चिह्नित किए गए बच्चों में से, वे जो ५ - ८ वर्ष आयु समूह में हैं उन्हें एसएसए के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य-धारा में लाना होगा। आयु समूह ९ - १४ वर्ष में कार्यरत बच्चों का परियोजना सोसाइटी द्वारा स्थापित विशेष पाठशालाओं के माध्यम से पुनर्वास करना होगा। १०वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, परियोजना सोसाइटियों को कम से कम दो सर्वेक्षण करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, योजना अवधि के दौरान रु. २.७५ लाख की राशि प्रति सर्वेक्षण प्रति जिला प्रदान की गई है।

(ii) जागरूकता पैदा करने और सीएल (पी एवं आर) अधिनियम, १९८६ के माध्यम से बच्चों को कारखाने/कार्य पर्यावरण से वापस हटाना

यह महसूस किया जाता है कि चिह्नित जिलों में सीएल (पी एवं आर) अधिनियम, १९८६ के प्रावधानों का एक अधिक ध्यान-केन्द्रित एवं प्रभावी प्रवर्तन अपने स्थान पर रखे जाने की आवश्यकता है। राज्य और जिला स्तर पर अधिनियम का प्रवर्तन करने हेतु ठोस और गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, प्रवर्तन मशीनरी को उपयुक्त रूप से सक्षम और सक्रिय करना पड़ेगा। इस विषय में अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

प्रवर्तन के अलावा, खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों की नए सिरे से प्रविष्टि को रोकना भी आवश्यक है। इसे बाल श्रम के विरोध में जनता की महत्वपूर्ण चेतना जगाने के द्वारा किया जा सकता है। जोर माता पिता, नियोक्ताओं और कार्यरत बच्चों के संवेदीकरण पर होना चाहिए। इसे उन गतिविधियों का एक साल लम्बा कलेंडर डिजाइन करने के द्वारा जिसमें नुक्कड़ नाटक का मंचन, स्थानीय रेडियो कार्यक्रमों / दीवार पोस्टर के माध्यम से प्रचार शामिल हो सकता है तथा रैलियों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा किया जा सकता है। १०वीं योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक एनसीएलपी के संबंध में रु. १.२५ लाख की राशि प्रति वर्ष का एक बजटीय प्रावधान निर्धारित किया गया है।

यह अपेक्षा की जाती है कि प्रभावशाली अभिज्ञता जनन गतिविधियों और बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के साथ, बच्चों की प्रविष्टि को रोकना तथा साथ ही कार्य / कारखाने के पर्यावरण से बच्चों की प्रभावशाली वापसी सक्षम बनाना संभव होगा।

(iii) कार्य से वापस हटाए गए बच्चों का परियोजना सोसाइटी द्वारा स्थापित विशेष पाठशालाओं के माध्यम से पुनर्वास

आयु समूह ९ - १४ वर्ष में खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों का पुनर्वास परियोजना प्राधिकारी की एक महत्वपूर्ण गतिविधि और उसका एक प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है। परियोजना सोसाइटियों को औपचारिक / गैर-औपचारिक शिक्षा तथा वोकेशनल प्रशिक्षण देने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को उत्साहित करने के द्वारा बाल श्रमिक विशेष पाठशालाएँ (पुनर्वास-सह-कल्याण केन्द्र) स्थापित करना आवश्यक है। विशेष पाठशालाओं में बच्चों को पूरक पोषाहार, वजीफा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ भी प्रदान की जानी हैं।

एनसीएलपी योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु १०वीं योजना में उपरोक्त में से कुछ विशेषताओं में सुधार किया गया है। पोषाहार घटक को दोगुना कर रु. २.५ प्रति बच्चा प्रति दिन से रु. ५ प्रति बच्चा प्रति दिन किया जा चुका है। इसके अलावा, वजीफे के संवितरण की प्रक्रिया को भी संशोधित किया गया है। राशि को बच्चे के बचत खाते में हर महीने जमा किया जाता है, लेकिन लाभार्थी द्वारा आहरण केवल मुख्य धारा में आने के समय किया जा सकता है।

योजना में स्वास्थ्य पहलू और वोकेशनल प्रशिक्षण को बहुत प्रबलित किया गया है। जहाँ तक स्वास्थ्य अवयवों का संबंध है, परियोजना सोसाइटीयाँ अब हर २० पाठशालाओं के लिए एक चिकित्सक को रु. ५,०००/- प्रति माह के एक मानदेय पर शामिल कर सकती हैं। एक ऐसा संस्थागत तंत्र जो विशेष पाठशालाओं में नामांकित बच्चों के प्रभावशाली और नियमित स्वास्थ्य देखभाल को सक्षम बनाता हो यथा स्थान रखने की दृष्टि से इसे नई योजना में शामिल किया गया है। परियोजना सोसाइटियों को विशेष पाठशालाओं में नामांकित हर बच्चे के संबंध में वजन, ऊँचाई, इत्यादि सहित बच्चे के विकास के पहलुओं से सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित करने के लिए एक स्वास्थ्य कार्ड रखने की आवश्यकता होगी। परियोजना सोसाइटीयाँ में शामिल चिकित्सकों को अवश्य, नियमित आधार पर, बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए तथा उन्हें आत्म-स्वच्छता और सफाई के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए। इस अवयव का ध्यान-केन्द्र बच्चों तथा तत्काल समुदाय को उन रोकथाम और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने पर होना चाहिए जो एक स्वस्थ जीवन का आनन्द लेने के लिए किए जा सकते हैं।

एनसीएलपी सोसाइटीयाँ द्वारा संचालित विशेष पाठशालाओं में नामांकित बच्चे ९ - १४ वर्ष के बड़े आयु समूह में हैं और उन्हें पूर्व कार्य अनुभव रह चुका है। इस स्थिति तथा तथ्य में कि उनमें से बहुत से विशेष पाठशालाओं में प्रदत्त पाठशाला की शिक्षा की पूर्णता के बाद

उच्चतर शिक्षा का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, यह महसूस किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के उपरान्त उन्हें एक व्यवहार्य आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु वोकेशनल प्रशिक्षण अवयव को आगे भी मजबूत बनाया जाना चाहिए। आरम्भिक योजना में हर विशेष पाठशाला के लिए एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर को शामिल करने के लिए प्रावधान था। हालाँकि, यह अवलोकन किया गया था कि जिन पेशों (ट्रेड) में प्रशिक्षण दिया जा रहा था वे मुख्य रूप से कढ़ाई, सिलाई आदि जैसे पारम्परिक कौशलों से संबंधित थे। एनसीएलपी पाठशालाओं में प्रदत्त अधिकांश कौशल किसी बाजार सर्वेक्षण पर होने के बजाए जिले में उपलब्ध कौशलों के आधार पर थे। १०वीं योजना के तहत, प्रत्येक विशेष पाठशाला के लिए एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए प्रावधान के अतिरिक्त, क्षेत्र में आर्थिक रूप से व्यवहार्य कौशलों / पेशों (ट्रेड) में वोकेशनल इंस्ट्रक्टरों तथा बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए अब प्रत्येक एनसीएलपी जिले द्वारा एक मास्टर ट्रेनर शामिल किया जा सकता है। प्रत्येक एनसीएलपी जिले के लिए एक मास्टर ट्रेनर को शामिल करने के लिए मानदेय के रूप में रु. ५,०००/- प्रति माह की एक धनराशि का प्रावधान किया गया है।

परियोजना सोसाइटियों को विपणनयोग्य कौशलों को चिह्नित करने तथा एक प्रशिक्षण मॉड्यूल / पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने तथा वोकेशनल इंस्ट्रक्टरों / बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थानीय आईटीआई / अन्य वोकेशनल संस्थानों से मास्टर ट्रेनर/शिल्पकार (क्राफ्ट्समैन) को शामिल करने की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा, परियोजना सोसाइटियों द्वारा संचालित पाठशालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से, १०वीं योजना अवधि के दौरान शैक्षिक इंस्ट्रक्टरों के दो बार प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य के लिए रु. १,५००/- की राशि प्रति शिक्षक प्रति प्रशिक्षण अलग निर्धारित की गई है। किया गया है।

(iv) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एसएसए तथा भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अन्य विकासात्मक योजनाओं के साथ अभिसरण

१०वीं योजना में, बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों को मानव संसाधन मंत्रालय के प्रारंभिक एवं साक्षरता विभाग की एसएसए की योजना के साथ जोड़ा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना है कि आयु समूह ५ - ८ वर्ष में सभी बच्चे एसएसए के साथ एक घनिष्ट और समन्वित प्रयास के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से सीधे जुड़ें।

निरक्षरता, गरीबी तथा सामाजिक पिछड़ापन बाल श्रम के मुख्य कारण हैं। इसलिए, कार्यरत बच्चों के माता-पिता के आर्थिक स्तरों को उठाना आवश्यक है। इसे बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों की जिला स्तर पर क्रियान्वयन के अधीन विभिन्न विकासात्मक / आय सृजन योजनाओं के साथ सहक्रिया करवाने के द्वारा किया जा सकता है। ग्रामीण विकास विभाग, स्व-रोजगार और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत काफी संख्या में माता-पिता को आवृत्त किया जा सकता है। उपरोक्त उद्देश्यों के संदर्भ में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला स्तर पर महत्वपूर्ण गतिविधियों को अभिसरित करने के लिए यथा स्थान ठोस, ध्यान केंद्रित और कठोर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, अन्य विभागों की स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आदिवासी कल्याण तथा श्रमिक जैसी अन्य चालू योजनाओं के साथ अभिसरण समयबद्ध तरीके से बाल श्रम के उन्मूलन के उद्देश्यों की अंतिम प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होगा।

III. परियोजना क्रियान्वयन

समस्त परियोजना को जिले के प्रशासनिक प्रमुख, अर्थात्, जिलाधिकारी/जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। सोसाइटी के सदस्य संबन्धित सरकारी विभागों, पंचायत राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, इत्यादि से लिए जा सकते हैं। जिला एनसीएलपी सोसाइटी की एक आदर्श संरचना अनुलग्नक-घ में दी गई है।

बाल श्रमिकों का पुनर्वास योजना को क्रियान्वित करने वालों की ओर से बहुत सी स्वैच्छिकता और एक उच्च स्तरीय अभिप्रेरण की माँग करता है। इसलिए, विशेष पाठशालाओं का संचालन पंचायती राज संस्थाओं और ट्रेड यूनियनों सहित अच्छे और प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को सौंपा गया है। युवक संघ, वुमेन्स ग्रुप, विलेज क्लब, यूथ क्लब इत्यादि जैसी छोटा क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विशेष पाठशालाओं के संचालन का प्रयोग सफल पाया गया है। पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन वाली क्रियान्वयन एजेंसियों को विशेष पाठशालाओं का संचालन अपनाने के लिए परियोजना सोसाइटियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त संख्या में अच्छे गैर-सरकारी संगठन या क्रियान्वयन एजेंसियाँ उपलब्ध नहीं हैं, तो केन्द्रों को परियोजना सोसाइटी द्वारा केवल अस्थायी उपाय के रूप में संचालित किया जा सकता है। हालाँकि, इस विशेष पाठशालाओं का संचालन उत्तरोत्तर ढंग से गैर-सरकारी संगठनों और अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को दे दिया (पास्ड ऑन) जाना चाहिए। परियोजना गतिविधियों में शामिल

करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की पात्रता के बारे में परियोजना सोसाइटियाँ अपने स्वयं के मानदण्ड बना सकती हैं।

IV. निगरानी और मूल्यांकन

परियोजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। विभिन्न बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण, निगरानी और मूल्यांकन के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर, यूनियन लेबर और इम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर, सभापति (चेयरपरसन) को परियोजना के कामकाज की लगातार समीक्षा करनी चाहिए।

राज्य स्तर पर राज्य के श्रम विभाग (या अन्य पदनामित विभाग) द्वारा बाल श्रम परियोजनाओं के कामकाज की निगरानी और समीक्षा की जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य में बाल श्रम के मुद्दों के लिए राज्य सरकारों से सुरक्षात्मक कानूनी प्रावधानों के प्रवर्तन की देखरेख करने तथा एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। वे बाल श्रमिकों के लाभ के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के समन्वय में सहायक होंगी जो कि राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति का एक आवश्यक अंग है। परियोजनाओं की नियमित निगरानी के अलावा, मध्य-अवधि के सुधारात्मक उपायों को करने तथा साथ ही परियोजनाओं की समग्र प्रभावोत्पादकता का आँकलन करने के लिए आवधिक मूल्यांकनों किए जाने की आवश्यकता है।

कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। इनमें से कुछ नीचे समझाए गए हैं:

- (i) शिक्षा विभाग, एससीईआरटी, डीआईटी, इत्यादि की सहभागिता के माध्यम से एक समान पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु तथा पाठ्य सामग्री।
- (ii) विशेष पाठशालाओं / पुनर्वास केन्द्रों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का औपचारिक शिक्षा प्रणाली में नामांकन सहज बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभाग के साथ समन्वय।
- (iii) विशेष पाठशालाओं में नामांकित बच्चों के लिए शिल्प (क्राफ्ट) तथा पूर्व-वोकेशनल प्रशिक्षण मॉड्यूल को अन्तिम रूप देना।

- (iv) बाल श्रम परियोजनाओं का निरीक्षण सुनिश्चित करना तथा श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को आवधिक (कम से कम वर्ष में एक बार) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित करना।
- (v) परियोजना सोसाइटियों द्वारा लेखापरीक्षित खातों और उपयोगिता प्रमाण – पत्रों की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना सोसाइटियों के साथ नियमित बातचीत।

राज्य सरकार को बाल श्रम कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रगति की आवधिक आधार पर समीक्षा अवश्य करनी चाहिए।

- (vi) अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से स्वयंसेवकों का संक्षिप्त प्रशिक्षण
- (vii) एनसीएलपी प्रदर्शनात्मक परियोजनाएँ हैं, जो सीमित संख्या में कार्यरत बच्चों को आच्छादित करती हैं, राज्य सरकार को अन्य कार्यरत बच्चों का पुनर्वास कराने के लिए या तो औपचारिक प्रणाली में उनके नामांकन के माध्यम से अथवा किसी अन्य उचित मानी गई विधि के माध्यम से, तरीके और उपाय ज्ञात करने चाहिए।

अध्याय-IV

एनसीएलपी के प्रचालन के लिए दिशानिर्देश

एनसीएलपी सोसाइटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० के तहत पंजीकृत है तथा जिला कलेक्टर के समग्र सभापतित्व के अधीन कार्य करती है। जिला कलेक्टर की सहायता परियोजना के सदस्यों द्वारा की जाती है जिन्हें जिले में संबंधित सरकारी विभागों, क्षेत्र के प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों / ट्रेड यूनियनों से लिया जा सकता है तथा लाभार्थियों के माता-पिता से प्रतिनिधित्व कराया जा सकता है। जिला एनसीएलपी सोसाइटी की आदर्श संरचना अनुलग्नक-घ पर दी गई है।

एनसीएलपी सोसाइटी का उद्देश्य आयु समूह ५ - १४ में कार्यरत बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में से वापस निकालना तथा उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य-धारा में लाना है। इसमें दो प्रमुख काम शामिल हैं। पहला, आयु समूह ५ - ९ वर्ष में कार्यरत बच्चों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य-धारा में लाए जाने की आवश्यकता है। इसमें परियोजना सोसाइटी को जिला शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी। दूसरा, आयु समूह ९ - १४ वर्ष में चिह्नित बच्चों को कार्य / कारखाना पर्यावरण में से वापस निकालने और परियोजना सोसाइटी द्वारा संचालित विशेष पाठशालाओं के माध्यम से पुनर्वास कराए जाने और अन्त में औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य-धारा में लाए जाने की आवश्यकता होगी। परियोजना अधिकारियों को शिक्षा विभाग के साथ बड़े पैमाने पर और लगातार बातचीत करने आवश्यकता है ताकि विशेष पाठशालाओं के बच्चों को औपचारिक सरकारी पाठशाला प्रणाली की मुख्य-धारा में सहजता से लाया जा सके।

परियोजना सोसाइटी को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कदम का पालन करने की आवश्यकता होगी उन्हें आगामी अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है।

एनसीएलपी सोसाइटी का पंजीकरण

एनसीएलपी सोसाइटी का गठन और पंजीकरण हो जाने पर, जिले में परियोजना सोसाइटी कार्यालय स्थापित करने हेतु कोष निर्मोचित (रिलीज) करने तथा बाल श्रम सर्वेक्षण करने का

अनुरोध करते हुए पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

परियोजना सोसाइटी कार्यालय स्थापित करना

परियोजना सोसाइटी कार्यालय में लोगों को लगाने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है:

(क) एक परियोजना निदेशक (प्रोजेक्ट डायरेक्टर), जो जिला तथा अन्य अधिकारियों के साथ प्रभावशाली क्रियान्वयन और समन्वय के लिए परियोजना का समग्र प्रभारी होगा। वह अधिमानतः प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार का अधिकारी हो सकता है, क्योंकि इससे राज्य सरकार की मशीनरी के साथ बेहतर समन्वय करने में सहायता मिलेगी।

(ख) परियोजना के क्रियान्वयन में परियोजना निदेशक की सहायता हेतु दो क्षेत्र अधिकारी (फील्ड ऑफिसर)। वे परियोजना क्षेत्र का लगातार दौरा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम के भिन्न-भिन्न अवयव उचित रूप से क्रियान्वित किए जाते हैं। ये क्षेत्र अधिकारियों को श्रम निरीक्षक पदनामित किया जाएगा ताकि वे बाल श्रम से सम्बन्धित श्रम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का प्रवर्तन भी कर सकें।

(ग) परियोजना निदेशक के कार्यालय में परियोजना के अभिलेख तथा खातों को रखने हेतु एक क्लर्क-सह-लेखाकार (क्लर्क-कम-अकाउंटेंट)।

(घ) परियोजना निदेशक की सहायता के लिए एक अशुलिपिक (स्टेनेग्राफर)।

(ङ) परियोजना निदेशक के कार्यालय में एक चपरासी।

यह अपेक्षा की जाती है कि परियोजना सोसाइटी कार्यालय के लिए केवल सुयोग्य कर्मचारी ही लगाए जाएँगे। चूँकि परियोजना एक सीमित अवधि के लिए स्थापित की जाती है इसलिए परियोजना कर्मचारियों को स्थायी नहीं माना जाए। इन कर्मियों को काम पर लगाते समय इनके काम की अस्थायी और संविदात्मक प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य में अपने नियमितीकरण के लिए दावा नहीं करें।

सर्वेक्षण

सर्वेक्षण बाल श्रम परियोजना का आरम्भिक बिन्दु है। लक्ष्य समूह का निर्धारण करने हेतु परियोजना सोसाइटी को परियोजना क्षेत्र का सर्वेक्षण अवश्य आयोजित करना चाहिए। सर्वेक्षण

सामान्यतः बाल श्रम के आकार, व्यवसायों के वर्गीकरण, आयु और इसके भौगोलिक वितरण, पर जानकारी प्रदान करता है। माता-पिता की आर्थिक स्थितियों और प्राथमिक शिक्षा तक अभिगम जैसे पहलुओं पर जानकारी भी महत्वपूर्ण है।

सर्वेक्षण जिला कलेक्टर / जिलाधीश के सभापतित्व में आयोजित किया जा सकता है तथा इसमें श्रम, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य जैसे अन्य सम्बन्धित विभागों का समावेश हो सकता है तथा सिविल सोसाइटी संगठनों को शामिल हो सकते हैं। जहाँ तक संभव हो, पाठशाला नहीं जाने वाले बच्चों पर एसएसए द्वारा संग्रहीत आँकड़ों को इस सर्वेक्षण का आरम्भिक बिन्दु बनाया जाना चाहिए।

सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए आयु समूह ५-९ में खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों को शिक्षा विभाग के एसएसए तथा सीधे औपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ा जाना चाहिए। परियोजना सोसाइटी को सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से आयु समूह ९ - १४ वर्ष में बच्चों के लिए उन विशेष पाठशालाओं की संख्या सहित जो वे चलाना चाहते हैं एक ठोस योजना के साथ सर्वेक्षण के परिणाम श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को प्रेषित करने चाहिए। सर्वेक्षण परिणामों तथा जिला परियोजना सोसाइटी द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के आधार पर मंत्रालय विशेष पाठशालाओं की संख्या निर्धारित करेगा जो जिले के लिए स्वीकृत की जा सकती हैं। परियोजना के प्रभाव का आँकलन करने हेतु सभी परियोजना सोसाइटियों द्वारा नियमित अन्तरालों पर सर्वेक्षण आयोजित किए जाने चाहिए।

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६ का प्रवर्तन

खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में से बच्चों को कार्य से वापस हटाने तथा बच्चों की नई प्रविष्टि की रोकथाम के लिए बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६ तथा कारखाना अधिनियम, १९४९ जैसे अन्य विधानों के अधीन बाल श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों का कठोर और प्रभावशाली प्रवर्तन आवश्यक है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६ की धारा ३, अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित किसी भी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन का निषेध करती है। धारा ३ के प्रावधानों का उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास जो तीन महीने से कम नहीं होगी किन्तु जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा ऐसे आर्थिक दण्ड जो रु. १०,०००/- से कम न हो के साथ दण्डनीय है किन्तु जिसे दो वर्षों (धारा ४) तक बढ़ाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा समादेश याचिक (सिविल) संख्या ४६५/१८९६ में दिए गए निर्णयों के साथ यह प्रवर्तन का आधार बनाता है।

अभिज्ञता जनन

लक्ष्य समूह को चिह्नित करने के उपरान्त, पाठशाला की पढ़ाई-लिखाई के बारे में परियोजना कर्मचारियों को माता-पिता, नियोक्ताओं तथा स्वयं बच्चों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होगी। नुक्कड़ नाटकों, गली के नाटकों, प्रदर्शनियों, रैलियों तथा स्थानीय समुदायों/पंचायतों के साथ सतत बातचीत के माध्यम से परियोजना सोसाइटी बाल श्रम के विरुद्ध समाज में जागरूकता निर्माण कर सकती है और शिक्षा की आवश्यकता के बारे में उन पर दबाव डाल सकती है। अन्य गतिविधियाँ जो सोसाइटी द्वारा की जा सकती हैं उनमें लाभप्रद स्थानों में पोस्टरों / बैनरों तथा स्टिकरों का प्रदर्शन शामिल है। पुनर्वासित बच्चों की सफल कहानियों को स्थानीय मीडिया / पत्रिकाओं में पर्याप्त प्रचार देने के माध्यम से भी परियोजना सोसाइटी बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों के लिए समर्थन जुटा सकती है।

विशेष पाठशालाएँ/ लर्निंग-सह-पुनर्वास केन्द्र

विशेष पाठशालाओं के माध्यम से आयु समूह ९ – १४ वर्ष में कार्यरत बच्चों का पुनर्वास परियोजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। परियोजना सोसाइटी पंजायती राज संस्थानों / ट्रेड यूनियनों / स्वयं-सहायता समूहों सहित विश्वसनीय तथा प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों को शामिल कर सकती है। यदि पर्याप्त संख्या में गैर-सरकारी संगठन या अन्य क्रियान्वयन एजेंसियाँ उपलब्ध नहीं हैं, तो परियोजना सोसाइटी द्वारा स्वयं विशेष पाठशालाओं का किया जा सकता है। हालाँकि, इन पाठशालाओं का संचालन उत्तरोत्तर ढंग से गैर सरकारी संगठनों और अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिये।

पाठशालाओं का स्थान और प्रतिबद्ध इंस्ट्रक्टरों का चयन योजना की सफलता के लिये अत्यधिक आवश्यक है। पाठशालाओं को उन स्थानों में खोले जाने की आवश्यकता है जो आसानी से लक्ष्य समूह पहुँच में हो। विशेष पाठशालाओं के लिये पढ़ाने वाले स्वयंसेवक और परियोजना सोसाइटी के अन्य कर्मचारियों को संगलन किया जाना चाहिए और उनकी सेवाओं के लिये जो कि स्वैच्छिक प्रकृति कि हैं एक समेकित मानदेय दिया जाएगा। स्वयंसेवी उस स्थानीय समुदाय/गाँव से होने चाहिए जहाँ विशेष पाठशाला स्थित है और क्रियान्वयन एजेंसी/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लगाए जाने चाहिये। उनके चयन का मानदंड समुदाय की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होना चाहिए। परियोजना सोसाइटी शिक्षण इंस्ट्रक्टरों के लिये योग्यता का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित कर सकती है।

काम पर जाने वाले बच्चों की संख्या घटाने के दृष्टिकोण से परियोजना सोसाइटी/क्रियान्वयन एजेन्सियों को विशेष पाठशालाओं के समय और अवधि के मामले में कुछ मात्रा में लचीलेपन की अनुमति दी जाती है। विशेष पाठशालाओं का समय उन बच्चों की सुविधा के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए जो परियोजना के तहत लक्ष्य समूह हैं। विशेष पाठशालाओं की अवधि पाँच घंटे प्रति दिन के आस-पास हो सकती है। स्वयंसेवकों के समय, अवधि और कार्य के घंटों पर निर्णय लेते समय, परियोजना सोसाइटी को लक्ष्य समूह की सुविधा और परियोजना के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो विशेष पाठशालाएँ वर्ष भर सप्ताह में छहों दिन खुली रहनी चाहिए। लंबे अवकाशों लेने से बचना चाहिए।

योजना के तहत परियोजना सोसाइटी को विशेष पाठशालाओं के मकान हेतु उपयुक्त आवास को किराए पर लेने की अनुमति है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहाँ जिले के किसी विशेष क्षेत्र में विशेष पाठशालाओं के लिये निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो विशेष पाठशालाओं को नियमित पाठशालाओं के भवनों में नियमित पाठशाला के घंटों के उपरान्त भी चलाया जा सकता है।

प्रभावशाली ढंग से मुख्य-धारा में लाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि परियोजना सोसाइटी द्वारा वजीफे का प्रावधान, पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शैक्षिक/वोकेशनल इंस्ट्रक्टरों और मास्टर ट्रेनरों को क्रियान्वित किया जाता है। विशेष पाठशालाओं में बच्चों को पका हुआ पौष्टिक भोजन दैनिक आधार पर परोसे जाने की आवश्यकता है। जबकि इस प्रयोजन के लिए रु. ५ प्रति बच्चा प्रति दिन का प्रावधान किया गया है, तब भी परियोजना सोसाइटी जिला स्तर पर क्रियान्वित किए जा रहे अन्य विभागीय कार्यक्रमों के साथ अभिसरित कर सकती है तथा अपने बच्चों अन्यथा संभव की तुलना में बेहतर पोषाहार प्रदान कर सकती हैं।

पाठशाला में प्रत्येक बच्चे को रु. १००/- प्रतिमाह का एक वजीफा भुगतान किया जाए। धनराशि को बच्चे के नाम में डाकघर / बैंक में खोले गए बचत खाते में मासिक आधार पर जमा कराया जाए। संचित धनराशि लाभार्थी द्वारा मुख्य-धारा में आते समय आहरण की जा सकती है। सभापति को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करता हो कि वजीफे की धनराशि केवल लाभार्थी तक पहुँचती है। परियोजना सोसाइटी के पास पर्याप्त कोष उपलब्ध होने के बावजूद वजीफे की धनराशि के वितरण में देरी देखी गई है। इसे प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

परियोजना सोसाइटी को विशेष पाठशालाओं में नामांकित बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जाँचें सुनिश्चित करनी चाहिए। योजना में प्रत्येक ५० बच्चों वाली हर २० पाठशालाओं के लिए एक चिकित्सक को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य जाँचें प्राथमिक रूप से बच्चों को आधारभूत सफाई के पाठ सिखाने के इरादे से की जानी चाहिए। इसे बाल श्रमिक के लिए विशिष्ट विकास से सम्बन्धित बहुत आम बीमारियों तथा स्वास्थ्य समस्याओं की जाँच भी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएँ भी बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। पाठशाला में हर बच्चे के संबन्ध में स्वास्थ्य कार्ड आवश्यक प्रविष्टियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। एनसीएलपी सोसाइटी को स्वास्थ्य जाँचों के मतलब के कोषों का उपयोग करने की स्वतंत्रता है यदि परामर्श इत्यादि के लिए चिकित्सकों की सेवाएँ स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध हैं।

५० बच्चों की हर विशेष पाठशाला को दो **शैक्षणिक इंस्ट्रक्टर** अवश्य शामिल करने चाहिए। परियोजना सोसाइटी को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि ये पद रिक्त न रहें। पढ़ाने वाले स्वयंसेवकों को डीआईईटी/डीआरयू अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्था की सहायता से जिला / राज्य स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। योजना में पढ़ाने वाले स्वयंसेवकों को विशेष पाठशालाओं में नामांकित बच्चों की विशेष आवश्यकतों पर संवेदनशील किए जाने हेतु तथा शिक्षकों को सीखने का एक हर्षित माहौल सृजित करने में सक्षम बनाने हेतु नियमित सुदृढीकरण का प्रावधान किया गया है।

शैक्षणिक और वोकेशनल सामग्री सीखने का अनुकूल माहौल सृजित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक तथा वोकेशनल सामग्री के प्रावधान के लिए रु. १०,०००/- प्रति विशेष पाठशाला प्रति वर्ष की एक धनराशि अलग से निर्धारित की गई है। इसका पर्याप्त रूप से तथा प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि पाठशालाओं में नामांकित बच्चों की बौद्धिक वृद्धि एवं कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो।

वोकेशनल प्रशिक्षण पर योजना में विशेष जोर दिया गया है। कारण यह है कि नामांकित बच्चे मुख्यतया बड़े आयु समूह ९ – १४ वर्ष में हैं और उन्हें पूर्व का कार्य अनुभव रहा है। यह भी महसूस किया गया था कि वोकेशनल प्रशिक्षण का विकल्प उन बच्चों को उपलब्ध हो जो विशेष पाठशालाओं में प्रारंभिक प्रशिक्षण के उपरान्त कौशल-आधारित काम करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से, ५० बच्चों वाली प्रत्येक विशेष पाठशाला के लिए एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के अतिरिक्त, क्षेत्र में आर्थिकरूप से व्यवहार्य कौशलों / ट्रेड्स में वोकेशनल इंस्ट्रक्टरों / बच्चों को

प्रशिक्षण देने हेतु जिले के लिए एक मास्टर ट्रेनर का प्रावधान किया गया है। परियोजना सोसाइटी एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए तथा बाजार आवश्यकताओं के अनुसार लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्थानीय आईटीई (ITI) या अन्य वोकेशनल संस्थानों से ऐसे कारीगरों / प्रशिक्षकों को शामिल कर सकती है।

उपरोक्त के अलावा, हर विशेष पाठशाला को पाठशाला में नामांकित बच्चों का एक प्रोफाइल अवश्य अनुरक्षित करना चाहिए और उन बच्चों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी विकसित करना चाहिए जो अन्ततः औपचारिक पाठशालाओं की मुख्य-धारा में लाए जाते हैं। यह भविष्य में उनके औपचारिक पाठशालाओं को छोड़ने के अवसरों को घटाने में सहायता करेगा।

पाठ्यक्रम

सम्बन्धित राज्य, के शिक्षा विभाग, एससीईआरटी, डीआईईटी, डीआरयू और बाल श्रम के क्षेत्र तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के द्वारा, पाठ्यक्रम में, कोर्स की विषयवस्तु और पाठ्य सामग्री को जिला / राज्य स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। बच्चों के शिल्प (क्राफ्ट) और पूर्व-वोकेशनल प्रशिक्षण को अन्तिमरूप देने के काम को जिला स्तर पर भी किया जाना चाहिए। जिला बाल श्रम सोसाइटियों को जमीनी स्थितियों के आधार पर कोर्स की विषयवस्तु की प्रकृति का निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जहाँ तक संभव हो विशेष पाठशालाओं के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए ताकि एक सीखने का एक हर्षित माहौल बने और साथ ही बच्चों को नियमित पाठशालाओं में आसानी से मुख्य-धारा में आने में सक्षम बनाए।

कर्मचारियों का ढाँचा (स्टाफिंग पैटर्न) : परियोजना सोसाइटी तथा विशेष पाठशालाएँ

परियोजना सोसाइटी जिला कलेक्टर / जिलाधीश के सभापतित्व में जिले में सभी परियोजना अवयवों का क्रियान्वयन करेगी। सभापति के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधीन परियोजना का क्रियान्वयन करना परियोजना निदेशक का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व होगा। परियोजना गतिविधियों के निर्बाध निष्पादन को सक्षम बनाने हेतु परियोजना निदेशक को सम्बन्धित विभाग तथा गैर-सरकारी संगठनों जैसे क्रियान्वित करने वाले साझेदारों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी। उसे जिला कलेक्टर / जिलाधीश के साथ एक नियमित अन्तराफलक (इंटरफेस) बनाए रखने और प्रगतियों के बारे में उसे अवगत कराने की आवश्यकता भी होगी। इस बात का ध्यान में रखते हुए, एक पूर्ण कालिक परियोजना निदेशक का होना बेहतर हो सकता है।

परियोजना सोसाइटी स्तर पर, जैसा की पूर्व में उल्लेख किया गया है, दो क्षेत्र अधिकारियों, एक क्लर्क-सह-लेखाकार, एक स्टेनो/डेटा प्रविष्ट ऑपरेटर और एक चपरासी द्वारा परियोजना निदेशक की सहायता की जाएगी। परियोजना निदेशक सहित परियोजना कर्मचारी पूरी तरह स्वैच्छिक आधार पर शामिल किए जाएंगे। १०वीं योजना के अनुसार परियोजना कर्मचारियों के लिए मानदेय अनुलग्नक - च पर दिया गया है। चूँकि उन जिलों को जहाँ ९वीं योजना के दौरान एनसीएलपी कामकाज कर रही थी परियोजना कार्यालय के लिए वाहन खरीदना अनुमत किया गया था, इसलिए उनके लिए १०वीं योजना में भी ड्राइवर के लिए मानदेय जारी रहेगा। हालाँकि, नई एनसीएलपी के संबन्ध में जिनकी १०वीं योजना में अनुवृद्धि की गई हैं, जब और जैसी आवश्यकता हो वाहन किराए पर लेने के लिए परियोजना सोसाइटी द्वारा एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया है। इसलिए, नई एनसीएलपी के लिए ड्राइवर के लिए मानदेय का प्रावधान नहीं उठता है।

योजना में विशेष पाठशाला स्तर पर, ५० बच्चों की हर विशेष पाठशाला के लिए दो शैक्षणिक इंस्ट्रक्टरों, एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, एक क्लर्क-सह-लेखाकार और एक चपरासी/हैल्पर का प्रावधान किया गया है। विशेष पाठशाला में शामिल स्वयंसेवकों को भुगतान किए जाने वाले मानदेय के बारे में विवरण अनुलग्नक-ग में दिए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, योजना में जिला स्तर पर एक मास्टर ट्रेनर हर २० विशेष पाठशालाओं के लिए एक चिकित्सक का प्रावधान भी किया गया है।

सेवाओं का अभिसरण

अभिसरण में बुनियादी अंतर्निहित विचार विभिन्न स्रोतों से संसाधनों को पूल करना तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें कुशलता से एकीकृत करना है। दिए गए बाल श्रम के परिमाण पर, सभी सम्बन्धितों से संगठित प्रयासों की आवश्यकता है तथा चिह्नित बच्चों और उनके परिवारों के लिए लाभों को बढ़ाने हेतु संसाधनों को अन्य विभागों के संबन्धित कार्यक्रमों से डबलचूल से जोड़ने की आवश्यकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान [एसएसए] का क्रियान्वयन कर रहा है। बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों को इस वृहत्तर योजना के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। यह न केवल एनसीएलपी कार्यक्रम के परिणाम में सुधार करेगा बल्कि संसाधनों के कुशल उपयोग की ओर भी ले जाएगा। परियोजना सोसाइटी को अवश्य शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करना

तथा आयु समूह ५ - ८ वर्ष में खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को एसएसए के तहत संचालित औपचारिक पाठशालाओं नामांकित करना चाहिए।

बाल श्रम की उपस्थिति में गरीबी एक महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसलिए कार्यरत बच्चों और उनके माता-पिता के लाभ के लिए जिला स्तर पर क्रियान्वयन के अधीन विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अभिसरण को प्रभावी करना आवश्यक है।

समाज के इन वर्गों के लाभ के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अभिसरण को पूरा करने में जिला कलेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अभिसरण योजना में कुछ मात्रा में लचीलेपन को आवश्यक बनाता है। राज्य सरकार और संबन्धित जिले कार्यक्रम को स्थानीय आवश्यकतानुसार अनुकूलित कर सकते हैं।

हालाँकि, भारत सरकार द्वारा निर्मोचित कोष का समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब रखा जाना चाहिए। लेखांकन के मुद्दों के विवरण अध्याय-V में दिए गए हैं।

निरीक्षण

परियोजना का अन्तरालों पर निरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। इसे राज्य सरकार के स्तर और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण अधिकारी सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम के कार्यान्वयन से परिचित होना चाहिए। निरीक्षण प्रतिवेदन संबन्धित परियोजना सोसाइटी के सभापति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो तब प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ देने के बाद प्रतिवेदन को राज्य सरकार तथा श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

प्रगति प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति का आँकलन करने में सक्षम बनाने हेतु परियोजना समितियों द्वारा परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यह आगे कोष निर्मोचित करने के लिए भी आधार बनाएगा। परियोजना समितियों को निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है:

- (i) प्रत्येक तिमाही, अर्थात् अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर, और जनवरी-मार्च, के पूर्ण होने के १५ दिनों के अन्दर त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन (QPRs)।

- (ii) ३१ मार्च के बाद तुरन्त वित्त वर्ष के लिए लेखा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखा-परीक्षण कराया जाना चाहिए। उसके बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा सभापति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उस वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित ब्यौरे का एक पूरा सेट, अर्थात्, आय और व्यय खाता, प्राप्त और भुगतान खाता, तुलन-पत्र और उपयोग प्रमाण पत्र, अगले वित्तीय वर्ष की अधिकतम ३१ जुलाई तक मंत्रालय में पहुँच जाना चाहिए।
- (iii) वित्तीय वर्ष के अन्त में वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (अनुलग्नक-ज); और
- (iv) जिला/राज्य प्रशासन द्वारा जब भी किया जाए, तब निरीक्षण प्रतिवेदन। यह वांछनीय है कि राज्य श्रम विभाग प्रत्येक परियोजना का हर वर्ष कम से कम एक निरीक्षण आयोजित करे।

राज्य सरकार की भूमिका

बाल श्रम ऐसा विषय है जिस पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों के द्वारा अवश्य समर्थन किया जाना चाहिए जिसे बदले में संबन्धित मंत्रालयों/विभागों, गैर-सरकारी/सिविल सोसाइटी संगठनों जैसे अन्य स्टेक होल्डरों को अवश्य शामिल करना चाहिए।

जिलाधीश/कलेक्टर जो परियोजना सोसाइटी के सभापति हैं राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण के अधीन आते हैं। श्रम विभाग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य पदनामित विभाग को एनसीएलपी योजना के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार अभिज्ञता जनन, सर्वेक्षण और शिक्षकों का उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण जैसे हस्तक्षेप आयोजित करने हेतु स्वतंत्र है।

अध्याय-V

वित्तीय मामले

परियोजना के वित्त का नियमन बाल श्रम परियोजना के निर्बाध संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। निर्धारित पद्धतियों से विचलन का परिणामस्वरूप वित्त के निर्मोचन में विलम्ब होता है और परियोजना के कामकाज को पटरी से उतार देता है। खर्च करते समय परियोजना सोसाइटी को निम्नलिखित अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए:

(i) कोषों के निर्मोचन और उपयोगिता से संबन्धित सभी वित्तीय मामले केन्द्रीय वित्तीय नियमों के प्रावधानों तथा अनुदान सहायता (ग्रांट इन एड) के नियम और शर्तों के अनुरूप होने चाहिए;

(ii) परियोजना सोसाइटियों को निर्मोचित अनुदान सहायता का उपयोग अनन्य रूप से उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है और मद-वार अनुमोदित वार्षिक बजट के अनुसार होना चाहिए;

(iii) श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के पूर्व और विशिष्ट अनुमोदन के सिवाय अनुमोदित बजट से खर्च के किसी भी विचलन की अनुमति नहीं है;

(iv) अनुमोदित बजट से विचलन में खर्च अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण हो सकता है और ब्याज सहित धनराशि की वसूली का परिणाम दे सकता है;

(v) परियोजना सोसाइटी द्वारा दिए गए अनुदान पर अर्जित ब्याज भी श्रम एवं नियोजन मंत्रालय से अनुदान के रूप में माना जाएगा। इस धनराशि का उपयोग केवल खर्च की अनुमोदित मदों पर ही किया जाना चाहिए;

(vi) श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित कुछ परियोजना सोसाइटियाँ बाल श्रम पुनर्वास कार्यक्रम की गुणवत्ता तथा अन्तर्वस्तु को समृद्ध करने के लिए अन्य संगठनों से भी कोष/अनुदान प्राप्त कर रही हैं। जबकि इसे प्रोत्साहित किया जाता है, तब भी ऐसी सहायता को श्रम एवं नियोजन मंत्रालय से प्राप्त कोष के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए तथा इसका पृथक रूप से हिसाब रखा जाना चाहिए। मंत्रालय द्वारा निर्मोचित कोषों के संबन्धि में परियोजना सोसाइटियाँ श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी हैं;

(vii) अनुदान सहायता के नियमों और शर्तों के अनुसार, सम्बन्धित संगठन का लेखा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अथवा मंत्रालय की आन्तरिक लेखा परीक्षण विंग द्वारा परीक्षण जाँच के लिए खुला रहेगा। तदनुसार, मंत्रालय की आन्तरिक लेखा परीक्षण विंग परियोजना सोसाइटियों का समय-समय पर दौरा करेगी। सोसाइटी में उनके दौरे के दौरान परियोजना सोसाइटी के लेखे आन्तरिक लेखा परीक्षण विंग के दल को उपलब्ध कराए जाएँगे;

(viii) सरकारी अनुदान से क्रय की गई सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अनुदत्त संस्थान (ग्रान्टी इंस्टीट्यूशन) / परियोजना सोसाइटियों को सम्पत्ति का एक रजिस्टर अनुरक्षित करना चाहिए;

वित्तीय विवरण

परियोजना सोसाइटी को नियमित आधार पर निम्नलिखित वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इन दस्तावेजों के सम्बन्ध में विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

(i) **समझौता बन्ध:** परियोजना सोसाइटी को निर्मोचित प्रत्येक अनुदान के सम्बन्ध में परियोजना सोसाइटी को पृथक समझौता बन्ध प्रेषित करना चाहिए। समझौता बन्ध के लिए संरूप (फॉर्मेट) परिशिष्ट-झ में दिया गया है।

(ii) **लेखा परीक्षित खाता:** वित्तीय वर्ष के बन्द होने के तुरन्त बाद परियोजना सोसाइटियों को अपने खाते तुरन्त अंकेक्षित करवाने चाहिए। परियोजना सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित तथा परियोजना सोसाइटी के सभापति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए। लेखापरीक्षित खातों से सम्बन्धित कुछ मुद्दों को आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। ये नीचे दिए गए हैं:

(१) **प्राप्ति और भुगतान खाता:** प्राप्ति और भुगतान खाते का प्राप्ति पक्ष प्राप्त अनुदान और साथ ही उस पर अर्जित ब्याज को प्रतिबिम्बित करता है। दानों और श्रम एवं नियोजन मंत्रालय से इतर स्रोतों के प्राप्तियाँ पृथक रूप से दर्शाई जाती हैं। इसे श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा निर्मोचित कोष के साथ नहीं मिलाना चाहिए। प्राप्ति और भुगतान खाते का भुगतान पक्ष परियोजना के प्रत्येक मद पर किए गए वास्तविक भुगतानों को दर्शाएगा (परिशिष्ट-२)।

(२) **तुलन पत्र:** तुलन पत्र लेखा परीक्षित खातों के हिस्से का गठन करता है। यदि किसी विशेष वर्ष में कोष की कमी की वजह से कोई खर्च पूरा नहीं किया जा सका है, तो इसे तुलन पत्र के देयता पक्ष में प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए (परिशिष्ट-३)।

(३) **आय और व्यय विवरण:** परियोजना सोसाइटी द्वारा किए गए व्यय की स्वीकार्यता का आय और व्यय विवरण के आधार पर आँकलन किया जाता है। इसलिए, आय और व्यय विवरण को परियोजना सोसाइटी के लिए अनुमोदित भिन्न-भिन्न मदों पर खर्च को दर्शाना चाहिए (परिशिष्ट-४)।

(क) श्रम एवं नियोजन मंत्रालय से प्राप्त अनुदान और साथ ही इन अनुदानों पर अर्जित ब्याज को आय और व्यय विवरण के आय पक्ष पर प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए। सामान्यतया परियोजना सोसाइटी को चार प्रयोजनों के लिए कोष निर्मोचित किए जाते हैं।

- (i) परियोजना कोष: यह परियोजना सोसाइटी तथा विशेष पाठशालाओं के खर्च को पूरा करने के लिए है।
- (ii) सर्वेक्षण
- (iii) अभिज्ञता जनन
- (iv) शिक्षकों का प्रशिक्षण

मंत्रालय से उपरोक्त प्रयोजनों के लिए निर्मोचित अनुदान इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए परियोजना सोसाइटी के बचत बैंक खाते में जमा की जाती है। उपयोग नहीं की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज मंत्रालय से सहायता अनुदान का हिस्से बनेगा। मंत्रालय द्वारा आवश्यक कोष तथा अर्जित ब्याज परियोजना सोसाइटी की आय बनेगा।

(ख) व्यय पक्ष पर, व्यय के चार उत्कृष्ट शीर्षक हैं। ये निम्नलिखित से जुड़े खर्च हैं:

(१) परियोजना सोसाइटी तथा विशेष पाठशालाओं पर खर्च; अन्य शब्दों में, परियोजना व्यय।

(१) सर्वेक्षण

(२) अभिज्ञता जनन

(३) शिक्षकों का प्रशिक्षण

(ग) जबकि सर्वेक्षण, अभिज्ञता जनन तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण के व्यय के और अनुमोदित उप-शीर्ष नहीं हैं, तब भी परियोजना व्यय के लिए निर्मोचित धनराशि का विशिष्ट अनुमोदित उप-शीर्ष या व्यय की मद है। स्थूल वर्गीकरण तथा इस शीर्ष के तहत परियोजना सोसाइटी और विशेष पाठशालाएँ हैं। परियोजना सोसाइटी के अधीन खर्चे हैं - कर्मचारियों का वेतन, 'चिकित्सक और 'मास्टर ट्रेनर को मानदेय, 'कार्यालय और सहायक खर्चे तथा वाहन और फर्नीचर जैसे गैर-आवर्ती / एक बार वाले खर्चे हैं। विशेष पाठशालाओं के मामले में, खर्चे के भिन्न-भिन्न उप-शीर्ष हैं - "शैक्षणिक और वोकेशनल इंस्ट्रक्टरों को मानदेय", "क्लर्क-सह-लेखाकार को वेतन", और चपरासी, 'पोषाहार, 'वजीफा, 'शैक्षणिक तथा वोकेशनल सामग्री, 'किराया, जल एवं विद्युत, और 'आकस्मिकता।

(घ) आय और व्यय विवरण के व्यय पक्ष को ऊपर अनुमोदित मदों से सम्बन्धित परियोजना के वास्तविक खर्च को अवश्य दर्शाना चाहिए।

(ङ) परियोजना सोसाइटी से चार प्रकार के आय और व्यय विवरण प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है, यथा, परियोजना व्यय, सर्वेक्षण शिक्षकों को प्रशिक्षण, और अभिज्ञता जनन के लिए। आय और व्यय विवरण के लिए संरूप परिशिष्ट - २-५ में देखा जा सकता है।

(च) कई मामलों में, यह देखा गया है कि आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों खर्चों को आय और व्यय विवरण के व्यय पक्ष में नहीं दर्शाया गया है, जबकि इसे प्राप्ति और भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में दर्शाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी खर्चों की मदों को आय और व्यय विवरण के व्यय पक्ष में भी दर्शाया जाए।

(छ) संदेह उठाए जा चुके हैं कि क्या परियोजना कार्य के लिए परियोजना सोसाइटी के अधिकारियों के टीए/डीए (TA/DA) को कार्यालय खर्चों में से पूरा किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे खर्चों को इस शर्त के साथ कार्यालय खर्चों में से पूरा किया जा सकता है कि समग्र खर्च विशेष शीर्ष के लिए अनुमोदित बजट तक सीमित रहता है।

(ज) परियोजना के कार्यकर्ताओं के लिए हवाई जहाज द्वारा यात्रा की तब तक अनुमति नहीं है जब तक कि श्रम एवं नियोजन मंत्रालय से पूर्व-अनुमति नहीं हो।

(झ) परियोजना सोसाइटी में पड़ी उपयोग नहीं की गई शेष धनराशि उनकी त्रैमासिक रिपोर्टों में अवश्य प्रतिबिम्बित होनी चाहिए (संशोधित संरूप के अनुसार)।

आय – व्यय विवरणों को भरने के लिए पालन किए जाने वाले बिन्दु:

(i) परियोजना सोसाइटी से चार प्रकार के आय और व्यय विवरण प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है, यथा, परियोजना व्यय, सर्वेक्षण शिक्षकों को प्रशिक्षण, और अभिज्ञता जनन के लिए।

(ii) किसी विशेष वर्ष के लिए स्वीकार्य अनुदार की गणना करने के लिए, मद-वार वास्तविक खर्च की अनुमोदित बजट के साथ तुलना की जाएगी। मार्गदर्श सिद्धान्त है कि स्वीकार्य खर्चा उस खर्च की मद के लिए अनुमोदित बजट तक सीमित हो अथवा वास्तविक खर्च, जो भी कम हो।

(iii) इन अवयवों के लिए वास्तविक खर्च मद-वार अनुमोदित बजट से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iv) यदि किसी विशेष वर्ष में वास्तविक खर्च अनुमोदित बजट से अधिक है क्योंकि इसमें पिछले वर्ष के लिए कुछ प्रतिबद्ध खर्च शामिल है, जिसे पिछले वर्ष कोषों की कमी की वजहसे पूरा नहीं किया जा सका था। इसे पिछले वर्ष के तुलन पत्र के देयता पक्ष में दिखाया जाना चाहिए और यदि नहीं दिखाया जाता है, तो बाद के वर्ष के आय और व्यय विवरण में पृथक रूप से इसे पिछले वर्ष के एक बकाया खर्च के रूप में दर्शाया जा सकता है। यदि यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है कि यह धनराशि प्रतिबद्ध खर्च है जिसे पिछले वर्ष भुगतान नहीं किया जा सका था, तो वास्तविक खर्च यद्यपि अनुमोदित बजट की तुलना में अधिक हो, तब भी स्वीकार्य खर्चा माना जाएगा।

(v) यदि खर्च अनुमोदित बजट की तुलना में कम है तो स्वीकार्य बजट वास्तविक खर्च तक सीमित होगा।

उपरोक्त (v) की घटना होने पर, परियोजना सोसाइटी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मद विशेष के सम्बन्ध में वास्तविक खर्च अनुमोदित बजट की तुलना में अधिक क्यों हैं। अनुमोदित बजट के उल्लंघन में खर्च किए जाने पर उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।

(४) उपयोग प्रमाण पत्र

सहायता अनुदार के नियम और शर्तों के अनुसार, अनुदत्त (ग्रान्टी) संस्थानों / परियोजना सोसाइटियों से लेखा-परीक्षित खातों के साथ निर्धारित संरूप में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है (परिशिष्ट-५)। उपयोग प्रमाण पत्र दायर करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त नीचे दिए गए हैं:

(क) परियोजना सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपयोग प्रमाण पत्र निर्धारित संरूप में होने चाहिए। उपयोग प्रमाण पत्र का संरूप परिशिष्ट-६ पर दिया गया है।

(ख) परियोजना कोष, सर्वेक्षण, अभिज्ञान जनन और शिक्षकों का प्रशिक्षण जैसे सहायता अनुदानों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के बारे में पृथक उपयोग प्रमाण पत्र वित्तीय-वर्ष-वार पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। समेकित उपयोग प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) उपयोग प्रमाण पत्र को किसी विशेष वित्तीय वर्ष में परियोजना सोसाइटी द्वारा वास्तव में प्राप्त कोषों को संदर्भित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोष के निर्मोचन के लिए स्वीकृति पत्र वर्ष २००३-०४ में जारी किया गया हो सकता है, किन्तु धनराशि की वास्तविक प्राप्ति और उपयोग वर्ष २००४-०५ में हो सकता है। ऐसे मामलों में, विशेष वर्ष, अर्थात्, २००४-०५, के उपयोग प्रमाण पत्र पिछले वर्ष २००३-०४ के स्वीकृति पत्र को संदर्भित कर सकते हैं।

(घ) परियोजना सोसाइटी द्वारा दिए गए उपयोग प्रमाण पत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित तथा जिला कलेक्टर-सह-परियोजना सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ङ) सामान्यतः परियोजना सोसाइटियों द्वारा दिए गए उपयोग प्रमाण पत्र में निम्नलिखित खामियाँ पाई जाती हैं:

(i) उपयोग प्रमाण पत्र के बाई ओर के बॉक्स में, अनुमोदन पत्र संख्या और दिनांक तथा अर्जित ब्याज सहित स्वीकृत धनराशि राशि को निरपवाद रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इसके बजाय, यह देखा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट संख्या और दिनांक तथा धनराशि का उल्लेख किया जाता है।

(ii) की गई जाँचों के प्रकारों को दर्शाया जाना चाहिए। जाँचों के प्रकार में वाउचरों की जाँच, रसीद, रोकड़ बही, खाता, बैंक खाता, बैंक की पास बुक, सम्पत्ति का रजिस्टर, पिछले वर्ष के तुलन पत्र के साथ जोड़ना तथा अन्य सहायक अभिलेख, इत्यादि हो सकते हैं।

(iii) कई बार, "प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए अनुदान" प्रफोर्मा में नहीं दर्शाए जाते हैं और केवल 'शून्य (निल)' या 'X' या 'संकेत (साइन)' दर्शाए जाते हैं। सभी रिक्त स्थानों को भरा जाए।

परिशिष्ट १

समझौता बन्ध

१. इन उपस्थितों के द्वारा सभी को ज्ञात हो कि हम.....(संगठन का नाम).....(सोसाइटी की प्रकृति) तथा जिसका कार्यालय.....राज्य में है (इसके आगे बाध्यताधारी कहा गया है जो शब्द जब तक संदर्भ द्वारा बाहर न रखा गया हो अथवा संदर्भ के विरुद्ध न हो इसके उत्तराधिकारियों, समनुदेशितों तथा बाध्यताधारी की परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों को निपटाने के पात्र या निपटाने में सक्षम सभी व्यक्तियों को शामिल करने वाला माना जाएगा) भारत के राष्ट्रपति (इसके आगे सरकार कहा गया है जो शब्द जब तक संदर्भ द्वारा बाहर न रखा गया हो अथवा संदर्भ के विरुद्ध न हो इसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों को शामिल करने वाला माना जाएगा) के प्रति बाध्यताधारी द्वारा धनराशि की प्राप्ति की तिथि से भारत सरकार को इस धन वापसी की तिथि तक रु..... (रुपए.....) इस पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित की धनराशि में माँग पर अच्छी तरह से तथा सत्यता के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के भारत सरकार को भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे जिस भुगतान के लिए हम इन उपस्थितों के द्वारा स्वयं को दृढ़ता से बाध्य करते हैं।

आज.....वर्ष एक हजार और नौ सौ.....के.....दिन हस्ताक्षर किया गया।

२. जबकि बाध्यताधारी के अनुरोध पर भारत सरकार, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, के पत्र संख्या.....दिनांक.....के अनुसार (इसके बाद "स्वीकृति का पत्र" के रूप में संदर्भित) जो इन उपस्थितों के एक अभिन्न हिस्से को बनाता है और जिसकी एक प्रति उसके साथ संलग्न है तथा अक्षर "क" से चिह्नित है सरकार बाध्यताधारियों के पक्ष में रु.....(रुपए.....) इसके बाद निहित शर्तों तथा तरीके में बाध्यताधारियों के बंध निष्पादित करने की शर्त पर जिसे बाध्यताधारी करने के लिए सहमत है अनुदान के प्रयोजन के लिए करने हेतु सहमत है।

3. संगठन सरकार ऐसे सभी धनसंबन्धी अथवा अन्य लाभों का अनधिकृत अपयोग होने पर मौद्रिक मूल्य समर्पित/भुगतान करने हेतु सहमत है और उत्तरदायित्व लेता है (जैसेकि पर्याप्त से कम प्रतिपूर्ति के लिए परिसर को किराए पर देना अथवा परिसर का उससे इतर उपयोग करना जो काफी हद तक सरकारी अनुदान से सृजित आवश्यक/निर्मित सम्पत्ति/भवन के आशय से है)। भारत सरकार को समर्पित/भुगतान किए जाने वाले ऊपर उल्लिखित मौद्रिक मूल्य के बारे में संबंधित मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का निर्णय अन्तिम होगा तथा संगठन पर बाध्यकारी होगा।

4. अब ऊपर-लिखित दायित्व ऐसा है कि यदि बाध्यताधारी उपरोक्त स्वीकृति के पत्र में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को विधिवत पूरा तथा अनुपालन करता है, तो लिखित दायित्व बंध शून्य तथा किसी प्रभाव का नहीं होगा, किन्तु अन्यथा पूरी शक्ति प्रभाव और विशेषता में रहेगा।

तथा वे उपस्थित आगे निम्नानुसार साक्ष्य करते हैं:

(i) क्या स्वीकृति के पत्र में उल्लिखित किसी नियम या शर्त का भंगन या उल्लंघन हुआ है इस प्रश्न पर भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के सचिव का निर्णय बाध्यताधारी पर अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(ii) स्वीकृति के पत्र में उल्लिखित किसी नियम या शर्त के भंगन या उल्लंघन होने की घटना होने पर बाध्यताधारी माँग पर तथा बिना हिचकिचाहट के सरकार को रु..... (रुपए.....) की समस्त धनराशि अथवा उसका एक अंश जैसा सरकार द्वारा जारी माँग के नोटिस में उल्लेख किया गया हो उस पर बाध्यताधारी द्वारा धनराशी प्राप्त करने की तिथि से इसे सरकार को वापसी की तिथि तक ६% (छह प्रतिशत) वार्षिक दर पर ब्याज सहित वापस लौटाएँगे।

(iii) सरकार इन उपस्थितों पर स्टांप शुल्क, यदि कोई हो, का वहन करने के लिए सहमत है।

जिसके साक्ष्य इन उपस्थितों को बाध्यताधारियों की ओर से यहाँ ऊपर लिखित और दिन और वर्ष पर निष्पादित किया गया है तथा श्री/श्रीमती.....अवर/उप सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उनके हस्ताक्षर में प्रदर्शित तारीख और वर्ष भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार किए गए हैं।

इनकी उपस्थिति में और बाध्यताधारी
की ओर से हस्ताक्षर किए गए

१. गवाह

(नाम और पता)

(बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर और नाम)

संगठन / संस्था की सरकारी मुहर और पदनाम

२. गवाह

(नाम और पता)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार किए जाते हैं

अवर/उप सचिव

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

परिशिष्ट - २

समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते

प्राप्ति	रू.			भुगतान	रू.		
	पिछले वर्ष की प्राप्ति / अग्रिम	वर्ष की प्राप्ति	कुल		पिछले वर्ष का बकाया भुगतान	वर्ष के लिए भुगतान	कुल
क. <u>श्रम मंत्रालय से प्राप्त अनुदान:</u> ख. <u>ब्याज कमाया:</u> ग. <u>अन्य आय:</u>				क. सोसायटी परियोजना: (I) कर्मचारी वेतन (अनुबंध में दिये गए विवरण के अनुसार) (II) कार्यालय एवं समर्थन व्यय (III) फर्नीचर (IV) वाहन ख. विशेष स्कूल: (I) कर्मचारी मानदेय (अनुबंध में दिये गए विवरण के अनुसार) (II) वजीफा (III) पोषण (IV) किराया और जल/बिजली: (V) शैक्षिक एवं व्यावसायिक सामग्री: (VI) आकस्मिक व्यय			
कुल				कुल			

परिशिष्ट - ३

समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

व्यय	रू.			आय	रू.		
	वर्ष का भुगतान	वर्ष (वर्षों) का देय / बकाया	कुल		पिछले साल की / अग्रिम आय	वर्ष २००३-०४ की आय	कुल
क. सोसायटी परियोजना: (i) कर्मचारी वेतन (ii) कार्यालय एवं सहायक व्यय (iii) फर्नीचर (iv) वाहन ख .विशेष स्कूल: (i) कर्मचारी मानदेय (ii) वजीफा (iii) पोषण (iv) किराया और जल/बिजली: (v) शैक्षिक एवं व्यावसायिक सामग्री: (vi) आकस्मिक व्यय				क) श्रम मंत्रालय से प्राप्त अनुदान: ख) कमाया गया ब्याज: ग) अन्य आय:			
कुल				कुल			

परिशिष्ट- ४

एनसीएलपी के संबंध में -.....
..... की बैलेंस शीट

ऋण	रु.	संपत्ति	रु.
क. ऋण: ख. वर्तमान ऋण/बकाया I. सोसायटी परियोजना: (i) कर्मचारी वेतन (*) (ii) कार्यालय एवं संबंधित व्यय (iii) फर्नीचर (iv) वाहन (v) डॉक्टरों का मानदेय (vi) शिक्षक प्रशिक्षण (शिक्षा) (vii) मास्टर ट्रेनर (व्यावसायिक) II. विशेष स्कूल: (i) कर्मचारी मानदेय (ii) वजीफा (iii) पोषण (iv) किराया और जल/बिजली: (v) शैक्षिक एवं व्यावसायिक सामग्री: आकस्मिक व्यय		<u>संपत्ति</u>	
कुल		कुल	

परिशिष्ट- ५

उपयोगिता प्रमाण पत्र

(सर्वेक्षण/अभिज्ञान जनन/विशेष पाठशालाओं/शिक्षकों
के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्माचित अनुदान

लेखांकन वर्ष _____

प्रपत्र जीएफआर १९-ए

क्रम संख्या	पत्र क्रमांक, दिनांक	धनराशि (रु.)	प्रमाणित किया जाता है कि के पक्ष में हाशिए पर दिए गए मंत्रालय के पत्र संख्या द्वारा वर्ष.....के दौरान स्वीकृत सहायता के रु..... तथा पिछले वर्ष के अविगत (अनस्पेंड) शेष में से, रु..... की एक धनराशि..... प्रयोजन के लिए उपयोग कि जा चुकी है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था कि वर्ष के अन्त में अनुपयुक्त रहा रु..... का शेष भारत सरकार को (संख्या..... द्वारा) अध्यर्पित कर दिया गया है*/अगले वर्ष के दौरान देय सहायता अनुदान की ओर समायोजित किया जाएगा।
१	 को आरम्भिक शेष		
२	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान		
३	सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज		

३. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि वे शर्तें जिन पर सहायता अनुदान दिया गया था विधिवत पूरी की गई हैं/पूरी की जाती हैं तथा यह कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जाँचों का प्रयोग किया है कि धन का उपयोग वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए किया गया था जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

प्रयोग की गई जाँचों के प्रकार

- १.
- २.
- ३.
- ४.

चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर

पद

(कलेक्टर तथा अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर)

दिनांक

अनुलग्नक -क

बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम, १९८६ और नियम

(१९८६ का अधिनियम संख्या ६१)

(२३ दिसम्बर, १९८६)

कुछ रोजगारों में बच्चों के सम्मिलित होने पर निषेध और कुछ अन्य रोजगारों में बच्चों के काम की शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नतः अधिनियमित किया गया:

सामाजिक और लाभकारी क़ानून – समाज के एक ऐसे वर्ग विशिष्ट के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक क़ानून बनाया गया है, जो अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण इस प्रकार के संरक्षण का हक़दार है। समुचित वर्गीकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ज़रूरी है कि उन व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच सुस्पष्ट विशिष्ट गुण मौजूद हों, जिन्हें शामिल न किए गए लोगों से अलग वर्गीकृत किया गया हो और उसका क़ानून द्वारा हासिल किए जाने वाले प्रयोजन के साथ यथोचित संबंध होना चाहिए।

न्यायालय द्वारा संविधि की व्याख्या का प्रयास कुछ इस तरह किया जाना चाहिए कि अधिनियमन के उद्देश्य और प्रयोजन का संरक्षण हो और उसे आगे बढ़ाया जा सके। प्रावधानों की कोई संकीर्ण या तकनीकी व्याख्या, विधायी नीति को परास्त कर देगी। इसलिए, न्यायालय, मामले के तथ्यों पर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय, विधायी नीति को ध्यान में रखें।

भाग - I

प्रारंभिक

१. **लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ** – (१) यह अधिनियम बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६ कहलाएगा।

(२) यह पूरे भारत में फैली हुई है

(3) इस अधिनियम के प्रावधान, भाग ३ को छोड़ कर, तत्काल प्रभावी होंगे, और भाग ३ उस तिथि को लागू होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी, और विभिन्न राज्यों तथा प्रतिष्ठानों के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न तिथियाँ नियुक्त की जाएँ।

टिप्पणी

हो सकता है और होगा – जहाँ विधानमंडल ने एक ही प्रावधान के दो भिन्न भागों में दो शब्द “हो सकता है” और “होगा” का प्रयोग किया है, प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होगा कि विधानमंडल ने एक भाग को निर्देशात्मक और दूसरे भाग को अनिवार्य करने के लिए उसके इष्टार्थ को स्पष्ट किया है। लेकिन वह स्वयमेव निर्णायक नहीं है। एक ही प्रावधान के लिए दोनों शब्दों का उपयोग किए जाने के बावजूद, विधानमंडल की वास्तविक मंशा को जानने के लिए संविधि के विस्तार की सावधानी से छान-बीन द्वारा न्यायालय को यह पता लगाने का अधिकार होगा कि प्रावधान निर्देशात्मक है या अनिवार्य।

प्रावधानों की व्याख्या में न्यायालय का व्यवहार, कानून लागू करने वाले नियामक की मंशा को स्पष्ट करना है। कानून की पुनर्रचना इस कारण से भी न्यायालय का काम नहीं है कि न्यायालय को “कानून” बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है।

विधायी उपाय की संवैधानिक परिकल्पना को बनाए रखने के लिए, न्यायालय द्वारा मौजूद आम जानकारी के मामले, सामान्य रिपोर्ट के मामले, तत्कालीन इतिहास पर विचार किया जा सकता है और विधान बनाते समय उपस्थित होने की परिकल्पना वाले प्रत्येक तथ्य को भी ग्रहण किया जाए।

२. **परिभाषाएँ** – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (i) “उपयुक्त सरकार” से तात्पर्य, केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कोई प्रतिष्ठान या रेलवे प्रशासन या प्रमुख बंदरगाह या खान या तेल-क्षेत्र, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में, और अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार से है;
- (ii) ‘बच्चा’ का मतलब है कोई व्यक्ति जिसने उम्र के चौदह वर्ष पूरे नहीं किए हैं;
- (iii) “दिन” का अर्थ है आधी रात से शुरू होते हुए चौबीस घंटों की अवधि;

- (iv) “स्थापना” में शामिल हैं दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यशाला, खेत, आवासीय होटल, रेस्तराँ, खान-पान गृह, थिएटर या अन्य सार्वजनिक मनोविनोद या मनोरंजन स्थल;
- (v) “परिवार” का तात्पर्य दखलकार के संबंध में, कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, उनके बच्चे, ऐसे व्यक्ति के भाई या बहन हैं;
- (vi) “दखलकार” का मतलब किसी प्रतिष्ठान या कार्यशाला के संदर्भ में, किसी ऐसे व्यक्ति से हैं जिसका प्रतिष्ठान या कार्यशाला के क्रियाकलापों पर अंतिम संपूर्ण अधिकार हो;
- (vii) “बंदरगाह प्राधिकरण” से तात्पर्य किसी बंदरगाह के प्रशासनिक प्राधिकरण से है;
- (viii) “निर्धारित” का अर्थ है धारा १८ के अधीन निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित;
- (ix) “सप्ताह” का मतलब है शनिवार की या ऐसी कोई आधी रात से शुरू होते हुए सात दिनों की अवधि या जिसे निरीक्षक द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखित रूप में अनुमोदित किया जाए;
- (x) कार्यशाला का अर्थ ऐसा कोई परिसर (तत्संबंधी उप-क्षेत्र सहित) जहाँ कोई औद्योगिक प्रक्रिया चलाई जा रही हो, लेकिन फिलहाल इसमें ऐसे परिसर शामिल नहीं होंगे जिन पर कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ६७ (१९४८ का ६३) के प्रावधान लागू होते हैं।

टिप्पणी

यह अनुभाग अधिनियम में होने वाली विभिन्न शब्दों और अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है।

अनुभाग की व्याख्या - न्यायालय द्वारा केवल धारा की व्याख्या की जा सकती है; वह धारा को दुबारा लिख, तैयार, या अभिकल्पित नहीं कर सकता है।

अस्पष्ट अभिव्यक्ति - न्यायालय द्वारा निर्माण के कार्य का शाब्दिक अर्थ खोजा जाए। ऐसा करते समय, यदि अभिव्यक्तियाँ अस्पष्ट हों तो कानून के उद्देश्यों को पूरा करने वाले निर्माण द्वारा मुख्य अर्थ प्रदान किया जाए। न्यायालय द्वारा कानून का मज़ाक न बनाया जाए

और प्रयोजन को पूरा करने के लिए वह रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए तथा इस उद्देश्य के लिए, यदि ज़रूरी हो, तो अड़चनों को दूर करें।

भाग - II

कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध

3. कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध - अनुसूची के भाग क में निर्धारित किसी भी व्यवसाय में या ऐसे किसी कार्यशाला में, जहाँ अनुसूची के भाग ख में निर्धारित प्रक्रियाएँ चलाई जा रही हों, बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा और कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

बशर्ते कि इस धारा का कोई भी अंश किसी ऐसी कार्यशाला पर, जहाँ दखलकार द्वारा अपने परिवार की सहायता से प्रक्रिया चलाई जा रही हो या सरकार द्वारा स्थापित या उससे सहायता या मान्यता प्राप्त कोई स्कूल पर लागू नहीं होगा।

टिप्पणी

यह धारा अनुसूची में निर्दिष्ट व्यवसाय और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाती है।

परंतुक - कोई परंतुक अधिनियमित प्रावधान को सीमित करने के इरादे से है ताकि किसी को अपवाद समझा जाए, जो अन्यथा उसके अंतर्गत आता हो या कुछ हद तक प्रयोज्य खंड को संशोधित करें। कभी-कभी मुख्य प्रावधान में ही परंतुक सन्निहित होता है और उसका अभिन्न अंग बन जाता है ताकि स्वयं मूल उपबंध बन जाए।

4. **अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार** - केंद्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपने इरादे के बारे में कम से कम तीन महीनों की सूचना देकर, उसी के समान अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया को जोड़ सकती है और ऐसा करने पर अनुसूची को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

टिप्पणी

यह धारा केंद्रीय सरकार को अनुसूची संशोधित करने का अधिकार देती है ताकि वह आवश्यक माने गए किसी व्यवसाय या प्रक्रिया को उसमें सम्मिलित कर सके।

अनुभाग का निर्माण - यह एक प्राथमिक नियम है कि किसी धारा की संरचना सभी भागों को मिला कर की जाए। उसके किसी भी भाग को छोड़ने की अनुमति नहीं है। क्योंकि, सिद्धांततः कानून को समग्र रूप में पढ़ा जाए और एक ही धारा के सभी भाग समान रूप से लागू होंगे।

५. बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति - (१) केंद्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में व्यवसायों और प्रक्रियाओं को जोड़ने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार को परामर्श देने हेतु बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति नामक (इस धारा में आगे से समिति के रूप में संदर्भित) परामर्श समिति का गठन करें।

(२) समिति में एक अध्यक्ष और दस से अनधिक अन्य ऐसे सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(३) समिति आवश्यकतानुसार जितनी बार चाहे बैठक आयोजित कर सकती है और उसे स्वयं अपनी कार्य-प्रणाली को नियंत्रित करने का अधिकार होगा।

(४) समिति, अगर ऐसा करना आवश्यक समझें, तो एक या अनेक उप-समितियों का गठन कर सकती है और किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसी उप-समिति में, सामान्यतः या किसी विशिष्ट मामले के विचारार्थ नियुक्त कर सकती है, जो समिति का सदस्य न हो।

(५) समिति का कार्य-काल, पद पर आकस्मिक रिक्तियाँ भरने की पद्धति, समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय भत्ते, यदि कोई हो, और अपनी किसी उप-समिति में समिति ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शर्तें तथा प्रतिबंध, जिनके अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जो समिति का सदस्य न हो, यथा निर्धारित रूप से लागू होंगे।

टिप्पणी

यह धारा केंद्रीय सरकार को अनुसूची में किसी व्यवसाय और प्रक्रिया को सम्मिलित करने के मामले में परामर्श देने के लिए बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के गठन का अधिकार देती है।

भाग - III

बच्चों के कार्य संबंधी परिस्थितियों का विनियमन

६. भाग का आवेदन - इस भाग के प्रावधान किसी ऐसे प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी पर लागू होंगे जो धारा ३ में संदर्भित किसी भी व्यवसाय या प्रक्रियाओं को नहीं चलाते हैं।

टिप्पणी

यह धारा इस भाग के प्रावधानों को निर्दिष्ट करती है जो किसी ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होंगे जहाँ कोई भी निषिद्ध व्यवसाय या प्रक्रियाएँ नहीं चलाई जाती हैं।

७. काम की अवधि और घंटे - (१) किसी भी बच्चे को किसी प्रतिष्ठान में ऐसे घंटों से ज़्यादा समय तक काम करने की अपेक्षा या अनुमति होगी जितना ऐसे प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है।

(२) प्रत्येक दिन काम का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि कोई भी अवधि तीन घंटों से अधिक ना हो और कोई भी बच्चा कम से कम एक घंटे के विश्राम के लिए अंतराल पाए बिना तीन घंटों से ज़्यादा काम नहीं करेगा।

(३) बच्चे के काम करने की अवधि इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि उसमें उप-धारा (२) के अधीन, विश्राम के लिए अंतराल शामिल हो, और किसी भी दिन काम के इंतज़ार में व्यतीत समय सहित, वह छह घंटों से अधिक विस्तृत ना हो।

(४) किसी बच्चे को ०७:०० और ०८:०० के बीच काम करने की अनुमति या अपेक्षा नहीं दी जाएगी।

(५) किसी बच्चे को समयोपरि काम करने की अनुमति या अपेक्षा नहीं दी जाएगी।

(६) किसी बच्चे से किसी ऐसे दिन किसी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति या अपेक्षा नहीं की जाएगी, जिस दिन वह पहले ही किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम कर रहा हो।

टिप्पणी

प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशात्मक – क्या प्रावधान अनिवार्य हैं या निर्देशात्मक, इसके निर्धारण का आश्वस्त परीक्षण यह देख कर किया जा सकता है कि उसके लिए मंजूरी दी गई है या नहीं।

८. साप्ताहिक छुट्टियां - किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक सप्ताह, एक छुट्टी या एक पूरा दिन अनुमत होगा, जिस दिन को दखलकार द्वारा निर्दिष्ट और प्रतिष्ठान में विशिष्ट स्थान पर स्थाई रूप से सूचना के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और इस प्रकार निर्दिष्ट दिन को दखलकार तीन महीनों में एक बार से ज्यादा परिवर्तित नहीं कर सकेगा।

टिप्पणी

यह धारा निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक बाल श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश अनुमत होगा।

९. निरीक्षक को सूचना – (१) किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संदर्भ में प्रत्येक दखलकार, जहाँ कोई बच्चा इस अधिनियम के प्रारंभ दिनांक से तत्काल पहले नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमत किया गया था, ऐसे प्रतिष्ठान के संदर्भ में, इस प्रकार प्रारंभ करने के तीस दिनों की अवधि के अंदर, निम्नलिखित विवरणों सहित लिखित सूचना निरीक्षक को प्रेषित करे, जिसकी स्थानीय सीमाओं में प्रतिष्ठान अवस्थित है, यथा:

(क) प्रतिष्ठान का नाम और स्थिति;

(ख) प्रतिष्ठान के वास्तविक प्रबंधन में मौजूद व्यक्ति का नाम;

(ग) पता, जहाँ प्रतिष्ठान से संबंधित पत्राचार का प्रेषण अपेक्षित है; और,

(घ) प्रतिष्ठान में चलाए जा रहे व्यवसाय या प्रक्रिया का स्वरूप।

(२) प्रत्येक दखलकार, प्रतिष्ठान के संदर्भ में, अधिनियम के प्रारंभ दिनांक के पश्चात् किसी बच्चे को ऐसे प्रतिष्ठान में नियुक्त करता है, या काम करने की अनुमति देता है, वह, ऐसे नियोजन दिनांक से तीस दिन की अवधि के अंदर, उप-धारा (१) में वर्णित निम्नलिखित विवरण युक्त लिखित सूचना निरीक्षक को भेजे, जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठान अवस्थित है।

स्पष्टीकरण - उप-धारा (१) और (२) के प्रयोजनार्थ, “प्रतिष्ठान के संदर्भ में, अधिनियम के प्रारंभ दिनांक” से तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठान के संदर्भ में इस अधिनियम को लागू करने का दिनांक है।

(३) धारा ७, ८ और ९ की कोई बात ऐसे किसी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होगी, जहाँ दखलदार द्वारा अपने परिवार के सहयोग से कोई प्रक्रिया चलाई जा रही हो या कोई स्कूल जो सरकार द्वारा स्थापित, या सरकारी सहायता या मान्यता प्राप्त हो।

टिप्पणी

यह धारा निरीक्षक को बाल श्रमिक के नियोजन के संबंध में सूचना प्रस्तुति के लिए प्रावधान करती है।

स्पष्टीकरण - यह अब सुस्पष्ट है कि किसी सांविधिक प्रावधान में जोड़ा गया स्पष्टीकरण, किसी भी अर्थ में मूल उपबंध नहीं है लेकिन जैसा कि शब्द का सामान्य अर्थ दर्शाता है कि यह केवल सांविधिक प्रावधान को केवल समझाने के लिए या उसमें संभावित रूप से शामिल किसी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए है।

१०. आयु संबंधी विवाद - यदि किसी निरीक्षक और दखलदार के बीच, उसके प्रतिष्ठान में नियोजित या काम करने के लिए अनुमत किसी बच्चे की उम्र के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे बच्चे को जारी आयु प्रमाण-पत्र की अनुपस्थिति में, निरीक्षक द्वारा मामले में फैसला लेने के लिए निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाए।

टिप्पणी

यह धारा किसी बाल श्रमिक की आयु के विवाद संबंधी मामले के निपटारे के लिए प्रावधान करती है।

११. पंजी का अनुरक्षण - किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमत बच्चों के संबंध में या जब किसी प्रतिष्ठान में कोई कार्य संचालित किया जा रहा हो, प्रत्येक दखलदार द्वारा एक पंजी का अनुरक्षण किया जाए, जिसे हमेशा किसी भी निरीक्षक द्वारा कार्य-समय के दौरान मुआयने के लिए उपलब्ध कराया जाए -

(क) नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमत प्रत्येक बच्चे का नाम और जन्म-तिथि;

(ख) इस प्रकार के किसी बच्चे के कार्य घंटे और अवधियाँ तथा विश्राम अंतराल, जिसका वह पात्र है;

(ग) इस प्रकार के किसी बच्चे के कार्य का स्वरूप; और

(घ) निर्धारित किसी प्रकार के अन्य विवरण

टिप्पणी

यह धारा बाल श्रम के संबंध में रजिस्टर के रखरखाव के लिए प्रावधान बनाती है।

१२. धारा ३ और १४ के सार युक्त सूचना का प्रदर्शन – प्रत्येक रेलवे प्रशासन, प्रत्येक बंदरगाह प्राधिकरण और प्रत्येक दखलकार के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर या बंदरगाह की सीमाओं के अंदर या कार्य-स्थल पर, जैसा भी मामला हो, विशिष्ट और पहुँच हासिल होने योग्य जगह पर धारा ३ तथा १४ का सार युक्त नोटिस स्थानीय भाषा और अंग्रेज़ी में प्रदर्शित करे।

टिप्पणी

यह धारा बाल श्रमिक के नियोजन पर प्रतिबंध, जुर्माना आदि के संबंध में प्रत्येक रेलवे स्टेशन या बंदरगाह या कार्य-स्थल पर, स्थानीय भाषा तथा अंग्रेज़ी में सूचना प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान करता है।

१३. स्वास्थ्य और सुरक्षा - (१) समुचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमत बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बनाएँ।

(२) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त नियम सभी या निम्नलिखित किन्हीं मामलों में प्रावधान करें, यथा:

- (क) कार्य-स्थल पर स्वच्छता और गंदगी से छुटकारा;
- (ख) कचरे और अपशिष्ट का निपटान
- (ग) वायु-संचालन और तापमान;
- (घ) धूल और धुआं;
- (ङ) कृत्रिम नमीकरण;

- (च) प्रकाश;
- (छ) पीने के पानी;
- (ज) शौचालय और पेशाबघर;
- (झ) पीकदान;
- (ञ) मशीनों की घेराबंदी;
- (ट) चलती हुई मशीनों पर या उसके निकट काम करना;
- (ठ) खतरनाक मशीनों पर बच्चों का रोजगार
- (ड) खतरनाक मशीनों पर बच्चों के रोजगार के संबंध में निर्देश, प्रशिक्षण, और पर्यवेक्षण;
- (ढ) बिजली काटने के लिए (बंद करने) यंत्र
- (ण) स्वचालित मशीन;
- (त) नई मशीन की सहजता;
- (थ) फर्श, सीढ़ियां और उपयोग के साधन;
- (द) फर्श में गड्ढे और होदियां खोदना, आदि
- (ध) अत्यधिक वजन;
- (न) आँखों के संरक्षण;
- (न) विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस, आदि;
- (प) आग लगने पर सावधानियां
- (फ) इमारतों का रखरखाव, और;
- (ब) भवनों और मशीनों की सुरक्षा।

टिप्पणी

यह धारा बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा नियम बनाने की आवश्यकता को प्रमाणित करती है।

भाग – IV

विविध

१४. दंड – (१) जो कोई धारा ३ के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी बच्चे को नियोजित करता है या किसी बच्चे को काम करने की अनुमति देता है, वह कारावास की सज़ा का पात्र होगा जिसकी अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है या

जुर्माना, जो दस हजार रुपयों से कम नहीं होगा लेकिन जिसे बीस हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके या दोनों सज़ा से दंडनीय होगा।

(२) जिसे भी, धारा ३ के तहत किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, जो बाद में वैसा ही अपराध करे, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा, जो छह महीनों से कम न हो लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सके।

(३) जो कोई –

(क) धारा ९ की अपेक्षा के अनुसार सूचना जारी करने से चूकता है, या

(ख) धारा ११ की अपेक्षा के अनुसार पंजी के अनुरक्षण से चूकता है या किसी ऐसी पंजी में कोई ग़लत प्रविष्टि दर्ज करता है; या

(ग) धारा ३ और धारा १२ द्वारा अपेक्षित रूप से सारांश युक्त सूचना को प्रदर्शित करने से चूकता है; या

(घ) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने से चूकता है या उल्लंघन करता है;

जो साधारण कारावास द्वारा, जो एक महीने तक विस्तृत हो सकता है या जुर्माने सहित दंडित होगा, जो दस हजार रुपयों तक विस्तृत हो सकता है या दोनों तरह दंडनीय होगा।

टिप्पणी

यह धारा अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सज़ा का प्रावधान करता है।

दंड – आवश्यक – जुर्माने की कार्यवाहियाँ अर्ध आपराधिक कार्यवाहियाँ हैं। जुर्माना लगाने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक मनःस्थिति स्थापित की गई है।

दंड प्रावधान – उद्देश्य – क़ानून अपने विवेकानुसार दोषी को दंड देना चाहता है जो पाप करता है, न कि उसके पुत्र को, जो निर्दोष है।

१५. जुर्माने से संबंधित कुछ क़ानूनों का संशोधित संप्रयोग – (१) जहाँ कोई व्यक्ति उप-धारा (२) में उल्लिखित किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन में दोषी पाया जाता है और दंडित होता है,

तो वह इस अधिनियम की उप-धारा (१) और (२) के प्रावधानों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी है, न कि उन अधिनियमों के अधीन जिनमें वे प्रावधान सम्मिलित हैं।

(२) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट प्रावधान, नीचे उल्लिखित प्रावधान हैं:

(क) कारखाना अधिनियम की धारा ६७, १९४८ (१९४८ का ६३);

(ख) खान अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ३५) की धारा ४०;

(ग) मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ४४) की धारा १०९, और

(घ) मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७) की धारा २१.

टिप्पणी

यह धारा अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान करती है भले ही वह व्यक्ति कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ६७, खान अधिनियम, १९५२ की धारा ४०, व्यापारिक जहाज़ अधिनियम, १९५८ की धारा १०९ और मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१ की धारा २१ के किसी प्रावधान के उल्लंघन में दोषी पाया जाए और दंडित हो।

१६. अपराधों से संबंधित कार्यवाही - (१) कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक सक्षम न्याय-क्षेत्र की किसी भी अदालत में इस अधिनियम के तहत अपराध होने की शिकायत दर्ज कर सकता है।

(२) निर्धारित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त बच्चे की उम्र से संबंधित प्रत्येक प्रमाण-पत्र, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, जिस बच्चे से वह संबंधित हो, उसकी आयु का निर्णायक प्रमाण होगा।

(३) महानगरीय मेजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट से निम्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

टिप्पणी

यह धारा निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक अपराध होने के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है। यह ऐसी शिकायत के निपटान के लिए भी प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है।

न्यायालय की इयूटी - न्यायालय द्वारा मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर कुशलतापूर्वक विचार करना चाहिए। न्यायालय किसी विशिष्ट निष्पादन को केवल इसलिए स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है कि ऐसा करना न्यायसंगत है। अभियोग के पीछे मंशा भी न्यायिक फैसले में शामिल होनी चाहिए। न्यायालय इस बात को सुनिश्चित करे कि वादी को अनुचित लाभ पहुँचाने के प्रयोजन से उसे उत्पीड़न के साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है।

१७. निरीक्षकों की नियुक्ति - समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से निरीक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है और इस प्रकार नियुक्त किसी भी निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) के तात्पर्य के अंतर्गत सरकारी नौकर माना जाएगा।

टिप्पणी

यह धारा समुचित सरकार को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन हासिल करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार देती है। इस प्रकार नियुक्त निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) के तात्पर्य के अंतर्गत सरकारी नौकर माना जाएगा।

सरकारी नौकर - प्रत्येक सरकारी नौकर एक न्यासी है और जिस पद पर वह नियुक्त है तथा जो वेतन एवं अन्य लाभ वह पाता है, उसके संबंध में वह सरकार की समुचित सेवा करने के लिए बाध्य है। यदि कोई अधिकारी क़ानून द्वारा उससे अपेक्षित रूप से व्यवहार नहीं करता है, तो वह निश्चित रूप से क़ानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है।

१८. नियम बनाने की शक्ति - (१) समुचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पिछले प्रकाशन की शर्तों के अधीन, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेष रूप से और पूर्वगामी अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी मामले में प्रावधान कर सकते हैं, यथा :

(क) पद का कार्यकाल, आकस्मिक रिक्तियाँ भरने की पद्धति, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय भत्ते एवं शर्तें और प्रतिबंध. जिनके तहत धारा ५ की उप-धारा (५) के अधीन उप-समिति में गैर सदस्य की नियुक्ति की जा सके;

(ख) धारा ७ की उप-धारा (१) के अधीन बच्चे द्वारा काम करने के लिए अपेक्षित या अनुमत घंटों की संख्या;

(ग) नियोजित या नियोजन चाहने वाले युवा व्यक्तियों की आयु का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में, इस प्रकार का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण-पत्र का स्वरूप, उसके अंतर्गत किए जाने वाले आरोप और ऐसे प्रमाण-पत्र को जारी करने का तरीका;

बशर्ते कि आवेदन के किसी भी ऐसे प्रमाण-पत्र को जारी करने के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, जिससे संबद्ध प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक माना गया आयु प्रमाण-पत्र संलग्न हो;

(घ) धारा ११ के तहत अनुरक्षित पंजी में सम्मिलित कोई अन्य विवरण।

टिप्पणी

यह धारा समुचित सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।

अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए नियम – अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का सामान्य अधिकार, स्पष्ट रूप से इस प्रकार के नियम बनाने को प्राधिकृत और परिष्कृत करता है।

१९. संसद या राज्य की विधान सभा के समक्ष रखे जाने वाले नियम और अधिसूचनाएँ –

(१) धारा ४ के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक अधिसूचना, उसके तैयार या जारी किए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जब कुल तीन दिनों की अवधि के लिए सदन का सत्र चल रहा हो, जिसमें एक या दो या अनेक अनुक्रमिक सत्र सम्मिलित हों, और अगर सत्र के समापन से पहले, उपर्युक्त सत्र या अनुक्रमिक सत्र के तत्काल बाद, दोनों सदन नियम या अधिसूचना में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं अथवा दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम या अधिसूचना तैयार या जारी न हो, तो उसके बाद नियम या अधिसूचना केवल ऐसे संशोधित स्वरूप में प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, जैसा भी मामला हो; इसलिए, तथापि, ऐसा कोई भी संशोधन या अमान्यकरण, नियम या अधिसूचना के तहत किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा।

(२) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के तुरंत बाद, राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

टिप्पणी

इस धारा के अधीन नियम और अधिसूचनाएँ संसद या राज्य विधान सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाएंगी।

२०. कानून के कुछ प्रावधान वर्जित नहीं हैं – धारा १५ में निहित प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के प्रावधान और उसके आधार पर बनाए गए नियम, कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३), बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६९) और खान अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ३५) के प्रावधानों के अलावा होंगे, और उनकी अवमानना में नहीं होंगे।

टिप्पणी

यह धारा निर्धारित करती है कि अधिनियम के प्रावधान, कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३), बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६९) और खान अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ३५) के प्रावधानों के अलावा होंगे और उनकी अवमानना में नहीं।

२१. कठिनाइयाँ दूर करने का अधिकार – (१) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में कोई परेशानी होती है, तो केंद्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन द्वारा, जैसा उसे समीचीन लगे, इस तरह के प्रावधानों को इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न बनाते हुए या कठिनाई को हटाने के लिए व्यावहारिक उपाय ढूँढ़े:

बशर्ते कि जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त अधिनियम की दिनांक से तीन साल की अवधि समाप्ति के बाद ऐसी कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(२) बशर्ते कि इस धारा के तहत बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के सदनों के समक्ष रखा जाए।

टिप्पणी

इस धारा के प्रावधानों के अधीन केंद्रीय सरकार को अधिकार है कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करते समय आने वाली अड़चनों को दूर करें।

२२. निरसन और अपवाद –(१) बाल नियोजन अधिनियम, १९३८ (१९३८ का २६) एतद्वारा निरस्त किया जा रहा है।

(२) इस प्रकार के निरसन के बावजूद, इस प्रकार निरस्त अधिनियम के तहत किया गया कार्य या की गई कार्रवाई या कथित रूप से किया गया कार्य या की गई कार्रवाई, जिस हद तक वह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, इस अधिनियम के समरूपी प्रावधानों के अधीन किया गया या लिया गया माना जाएगा।

टिप्पणी

इस धारा द्वारा बाल नियोजन अधिनियम, १९३८ (१९३८ का २६) को निरस्त किया जाता है।

निहित निरसन – यह सुस्पष्ट है कि जब कोई सक्षम प्राधिकारी कोई नया कानून बनाता है, जो पिछले कानून से पूरी तरह असंगत है और दोनों एक साथ मान्य नहीं हो सकते हैं, तो यह आशय निकालना चाहिए कि पिछला कानून परवर्ती कानून के आवश्यक निहितार्थ द्वारा निरस्त किया गया है।

२३. १९४८ के अधिनियम ११ का संशोधन- न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, १९४८ की धारा २-

(क) खंड (क) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, यथा :

“(ए) ‘किशोर’ का मतलब है कोई व्यक्ति जिसने उम्र के चौदह वर्ष पूरे कर लिए हैं लेकिन जिसने अपना अठारहवाँ साल पूरा नहीं किया है;

(एए) ‘वयस्क’ का मतलब है कोई व्यक्ति जिसने उम्र के अठारह वर्ष पूरे कर लिए हैं;”

(ख) खंड (बी) के बाद, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किया जाएगा, यथा:

“(बीबी) ‘बच्चा’ का मतलब है कोई व्यक्ति जिसने उम्र के चौदह वर्ष पूरे नहीं किए हैं;”

टिप्पणी

इस धारा के अधीन, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, १९४८ की धारा २ को संशोधित किया गया है ताकि वह शब्द 'किशोर' 'वयस्क' और 'बच्चा' को परिभाषित कर सके।

२४. १९५१ के अधिनियम ६९ में संशोधन - बागान श्रम अधिनियम, १९५१ में -

(क) धारा २ में, खंड (क) और (ग) में शब्द "पंद्रह", शब्द "चौदह" द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

(ख) धारा २४ छोड़ा जाएगा;

(ग) धारा २६ में, प्रारंभिक अंश में मौजूद शब्द "जिसने अपनी उम्र के बारह वर्ष पूरे कर लिए हैं" छोड़ा जाएगा।

टिप्पणी

इस धारा के अधीन, बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ की धारा २ को, उस हद तक संशोधित किया गया है जितना वह बाल श्रमिक के नियोजन से संबंधित है

२५. १९५८ के अधिनियम ४४ में संशोधन - व्यापारिक जहाज़ अधिनियम, १९५८ की धारा १०९ में शब्द "पंद्रह", शब्द "चौदह" द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

टिप्पणी

इस धारा के अधीन, व्यापारिक जहाज़ अधिनियम, १९५८ की धारा १०९ को, उस हद तक संशोधित किया गया है जहाँ तक वह बाल श्रम के नियोजन से संबंधित है।

२६. १९६१ के अधिनियम २७ में संशोधन - मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१ की धारा २ के खंड (क) और (ग) में शब्द "पंद्रह", शब्द "चौदह" द्वारा प्रतिस्थापित होगा।

टिप्पणी

इस धारा के अधीन, मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१ की धारा २ को, उस हद तक संशोधित किया गया है जहाँ तक वह बाल श्रम के नियोजन से संबंधित है।

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) नियम १९८८

जीएसआर ८४७ (ई), दिनांकित १० अगस्त, १९८८ – उक्त अधिनियम की धारा १८ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, यथा:

टिप्पणी

नियम बनाने की शक्ति - अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावित करने के लिए नियमों को तैयार करने की सामान्य शक्ति, स्पष्ट रूप से ऐसे नियम बनाने को प्राधिकृत और परिष्कृत करते हैं।

१. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ - (१) इन नियमों को बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) नियम, १९८८ कहा जा सकता है।

(२) वे सरकारी गजट (राजपत्र) में उनके प्रकाशन की तारीख से अनिवार्य होंगे।

टिप्पणी

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) नियम, १९८६ की धारा १८ (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा ये नियम बनाए गए हैं।

नियम – क्या वैध रूप से बनाए गए हैं - सवाल कि क्या अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम वैध रूप से बनाए गए हैं, अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण से निर्धारित किए जा सकते हैं।

२. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" का अर्थ है "बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) नियम, १९८६ (१९८६ का ६१) ;

(ख) "समिति" का अर्थ है अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा (१) के अधीन गठित बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति;

(ग) "अध्यक्ष" का अर्थ है अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा (२) के अधीन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ती;

(घ) "फार्म" का मतलब है, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र;

(ङ) "रजिस्टर" का अर्थ है अधिनियम की धारा ११ के अधीन रजिस्टर संधृत सेक के तहत होना आवश्यक;

(च) "अनुसूची" का अर्थ है अनुसूची अधिनियम से संलग्न;

(छ) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा;

टिप्पणी

यह नियम, नियमों में होने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है।

न्यायालय द्वारा व्याख्या – न्यायालय केवल धारा की व्याख्या कर सकता है, वह धारा को पुनः लिख, नए रूप में ढाल या पुनः अभिकल्पित नहीं कर सकता है।

अन्यथा – का क्या मतलब है - शब्द "अन्यथा" को "परिपत्रों, विज्ञापन" शब्द के समान आशय वाला न माना जाए।

३. समिति के सदस्यों का कार्यकाल - (१) समिति के सदस्यों का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में उनकी नियुक्ति अधिसूचित करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी।

बशर्ते कि केंद्र सरकार दो वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए समिति के सदस्य का कार्यकाल बढ़ा सकती है।

बशर्ते कि आगे वह सदस्य, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, उत्तराधिकारी द्वारा अपना पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है।

(२) उप-नियम (१) के तहत नियुक्त सदस्य पुनः-नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

टिप्पणी

"होगा" की व्याख्या "हो सकता है" के रूप में नहीं की जा सकती है

उपबंध - अब्दुल जौहर बट बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य में, यह निर्णय किया गया कि किसी उपबंध को उस प्रमुख मामले से जोड़ कर विचार करना चाहिए जिसका वह उपबंध हो।

४. समिति के सचिव - केंद्रीय सरकार किसी ऐसे अधिकारी को समिति के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकती है जिसका दर्जा भारत सरकार के अवर सचिव से नीचे नहीं है।

टिप्पणी

यह नियम केंद्रीय सरकार को किसी अधिकारी को बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के सचिव के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देता है, जिसका दर्जा भारत सरकार के अवर सचिव से नीचे नहीं है।

५. गैर-सरकारी सदस्यों को भत्ता - समिति के गैर-सरकारी सदस्य और अध्यक्ष को ऐसे शुल्क और भत्ते का भुगतान किया जा सकता है, जो चार हजार पाँच सौ या अधिक वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य हो।

६. पंजीकरण - (१) कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित स्व-लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

(२) अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार को संबोधित स्व-लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

(३) उप-नियम (१) और उप-नियम (२) में निर्दिष्ट त्याग-पत्र, अध्यक्ष या केंद्रीय सरकार द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, स्वीकृति दिनांक से या ऐसे त्यागपत्र के प्राप्ति दिनांक से तीस दिनों के समापन पर, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

७. समिति के अध्यक्ष या सदस्य को हटाना - केंद्रीय सरकार द्वारा समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को प्रस्तावित बर्खास्तगी के प्रति कारण बताने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के बाद कार्यकाल के समापन से पूर्व किसी भी समय हटाया जा सकता है।

टिप्पणी

यह नियम केंद्रीय सरकार द्वारा समिति के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के लिए प्रक्रिया स्थापित करता है।

८. सदस्यता की समाप्ति - यदि सदस्य -

(क) लगातार समिति के तीन या अधिक बैठकों में बिना अध्यक्ष की अनुमति के अनुपस्थित रहता है; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किया जाता है; या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी है या दोषी पाया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है; या

(घ) दिवालिया है, या किसी समय अदालत द्वारा दिवालिया घोषित किया गया या उसने अपने कर्ज को निलंबित कर दिया गया है या अपने लेनदारों से संयोजित है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

टिप्पणी

यह नियम सदस्यता की समाप्ति से संबंधित मामले से जुड़ा है।

९. आकस्मिक रिक्तियों को भरना - यदि कोई सदस्य नियम ६ के अधीन त्याग-पत्र देता है या नियम ८ के तहत सदस्य नहीं रहता है, तो इस प्रकार उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति को केंद्रीय सरकार द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्य के असमाप्त कार्यकाल के अंश के लिए पद धारण करेगा।

टिप्पणी

यह नियम केंद्रीय सरकार को आकस्मिक रिक्तियाँ भरने के लिए सशक्त करता है और यह स्थापित करता है कि इस प्रकार नियुक्त सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्य के असमाप्त कार्यकाल के अंश के लिए पद धारण करेगा।

१०. बैठकों का समय और स्थान - इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर समिति की बैठक आयोजित होगी।

११. बैठकों की सूचना - समिति के सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक के लिए उक्त बैठक की कार्य-सूची सहित निर्धारित समय और स्थान की सूचना, समिति के प्रत्येक सदस्य को कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी।

१२. बैठकों की अध्यक्षता - समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, उस बैठक में उपस्थित अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, तथापि, अगर किसी कारणवश अध्यक्ष बैठक में भाग लेने में असमर्थ हों, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा आपस में चयनित किसी सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

टिप्पणी

"होगा" - यह सर्वविदित सिद्धांत है कि कानून की व्याख्या करते समय जहाँ परिस्थिति और संदर्भ द्वारा अपेक्षित हो, किसी धारा या नियम में शब्द "होगा" के प्रयोग को "हो सकता है" के अर्थ में लेना चाहिए।

१३. कोरम - समिति की बैठक में कोई कार्यवाही संपन्न नहीं होगी जब तक कि अध्यक्ष और सचिव के अलावा कम से कम समिति के अन्य तीन सदस्य उपस्थित हों।

बशर्त कि किसी भी बैठक में जब कुल सदस्यों में से तीन से कम सदस्य मौजूद हों, तो अध्यक्ष बैठक को अपने विवेकानुसार किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित कर सकते हैं और उपस्थित सदस्यों को सूचित कर सकते हैं तथा अन्य सदस्यों को सूचित करेंगे कि कोरम का लिहाज़ किए बिना निर्धारित बैठक की कार्यसूची पर स्थगित दिनांक को आयोजित होने वाली बैठक में चर्चा संपन्न होगी और ऐसी स्थगित बैठक में सदस्यों की उपस्थिति पर ध्यान दिए बिना कार्यवाही करना विधिसम्मत होगा।

टिप्पणी

प्रावधान का दायरा - प्रावधान का दायरा अच्छी तरह स्थापित है। *राम नारायण संस लिमिटेड बनाम बिक्री कर के सहायक आयुक्त के मामले में*, यह निर्णय किया गया कि:

"व्याख्या का यह प्रधान नियम है कि कानून के किसी विशेष प्रावधान के लिए केवल मुख्य प्रावधान द्वारा आवृत क्षेत्र को ही ग्रहण किया जाता है। यह उस मुख्य प्रावधान का एक अपवाद उपस्थित करता है जिसके लिए उसे एक प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया है और किसी अन्य के लिए नहीं।"

१४. बहुमत का निर्णय - समिति की बैठक में विचार किए गए सभी प्रश्नों पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा और मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष, या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को, जैसा भी मामला हो, द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

टिप्पणी

यह नियम कहता है कि समिति द्वारा अपनी बैठक में विचार किए गए मामलों पर उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाए। आगे नियम यह भी कहता है कि अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

१५. उप-समिति - समिति द्वारा एक या एकाधिक उप-समितियों का गठन किया जा सकता है, चाहे उसमें केवल समिति के सदस्य हों या आंशिक रूप से समिति के सदस्य और आंशिक रूप से अन्य लोग, जिन्हें ऐसे प्रयोजन के लिए वह उपयुक्त मानें और निर्णय लें तथा इस प्रकार गठित उप-समिति ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी, जिन्हें समिति द्वारा उन्हें सौंपा गया हो।

१६. अधिनियम की धारा ११ के अधीन अनुरक्षित पंजी - (१) प्रतिष्ठान का प्रत्येक अधिवासी फॉर्म ए में, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमत बच्चों से संबंधित पंजी का अनुरक्षण करेगा।

(२) पंजी का अनुरक्षण वार्षिक आधार पर किया जाएगा, लेकिन नियोक्ता द्वारा उसमें की गई अंतिम प्रविष्टि दिनांक के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए उसका अनुरक्षण किया जाएगा।

टिप्पणी

इस नियम के तहत किसी प्रतिष्ठान के प्रत्येक अधिवासी के लिए ज़रूरी है कि वह नियोजित या कार्य करने के लिए अनुमत बच्चों को दर्शाते हुए एक वार्षिक पंजी का अनुरक्षण करें और ऐसी पंजियों को तीन वर्षों के लिए बनाए रखें।

१७. उम्र के प्रमाण पत्र - (१) अनुसूची के भाग क में निर्दिष्ट किसी भी व्यवसाय में नियोजित या किसी ऐसी कार्यशाला में नियोजित सभी युवा लोग, जहाँ अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट कोई भी प्रक्रिया संचालित होती हो, निरीक्षक द्वारा जब भी उनसे ऐसा करने के लिए कहा जाए, उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी से आयु प्रमाण-पत्र दिखाएँगे।

(२) उप-नियम (१) में निर्दिष्ट आयु प्रमाण-पत्र फॉर्म 'बी' में जारी किया जाएगा।

(३) ऐसे प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को देय शुल्क उतना ही होगा, जितना राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने संबंधित चिकित्सा मंडलों के लिए निर्धारित किया जाए।

(४) चिकित्सा प्राधिकारी को देय शुल्क उस युवा व्यक्ति के नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा, जिसकी उम्र पर सवाल उठाया जा रहा हो।

स्पष्टीकरण - उप-नियम (१) के प्रयोजनों के लिए, उपयुक्त "चिकित्सा प्राधिकरण" कोई ऐसा सरकारी मेडिकल डॉक्टर होगा, जिसका दर्जा जिले के सहायक सर्जन के दर्जे से कम ना हो या कोई नियमित डॉक्टर या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में कार्यरत समान दर्जे का डॉक्टर।

टिप्पणी

स्पष्टीकरण - यह सही तरह निर्दिष्ट नहीं है कि किसी सांविधिक प्रावधान में जोड़ा गया स्पष्टीकरण किसी भी मायने में ठोस प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसा कि शब्द से जुड़ा अर्थ स्वयमेव दर्शाता है यह केवल समझाने के लिए है और कुछ अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने के लिए है, जो सांविधिक प्रावधान से स्वतः जुड़ गए हों।

फार्म ए
[देखें नियम १६ (१)]

वर्ष

नाम और नियोक्ता का पता काम का

स्थान.....

संस्थान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति

क्र. सं.	बच्चे का नाम	पिता का नाम	जन्म की तारीख	स्थायी पता	
१	२	३	४	५	६

कार्य की प्रकृति जिस पर कार्यरत	काम के दैनिक घंटे	आराम का अंतराल	मजदूरी का भुगतान	टिप्पणियाँ	
७	८	९	१०	११	

फार्म बी
(आयु का प्रमाण पत्र)
[नियम १७ (२) देखें]

प्रमाणपत्र नं.

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने व्यक्तिगत रूप से जांच की है कि (नाम पुत्र / पुत्री निवास स्थान में रहने वाले हैं और वह उसने अपनी उम्र के १४ वर्ष पूरे कर लिये हैं और उसके / उसकी उम्र, का लगभगवर्ष (पूरे किए हैं), मेरी परीक्षा से जांच की जा सकती है।

उसका/उसकी वर्णनात्मक चिह्न

हैं.....

बच्चे के अँगूठे की छाप / हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

चिकित्सा प्राधिकारी

पदनाम

परिशिष्ट

बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम, १९८६

एस.ओ. ३३३ (ई), दिनांकित २६ मई, १९३३ - बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का ६१) की धारा १ की उप-धारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत के पूरे राज्य-क्षेत्र में अवस्थित प्रतिष्ठानों के सभी वर्गों के संबंध में, जहाँ उक्त अधिनियम की धारा ३ में निर्दिष्ट कोई भी व्यवसाय या प्रक्रियाएँ चलाई नहीं जाती हैं, उक्त अधिनियम के भाग ३ के प्रावधानों के लिए २६ मई, १९९३ को प्रभावी दिनांक के रूप में नियुक्त करती है।

अनुलग्नक - क

अनुसूची (देखें अनुभाग ३)

भाग क

व्यवसाय

कोई भी व्यवसाय जिसका संपर्क निम्न प्रक्रियाओं से हो :-

१. रेलवे द्वारा यात्रियों, माल या मेल के परिवहन;
२. राख उठाना, एश पिट्स को साफ़ करना अथवा रेलवे परिसर में निर्माण कार्य।
३. रेलवे स्टेशन के किसी खानपान प्रतिष्ठान में काम, एक विक्रेता अथवा प्रतिष्ठान के किसी अन्य कर्मचारी के एक प्लेटफार्म से अन्य प्लेटफार्म अथवा चलती रेलगाड़ी अंदर अथवा बाहर चलन से सम्बंधित।
४. रेलवे स्टेशन के निर्माण से सम्बंधित कार्य अथवा कोई अन्य कार्य जहाँ कार्य रेल पटरी के समीप अथवा मध्य होता हो।
५. एक बंदरगाह नियोग जो बंदरगाह कि सीमाओं के मध्य हो।
६. अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानों में फटाकों तथा आतिशबाजी कि बिक्री से सम्बंधित कार्य।
७. कसाईखाने में।
८. ऑटोमोबाइल कार्यशालाओं और गराज।
९. ढलाई।
१०. विषाक्त अथवा ज्वलनशील पदार्थों विस्फोटक पदार्थों का प्रबंधन।
११. हथकरघा तथा मशीन करघा उद्योग।
१२. खानों (भूमिगत तथा जल के निचे) तथा कोयला खानों में।
१३. प्लास्टिक इकाइयों और फाइबर ग्लास कार्यशालाओं।

प्रणालियाँ

(खंड ३ देखें)

व्यवसाय

भाग ख

१. बीड़ी बनाना।
२. कालीन-बुनना।
३. सीमेंट उत्पादन, जिसमें सीमेंट को थैलियों भरना सम्मिलित है।
४. कपड़ों की छपाई, रंगाई तथा बुनाई।
५. माचिस, विस्फोटक तथा आतिशबाजियों का उत्पादन।
६. माईका को काटना तथा चीरना।
७. चपड़ा निर्माण
८. साबुन निर्माण
९. टेनिंग
१०. ऊन की सफाई
११. भवन और निर्माण उद्योग
१२. स्लेट पेंसिल (पैकिंग सहित) का निर्माण
१३. ऐगट (सुलेमानी पत्थर) से उत्पादों का विनिर्माण
१४. विषाक्त धातुओं तथा पदार्थों जैसे सीसा, पारा, मैंगनीज, क्रोमियम, कैडमियम, बेजीन, कीटनाशक तथा एस्बेस्टस का उपयोग करने वाली निर्माण प्रणालियाँ।

१५. कारखाना अधिनियम, १९४८(१९४८ का ६३) के अनुच्छेद २(क ब) में परिभाषित “खतरनाक प्रक्रियाएं” तथा अनुच्छेद ८७ के अंतर्गत बनाये गए नियमों में टिपणी के अनुसार ‘असुरक्षित कार्य’
१६. कारखाना अधिनियम, १९४८(१९४८ का ६३) के अनुच्छेद २(क) (iv) के अंतर्गत परिभाषित छपाई
१७. काजू तथा काजू बादामों को अपने कवचों से निकालना तथा अन्य प्रक्रियाएं।
१८. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सोल्डरिंग की प्रक्रिया।
१९. अगरबत्ती का निर्माण
२०. गाड़ियों को सुधारना तथा रखरखाव जिसमें प्रासंगिक प्रक्रियाएं जैसे वेल्डिंग, लेट मशीन का काम, पीटकर गड़ढा बनाना तथा पेंटिंग सम्मिलित हैं।
२१. ईंट भट्टों और रूफ टाइलों की इकाइयां
२२. कपास को ओटना तथा अन्य प्रक्रियाएं तथा मोड़े गंजी इत्यादि सामान का उत्पादन
२३. डिटर्जेंट निर्माण
२४. फैब्रिकेशन कार्यशालाओं (लौह और अलौह)
२५. रत्न को काटना और चमकाना
२६. क्रोमाईट तथा मैंगनीज कच्चे धातुओं का प्रबंधन।
२७. जूट वस्त्र का निर्माण और कॉयर बनाना
२८. चुना भट्टी तथा चुने का उत्पादन।
२९. ताला बनाना
३०. उत्पादन प्रक्रियाएं जिसमें सीसे का प्रयोग होता हो जैसे प्राथमिक तथा माध्यमिक धातुओं को पिघलना, सीसे की रंगाई वाली धातु संरचना की वेल्डिंग तथा कटाई, कलाई वाले अथवा जिंक सिलिकेट की वेल्डिंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्रिस्टल कांच के ढेर का मिश्रण(हाथों द्वारा), सीसा रंग को निकालना अथवा झारना, एनेमेलिंग वर्कशॉप में सीसा जलाना, सीसे का खनन, प्लम्बिंग/(नलसाजी), तार बनाना, वायर पेटेंटींग, सीसा ढलाई, छपाई कारखानों में प्रकार स्थापना, टाइपसेटिंग (प्रकाशन उद्योग के सांचे) को जमाना, कार के पुर्जों को जोड़ना, शोट मेकिंग तथा सीसा कांच की ब्लोईंग।

३१. सीमेंट पाइप, सीमेंट उत्पादों और अन्य संबंधित कार्य का निर्माण
३२. कांच, कांच से बने पदार्थ चूड़ियों सहित, फ्लोरोसेंट ट्यूब, बल्ब और अन्य इसी तरह के कांच उत्पादों का निर्माण ।
३३. रंग तथा रंगाई की वस्तुओं का उत्पादन।
३४. कीटनाशकों का उत्पादन अथवा प्रबंधन।
३५. क्षयकर तथा विषैली वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण करना अथवा प्रबंधन करना, धातुओं की सफाई तथा फोटो उत्कीर्णन तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की सोल्डरिंग प्रणाली।
३६. ज्वलनशील कोयले तथा कोयले की ईंटों का उत्पादन।
३७. खेल कि सामग्रियों का उत्पादन जिसमें सिंथेटिक सामग्री, रसायनों तथा चमड़े का उपयोग होता हो।
३८. फाईबरग्लास तथा प्लास्टिक का उत्पादन तथा प्रयोग।
३९. तेल निष्कासन तथा परिशोधन।
४०. कागज बनाना
४१. पॉटरीज और चीनी मिट्टी उद्योग
४२. पीतल के सामान की सभी रूपों में चमकाई, सजावटी गढ़ाई, कटाई, वेल्डिंग तथा उत्पादन।
४३. खेती की प्रक्रियाएं जहाँ ट्रैक्टर, गहने तथा कटाई की मशीनों का उपयोग होता है तथा भुस की कटाई।
४४. आराधर - सभी प्रक्रियाएं।
४५. रेशम उत्पादन के प्रक्रमण।
४६. चमड़ा तथा चमड़े के उत्पादों के निर्माण हेतु खाल निकालना, रंगाई तथा अन्य प्रक्रियाएं।
४७. पत्थर तोड़ने और पत्थर को पीसना
४८. तम्बाकू प्रक्रमण जिसमें तम्बाकू, तम्बाकू के पेस्ट का निर्माण तथा तम्बाकू का किसी भी रूप में प्रबंधन सम्मिलित हैं।

४९. टायर का निर्माण, मरम्मत, री-ट्रीडिंग तथा ग्रेफाइट का बेनिफिसिएशन।

५०. बर्तनों का निर्माण, चमकाई तथा धातु की घिसाई(बफिंग)।

५१. 'जरी निर्माण(सभी प्रक्रियाएं)'।

५२. इलेक्ट्रोप्लेटिंग

५३. ग्रेफाइट को पीसना तथा प्रासंगिक प्रक्रमण।

५४. धातुओं को पीसना या चमकाना।

५५. हीरा कटिंग और पॉलिश।

५६. खानों से स्लेट का उत्खनन।

५७. चीथड़े बीनना तथा सफाई सम्बन्धी कार्य।

(क) . आइटम (२) के लिए, निम्न आइटम प्रतिस्थापित किये जाएंगे,
अर्थात्: -

" प्रारंभिक और आकस्मिक प्रक्रिया सहित कालीन की बुनाई "क्या है";

(ख) . आइटम (४) के लिए, निम्न आइटम प्रतिस्थापित किये जाएंगे,
अर्थात्: -

" प्रारंभिक और आकस्मिक प्रक्रिया सहित कपड़े की छपाई, रंगाई और बुनाई
"क्या है";

(ग) . आइटम (११) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाएंगे,
अर्थात्: -

"(११) प्रक्रमण (प्रासेसिंग) और ग्रेनाइट पत्थरों का चमकाने सहित भवन और निर्माण
उद्योग"।

* दिनांक ५ जून १९८९ में भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एस ओ ४०४ (ई) द्वारा
प्रकाशित निर्देश
असाधारण।

दिनांक २९ मार्च १९९४ में भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एस ओ २६३ (ई) द्वारा
प्रकाशित निर्देश
असाधारण।

\$ दिनांक २७ जनवरी १९९९ में भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एस ओ ३६ (ई)
द्वारा प्रकाशित क्रम संख्या ८-१३ भाग क में और क्रम संख्या १९-५१ भाग ख के निर्देश
दिनांक १० मई २००१ में भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एस ओ ३९७ (ई) द्वारा
प्रकाशित क्रम संख्या ८-१३ भाग ख के निर्देश
असाधारण।

अनुलग्नक ख

१०.१२.१९९६ के अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ

बाल श्रम के उन्मूलन के मुद्दे पर १० दिसंबर, १९९६ को एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य की रिट याचिका (नागरिक) सं. ४६५/१९८६ पर भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए। निर्णय की मुख्य विशेषताएं निम्नतः हैं:

- काम करने वाले बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण;
- उद्योग में काम करने वाले बच्चों को वहाँ से बाहर निकालना और उचित संस्थानों में उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना;
- उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को इस उद्देश्य के लिए स्थापित की जाने वाली कल्याण निधि में रु. २०,०००/- प्रति बच्चे की दर से अंशदान का भुगतान करना होगा;
- इस प्रकार काम से छुड़ाए गए बच्चे के परिवार के एक वयस्क सदस्य को रोजगार और यदि यह संभव न हो, तो राज्य सरकार द्वारा कल्याण निधि में रु. ५,०००/- का अंशदान देना होगा;
- काम से इस प्रकार हटाए गए बच्चों के परिवारों को, वास्तव में बच्चे को स्कूल भेजे जाने की अवधि तक, कल्याण निधि में जमा रु. २०,००० / २५,००० के संग्रह पर अर्जित ब्याज से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए;
- गैर-खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों के लिए काम के घंटों का विनियमन, ताकि सुनिश्चित हो सके कि उनका कार्य-समय छह घंटे प्रति दिन से ज्यादा न हो और शिक्षा के लिए उन्हें हर रोज कम से कम दो घंटे मिले। शिक्षा का पूरा व्यय संबद्ध नियोक्ता द्वारा वहन किया जाए।

- माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन पर श्रम मंत्रालय द्वारा निगरानी रखी जा रही है और राज्य / संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर माननीय न्यायालय को दि. ०५.१२.९७, २१.१२.१९९९, ०४.१२.२००० और ०४.०७.२००१ को शपथ-पत्र के रूप में दिशा-निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट भेजी गई।

अनुलग्नक-ग

राज्यवार एनसीएलपी जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	जिले का नाम
१.	आंध्र प्रदेश	२३	अनंतपुर, चित्तौड़, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, मेडक, नलगोंडा, खम्मम, नेल्लोर, निज़ामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी, महबूबनगर, आदिलाबाद और कृष्ण
२.	असम	३	नागांव कोकराझार, और लखीमपुर
३.	बिहार	२४	नालंदा, सहरसा, जमुई, कटिहार, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगरिया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, सारण, पूर्णिया और भागलपुर
४.	छत्तीसगढ़	८	दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, रायपुर और कोरबा
५.	गोवा	१	गोवा
६.	गुजरात	९	सूरत, पंचमहल, भुज, बनास कांथा, दाहोद, वडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट
७.	हरियाणा	३	गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत (जारी है...)
८.	जम्मू एवं कश्मीर	३	जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर
९.	झारखंड	९	गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा), गुमला, पलामू, रांची और हजारीबाग
१०.	कर्नाटक	१७	बीजापुर, रायचूर, धारवाड़, बंगलौर ग्रामीण, बंगलौर शहरी, बेलगाम, कोप्पल, टुमकूर, दावनगेरे, हावेरी, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्गा,

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	जिले का नाम
			गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार और मांड्या
११.	मध्य प्रदेश	१७	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, धार, पूर्व निमाड़ (खंडवा), राजगढ़, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सीधी, गुना, बैतूल, शाजापुर, रतलाम, पश्चिम निमाड़ (खरगोन) और झाबुआ
१२.	महाराष्ट्र	१३	शोलापुर, ठाणे, पुणे, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापुर, जलगांव, नंदुरबार, नांदेड़, नासिक, यवतमाल, धुले और बीड
१३.	मिज़ोरम	१	आइजोल
१४.	नागालैंड	१	दीमापुर
१५.	उड़ीसा	१८	अंगुल, बारगढ़, बोलनगीर, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजाम, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़, संबलपुर, सोनेपुर, कटक और बालासोर (जारी है...)
१६.	पंजाब	३	जालंधर, लुधियाना और अमृतसर
१७.	राजस्थान	२३	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालोर, चुरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, सीकर, झुंझुनू, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर और बाड़मेर
१८	तमिलनाडु	१३	चिदम्बरनार (तूतीकोरिन), कोयंबटूर, धर्मपुरी, वेल्लोर, पुदुक्कोट्टई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, कृष्णागिरि, चेन्नई, इरोड, डिंडीगुल और थेनी।
१९	उत्तर प्रदेश	४२	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी, गोंडा, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर,

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	जिले का नाम
			कन्नौज, रायबरेली, उन्नाव, सुल्तानपुर, फतेहपुर , श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, बिजनौर, बांदा, गाजियाबाद, जौनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा और एटा।
२०	उत्तराखंड	१	देहरादून
२१	पश्चिम बंगाल	१८	बर्दवान, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तरी २४ -परगना, दक्षिण २४ - परगना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद मिदनापुर, मालदा, बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, नादिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पूर्वी मिदनापुर और दार्जिलिंग
कुल		२४९	

नोट: सूची में विशिष्ट रूप से दर्शाए (हाईलाईटेड) जिले वह हैं जिन्हें दसवीं योजना के तहत सम्मिलित किया गया है।

अनुलग्नक-घ

रोजगार निर्माण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर कुछ चालू प्रमुख योजनाएँ

क) ग्रामीण विकास मंत्रालय

- स्वर्ण जयन्ती ग्रीम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई): उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना। योजना समूह (क्लस्टर) दृष्टिकोण का पालन करती है जिसमें निहित है कि प्रत्येक ब्लॉक कुछ आर्थिक गतिविधियों में ध्यान केन्द्रित करेगा तथा ऐसी गतिविधियों से आय पैदा करेगा।
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई): योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करना है। मजदूरी भुगतान का एक अवयव भोजन के रूप में है।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एसएसएपी): एक सामाजिक सहायता संकुल (पैकेज) है जो वृद्धावस्था पेंशन, जीवन बीमा लाभों तथा मातृत्व लाभों को प्रदान करता है।
- इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई): अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के सदस्यों, मुक्त किए गए बँधुआ मजदूरों तथा गरीबी रेखा से नीचे के गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण गरीबों को घर बनाने के लिए अनुदान प्रदान करती है।
- ग्रामीण आवास के लिए क्रेडिट-सह-सब्सिडी योजना: योजना घर बनाने के लिए आंशिक ऋण तथा आंशिक सब्सिडी प्रदान करती है।

ख) शहरी विकास मंत्रालय

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसचेएसआरवाई): इसमें दो विशेष योजनाएँ हैं, जिनके नाम हैं: शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) तथा शहरी मजदूरी नियोजन कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)। योजना का वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्य द्वारा ७५ : २५ आधार पर होता है। योजना का क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है।

ग) ग्रामीण कृषि उद्योग मंत्रालय

- प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआईआरवाई): सभी आर्थिकरूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में स्व-रोजगार उद्यम की स्थापना करने के लिए (प्रत्यक्ष कृषि सम्बन्धी परिचालनों को छोड़ कर)।
- ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम (आरएलईजीपी): योजना का क्रियान्वयन केवीआईसी द्वारा किया जा रहा है तथा यह उद्यमिता कौशल का विकास तथा रोजगार निर्माण करने चाहती है। लक्ष्य समूह में ग्रामीण कारीगर, एसएचजी, तथा सहकारी समितियाँ शामिल हैं। केवीआईसी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

- चल स्वास्थ्य क्लीनिक केबीके जिलों का नियमित आधार पर दौरा करते हैं।
- अन्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल करता है।

ङ) आदिवासी मामलों का मंत्रालय

- आदिवासी प्रदेश में आश्रम पाठशालाओं, बालिकाओं तथा बालकों के लिए छात्रावासों को स्थापित करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।

च) आदिवासी मामलों का मंत्रालय

- खनन, बीड़ी बनाने इत्यादि जैसे कामगारों की कुछ श्रेणियों के लिए कल्याण कोष क्रियान्वित किया जा रहा है। कोष का उपयोग स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आवास और जल आपूर्ति पर विभिन्न कल्याण योजनाओं में किया जाता है।

अनुलग्नक -ड

एनसीएलपी सोसायटी के जिलों की मॉडल संरचना

१. जिला कलेक्टर	- अध्यक्ष
२. अवर कलेक्टर (विकास) / परियोजना निदेशक, डीआरडीए डीयूडीए / सचिव /सदस्य	- सदस्य सचिव
३. जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी	- सदस्य
४. जिला शिक्षा अधिकारी	- सदस्य
५. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	- सदस्य
६. सहायक श्रम आयुक्त / जिला श्रम अधिकारी	- सदस्य
७. जिला सामाजिक कल्याण / आदिवासी विकास अधिकारी	- सदस्य
८. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	- सदस्य
९. सीईओ, जिला परिषद	- सदस्य
१०. जिला राजस्व अधिकारी	- सदस्य
११. फैक्टरी निरीक्षक	- सदस्य
१२. प्रभारी अधिकारी, जिला उद्योग केंद्र	- सदस्य
१३. जिला परियोजना पोषण अधिकारी	- सदस्य
१४. जिला जन संपर्क अधिकारी	- सदस्य
१५. जिले के अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि	- सदस्य
१६. डाक विभाग के प्रतिनिधि	- सदस्य
१७. संसद सदस्य	- सदस्य
१८. विधायक / विधान परिषद के सदस्य	- सदस्य
१९. ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि(ओं)	- सदस्य
२०. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि	- सदस्य
२१. स्थानीय निकाय	- सदस्य
२२. गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि(ओं)	- सदस्य
२३. परियोजना निदेशक, एनसीएलपी	- सदस्य
२४. नियोक्ता / व्यापार समुदाय के प्रतिनिधि	- सदस्य

अनुलग्नक - च

ए- सोसायटी परियोजना का बजट

ए-1(ए) पारिश्रमिक (पुराने एनसीएलपी)

क्रम सं.	व्यय मद	राशि
१	परियोजना निदेशक (१)=(१x६०००x१२)	रु.७२,०००
२	फील्ड अधिकारी (२)=(२x४०००x१२)	रु.९६,०००
३	लिपिक सह एकाउंटेंट (१)=(१x२०००x१२)	रु.२४,०००
४	स्टेनो/डी ई ओ (१)=(१x२०००x१२)	रु.२४,०००
५	चालक (ड्राइवर) (१)=(१x२०००x१२)	रु.२४,०००
६	सहायक (हेल्पर)/चपरासी (१)=(१x१५००x१२)	रु.१८,०००
	कुल	रु. २,५८,०००

७.	डॉक्टर को मानदेय (प्रत्येक २० स्कूलों के लिए एक चिकित्सक) @ रुपये ५००० प्रति माह।
८.	मास्टर ट्रेनर के लिए मानदेय (एनसीएलपी के हर जिले के लिए एक मास्टर ट्रेनर) रुपये. ५००० प्रति माह.

ए-1(बी) पारिश्रमिक (पुराने एनसीएलपी)

क्रम सं.	व्यय मद	राशि
१	परियोजना निदेशक (१)=(१x६०००x१२)	रु.७२,०००
२	फील्ड अधिकारी (२)=(२x४०००x१२)	रु.९६,०००
३	लिपिक सह एकाउंटेंट (१)=(१x२०००x१२)	रु.२४,०००
४	स्टेनो/डी ई ओ (१)=(१x२०००x१२)	रु.२४,०००
५	चालक (ड्राइवर) (१)=(१x२०००x१२)	रु.२४,०००
६	सहायक (हेल्पर)/चपरासी (१)=(१x१५००x१२)	रु.१८,०००
	कुल	रु. २,५८,०००

७.	डॉक्टर को मानदेय (प्रत्येक २० स्कूलों के लिए एक चिकित्सक) @ रुपये ५००० प्रति माह।
८.	मास्टर ट्रेनर के लिए मानदेय (एनसीएलपी के हर जिले के लिए एक मास्टर ट्रेनर) रुपये. ५००० प्रति माह.

ए-II(ए) कार्यालय और संबंधित व्यय (पुराने एनसीएलपी)

क्रम सं.	व्यय मद	राशि
१	आवर्ती (कार्यालय व्यय)	रु.२,००,०००
२	गैर आवर्ती (केवल एक बार):	रु.३,५०,०००
	(i) वाहन रु. ३,००,०००	
	(ii) फर्नीचर रु. ५०,०००	

A-III अन्य व्यय

१.	सर्वेक्षण (दो बार १०वीं योजना अवधि के दौरान)	रु.२.७५ लाख प्रति जिला प्रति सर्वेक्षण के अनुसार
२.	शिक्षक प्रशिक्षण (प्रत्येक शैक्षिक प्रशिक्षक के लिए दो बार १०वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान)	रु. १५०० प्रति प्रशिक्षण प्रति शिक्षक
३.	जागरूकता विकास: १०वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जिले में जागरूकता विकास अभियान नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।	अधिकतम प्रति वर्ष १.२५ लाख की.

अनुलग्नक -छ

प्रत्येक ५० बच्चों के विशेष स्कूल के लिए वार्षिक बजट

क्रम सं.	व्यय मद	राशि
१	प्रशिक्षकों के लिए मानदेय: (i) (२) शैक्षिक = (२x१५००x१२) रु. ३६,००० (ii) व्यवसायिक (१) = (१x१५००x१२) रु. १८,००० (iii) लिपिक सह एकाउंटेंट (१) = (१x१४००x१२) रु. १६,००० (iv) चपरासी/सहायक(हेल्पर) (१) = (१x८००x१२) रु. ९,६००	रु. ८०,४००
२	वजीफा (१५०x५०x१२)	रु. ७८,०००
३	किराया, पानी, और बिजली (१०००x१२)	रु. १२,०००
४	शैक्षिक एवं व्यावसायिक माल	रु. १०,०००
५	आकस्मिक व्यय	रु. ४,०००
	कुल	रु. २,४४,४००

अनुलग्नक -ज

समाप्त अवधि के लिए वार्षिक प्रगति रिपोर्ट.....

I	परियोजना सोसायटी(नाम)			
(क)	कलेक्टर का नाम			
(ख)	परियोजना निदेशक का नाम			
(ग)	संपर्क नंबर			
	जिला कलेक्टर परियोजना निदेशक			
(घ)	कर्मचारियों की संख्या			
	(क) फील्ड अधिकारी (ख) लिपिक-सह-लेखाकार (ग)स्टेनो (घ)चपरासी			
II	विशेष स्कूल			
(क)	स्वीकृत विशेष स्कूलों की संख्या			
(ख)	कार्यरत विशेष स्कूलों की संख्या			
(ग)	पुनर्स्थापित विशेष स्कूलों की संख्या (स्थानांतरण के साथ)			
(घ)	इनके द्वारा चलाए स्कूलों की संख्या	(i) पीएस	(ii) गैर सरकारी संगठन	(iii) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
(ङ)	जिन व्यवसाय / उद्योगों से बच्चों को वापस ले लिया गया है उनका नाम			
(च)	एक दिन में विशेष स्कूल की शिक्षा की अवधि			
(छ)	बच्चों की कुल स्वीकृत संख्या	पुरुष	महिलायें	कुल

(ज)	वर्ष की शुरुआत में स्कूलों के नामांकित बच्चों की संख्या:			
(झ)	वर्ष में स्कूलों में भर्ती कराए गए बच्चों की संख्या			
	स्कूल से पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या			
	स्कूल से उतीर्ण हुए बच्चों की संख्या			
	शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल हुए बच्चों की संख्या			
	व्यवसायिक / शिल्प प्रशिक्षण (i) प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों की संख्या (ii) ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है			
	(i) इस परियोजना के तहत स्वीकृत स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या (ii) वास्तव में लगे हुए स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या	(i) शैक्षिक प्रशिक्षक (ii) व्यवसायिक प्रशिक्षक (i) शैक्षिक प्रशिक्षक (ii) व्यवसायिक प्रशिक्षक		
	स्वयंसेवी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण			
	(i) शैक्षिक प्रशिक्षकों के लिए आयोजित कार्यशालाओं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या / (ii) प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि का आयोजन करने वाली संस्था का नाम (iii) लाभान्वित शिक्षकों की संख्या			
	(i) व्यवसायिक प्रशिक्षक के लिए आयोजित कार्यशालाओं / प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या (ii) ट्रेड जिस में प्रशिक्षण दिया गया था (iii) लाभान्वित हुए व्यवसायिक प्रशिक्षकों			

	की संख्या	
	स्वास्थ्य देखभाल	
	स्वास्थ्य स्कूलों में वर्ष में जाँच की आवृत्ति	
	उसके तहत बच्चों की संख्या	
	आम बीमारी का पता चला	
	क्या दवाएं बांटी गईं	हां / नहीं
V	पोषण	
(क)	पोषण दिए जाने वाले दिनों की संख्या	
(ख)	दिए जाने वाले पोषण का प्रकार	अनाज: हां / नहीं शाकाहारी: हां / नहीं दाल / अंडा / अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
(ग)	क्या राज्य सरकार आदि की मध्याह्न भोजन योजना के रूप में अन्य स्रोतों से सहायता भी प्राप्त की जा रही है (कृपया निर्दिष्ट करें)	
VI	जागरूकता उत्पन्न करना	
(क)	कृपया परियोजना सोसायटी की बाल श्रम की रोकथाम / उन्मूलन के लिए जागरूकता उत्पन्न करने की गतिविधियों को निर्दिष्ट करें।	
VII	परियोजना सोसायटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण	
(क)	सर्वेक्षण पिछली बार कब आयोजित किया गया था	
(ख)	सर्वेक्षण के संचालन में शामिल एजेंसी (एजेंसियां)	
(ग)	सर्वेक्षण द्वारा पहचान किए गए बाल श्रमिकों की संख्या	खतरनाक कार्य गैर खतरनाक कार्य
(घ)	परियोजना सोसायटी द्वारा काम से इन बच्चों को वापस लेने के लिए गए	

	प्रयास		
VIII	निरीक्षण/दौरे		
(क)	भारत सरकार (कृपया निर्दिष्ट करें)		
(ख)	राज्य सरकार अधिकारी (कृपया निर्दिष्ट करें)		
(ग)	अन्य (उदा. एनएचआरसी आदि के लिए)		
IX	अन्य		
(क)	क्या बाल श्रमिकों के परिवारों को इनके तहत लिया गया है (i) आय सृजन योजना (आईआरडीपी / डीयूडीए / पीएमआरवाई आदि के रूप में) (ii) राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा योजना		
(ख)	क्या स्व-सहायता समूहों को बाल श्रम के माता पिता के बीच गठित किया गया है		
(ग)	पीटीए बैठकों की आवृत्ति		
(घ)	अन्य जानकारी		

.....
कार्यान्वयन एजेंसी की मुहर के साथ हस्ताक्षर

अनुलग्नक -झ

समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट.....

जिले का नाम.....

१.	सोसाइटी परियोजना
i)	तारीख, जिस पर परियोजना सोसायटी की कार्यकारी समिति की पिछली बैठक आयोजित की गई थी
iv)	बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए पीएस द्वारा जारी गतिविधियों: (जानकारी दे)
२.	विशेष स्कूलों
i)	क) विशेष स्कूलों की संख्या मंजूर ख) चालू विशेष स्कूलों की संख्या ग) इस तिमाही के दौरान खोले गये नए स्कूलों की संख्या है, यदि कोई हो: (तिथि, माह, और स्थान के विवरण) घ) स्वीकृत संख्या से कम संख्या वाले चल रहे स्कूलों का कारण, यदि लागू है: ड) तिमाही में स्कूलों के खुले दिनों की संख्या था: च) स्वीकृत बच्चों की संख्या: छ) बच्चों की कुल संख्या नामांकित: पुरुष / महिला / कुल ज) इस तिमाही के दौरान दाखिला नए बच्चों की संख्या: झ) स्कूल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या: <u>पुरुष</u> <u>महिलायें</u> <u>कुल</u> • तीसरी कक्षा: • चतुर्थ श्रेणी: • पांचवीं कक्षा: ञ) सोसायटी परियोजना/गैर सरकारी संगठन/अन्य के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की संख्या: ट) स्कूलों की संख्या / गैर सरकारी संगठन के नाम आदि के स्थान के बारे में विवरण (अलग पत्र संलग्न करें): ठ) स्कूलों के स्थान का विवरण / गैर सरकारी संगठन के नाम आदि (अलग पत्र संलग्न करें): ड) बच्चों को मुख्यधारा की कुल संख्या:

	• सीधे औपचारिक स्कूल (९ वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए): • ९-१४ वर्ष के बीच:
ii)	<u>वोकेशनल ट्रेनिंग (व्यवसायिक प्रशिक्षण (वीटी)):-</u> (क) वीटी प्रदान कर रहे स्कूलों की संख्या: (ख) वीटी में जा रहे बच्चों की संख्या: ग) ट्रेड/ ट्रेडों जिसमें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है: (विवरण बताता है कि व्यापार, प्रत्येक व्यापार में बच्चों की संख्या)
iii)	<u>स्वास्थ्य की देखभाल:-</u> क) तिमाही में आयोजित स्वास्थ्य जांच की संख्या ख) स्वास्थ्य जांच के माध्यम से कवर बच्चों की संख्या: ग) स्वास्थ्य कार्ड दिए गए बच्चों की संख्या: घ) आम बीमारियों के बारे में पता चला: ङ) बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई औषधीय सुविधाएं, यदि कोई हो: च) सरकारी डॉक्टरों द्वारा दौरा, यदि कोई हो:
iv)	<u>पोषण:</u> क) प्रतिदिन दिए जाने वाले पोषण का प्रकार: अनाज: हां / नहीं शाकाहारी: हां / नहीं दाल / अंडा / आदि हां / नहीं (कृपया निर्दिष्ट करें) ख) पोषण दिए गए दिनों की संख्या: ग) पोषण प्रदान किए गए बच्चों की संख्या: घ) पोषण पर प्रदान किए गए व्यय:
v)	<u>वजीफा:</u> क) वजीफा दिये गए बच्चों की संख्या : महीना / बच्चों की संख्या: ख) क्या वजीफा उपस्थिति से जुड़ा हुआ है: ग) वजीफा के भुगतान के लिए उपस्थिति को किस ढंग से लिया जाएगा, कृपया निर्दिष्ट करें: घ) जमा किये गये वजीफे की अवधि: ङ) वजीफा (महीना वार) पर किए गए व्यय:
vi)	<u>मनोरंजन:</u>

	क) क्या मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं: ख) दी गई सुविधाओं का प्रकार:
vii	<u>पूर्व छात्रों में से पढ़ाई छोड़ देने वाले/जारी रखने वाले</u> क) पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की सं, यदि कोई हैं (कारण निर्दिष्ट करें): ख) मुख्यधारा में पालन कर रहे छात्र: I) औपचारिक स्कूलों में वर्तमान अध्ययन कर रहे बच्चों की संख्या: II) पिछले/नये दाखिल हुए बच्चों की संख्या: III) एनसीएलपी विशेष स्कूलों में प्रदान किये जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण का उपयोग कर रहे बच्चों की संख्या:
viii)	<u>निरीक्षण का विवरण</u> क) निरीक्षण किए गये स्कूलों की संख्या: ख) निरीक्षण जिस स्तर पर आयोजित किया गया था: • कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट: • परियोजना निदेशक • अन्य ग) निरीक्षण की आवृत्ति:
ix)	तिमाही के दौरान कुल व्यय (मद-वार और पद-वार):
x)	तिमाही के अंत में अव्ययित संतुलन (मद वार)
xi)	अन्य मुद्दों, यदि कोई हों:

परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना,
_____ जिला,

अनुलग्नक -अ

नई राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एनसीएलपी) स्थापित करने के लिए चरण

१. जिले में खतरनाक और गैर-खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में लगे बच्चों की संख्या के बारे में सर्वेक्षण श्रम और शिक्षा विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा किए जाएँ। (सर्वेक्षण के लिए सुझाए गए संरूप की प्रति संलग्न है)।
२. बच्चे का नाम, पिता का नाम, आयु, पता तथा व्यवसाय/प्रक्रिया जहाँ से बच्चे की वापसी की जानी है जैसे विवरण को संकलित किया जाए।
३. एनसीएलपी (NCLPs) के तहत प्रस्तावित विशेष पाठशालाओं की संख्या तथा अवस्थितियों को जिला प्रशासन द्वारा अन्तिम रूप दिया जाए।
४. एनसीएलपी (NCLPs) की स्थापना के लिए औचित्य को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।
५. परियोजना सोसाइटी की संरचना को जिला कलेक्टर द्वारा अन्तिम रूप दिया जाए।
६. जिला कलेक्टर द्वारा सोसाइटी के उपनियम गठित किए जाएँ और उन्हें अन्तिम रूप दिया जाए।
७. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १८६० के अधीन जिला परियोजना सोसाइटी का पंजीकरण।
८. जिला कलेक्टर/ एनसीएलपी (NCLPs) के सभापति द्वारा प्रस्ताव को राज्य सरकार (श्रम सचिव) को अग्रसरित करना।
९. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव की अनुशंसा।
१०. भारत सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव का विचार।
११. भारत सरकार द्वारा स्वीकृति जारी करना।

१२. सभापति द्वारा परियोजना निदेशक तथा परियोजना सोसाइटी के अन्य कर्मचारियों की भर्ती।
१३. विशेष पाठशालाओं के संचालन के लिए सभापति, एनसीएलपी (NCLPs) द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के नामों को अन्तिम रूप देना।
१४. गैर-सरकारी संगठनों को विशेष पाठशालाओं का आवंटन।
१५. चयनित गैर-सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम।
१६. गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विशेष पाठशालाओं के लिए कर्मचारियों का चयन।
१७. विशेष पाठशालाओं में बच्चों का प्रवेश।
१८. राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन।

अनुलग्नक -ट

राष्ट्रीय बाल श्रम संरक्षण की योजना संशोधित - २००३

नीति:

सातवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम नीति १४ अगस्त, १९८७ को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित की गई थी। नीति नीति से वापस हटाए गए बच्चों को उचित रूप से पुनर्वास करने के मूलभूत उद्देश्य के साथ तैयार की गई थी जिससे बाल श्रम के ज्ञात सघनता के क्षेत्रों में बाल श्रम की घटनाओं को कम किया जाए। नीति में तीन मुख्य घटक शामिल हैं:-

i) **विधिक कार्य योजना:-** बाल श्रम से सम्बन्धित विधिक प्रावधानों के कठोर और प्रभावशाली प्रवर्तन पर जोर डालने के साथ;

ii) **सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करना:-** अन्य मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न चालू विकास कार्यक्रमों का जहाँ कहीं भी संभव हो बाल श्रम के लाभ के लिए उपयोग;

iii) **परियोजना-आधारित कार्य की योजना:-** बाल श्रम की उच्च सघनता के क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण के लिए परियोजना शुरू करना।

नीति के तहत १०वीं योजना अवधि के दौरान भी व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना जारी रहेगा।

उद्देश्य:

२. १९९१ की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या १.१ करोड़ से ऊपर थी। संसाधनों की रुकावटों और सामाजिक चेतना और जागरूकता के प्रचलित स्तर को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रम उन्मूलन हेतु १०वीं योजना के अन्त तक की समय सीमा तय की है। सभी प्रकार के बाल श्रम का उन्मूलन स्वयं में एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो खतरनाम क्षेत्रों में उन्मूलन के प्रयासों से आरम्भ होता है।

लक्ष्य समूह:

3. योजना के तहत, लक्ष्य समूह १४ वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और निम्नलिखित में कार्य कर रहे हैं:

- i) बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६ की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यवसाय और प्रक्रियाएँ; और/अथवा
- ii) व्यवसाय और प्रक्रियाएँ, जो उनके मन और स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करते हैं।

बाद की श्रेणी में, बच्चों की ओर नियोजन की संकटग्रस्तता को यथोचित रूप से स्थापित की जानी चाहिए। १३ व्यवसायों और ५७ प्रक्रियाओं की सूची **अनुलग्नक-क** में दी गई है।

कार्यनीति:

४. १९९१ की जनगणना के अनुसार, देश में कार्यरत बच्चों की कुल संख्या १.१२८ करोड़ थी। हालाँकि, एनएसएसओ सर्वेक्षण १९९९-२००० ने बाल श्रम के परिमाण को १.०४० करोड़ प्रतिबिम्बित किया है। पहले उदाहरण में, खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ एक अनुक्रमिक दृष्टिकोण अपनाए जाने का प्रस्ताव है। योजना के तहत, खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में लगे बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण के बाद, बच्चों को व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं की उपरोक्त श्रेणियों में से वापस हटाया जाना है, और तब उन्हें औपचारिक पाठशाला की प्रणाली में मुख्य-धारा में आने में सक्षम बनाने के लिए विशेष पाठशालाओं (पुनर्वास-सह-कल्याण केन्द्रों) में प्रवेश कराना है। १०वीं योजना कार्यनीति के तहत वोकेशनल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना भी प्रस्तावित है। दसवीं योजना कार्यनीति/कार्यक्रम के अवयव व्यापक रूप से पृष्ठ पर दर्शाए गए विवरणों को शामिल करते हैं।

कार्यक्रम के अवयव:

५. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अधीन, परियोजना क्षेत्र में बाल श्रमिकों के हित के ले भिन्न-भिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर ध्यान-केन्द्रित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली अभिसरण तथा प्रासंगिक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का एकीकृत दृष्टिकोण किए जाने की आवश्यकता है। १०वीं योजना में परियोजना के तहत की जाने वाली गतिविधियाँ हैं:

- (i) बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन को आगे बढ़ाना

- (ii) औपचारिक गैर-औपचारिक शिक्षा
- (iii) वोकेशनल प्रशिक्षण का प्रावधान
- (iv) आय और रोजगार निर्माण गतिविधियाँ
- (v) जिला पुनर्वास और बाल श्रम
- (vi) जन जागरूकता को बढ़ाना
- (vii) सर्वेक्षण और मूल्यांकन

कुछ महत्वपूर्ण अवयवों को बाद के अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है।

(i) विशेष पाठशाला (बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण केन्द्र):

कार्यरत बच्चों का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो परियोजना प्राधिकारियों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है। इस गतिविधि के तहत, औपचारिक/गैर-औपचारिक शिक्षा तथा पूर्व-वोकेशनल/शिल्प प्रशिक्षण देने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के द्वारा बाल श्रमिक विशेष पाठशालाएँ (पुनर्वास-सह-कल्याण केन्द्र) स्थापित किए जाने हैं। केन्द्रों में बच्चों को पूरक पोषाहार, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ, इत्यादि भी प्रदान की जाएँगी। काम में से वापिस हटाए गए बच्चों को शिक्षा की मुख्य-धारा के साथ जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए ये केन्द्र आवश्यक ही सेतु संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) अभिज्ञता जनन:

कार्यरत बच्चों के सीधे पुनर्वास के अलावा, बाल श्रम की बुराई के विरुद्ध जनता की महत्वपूर्ण चेतना को उत्तेजित कर तथा उसे जगा कर काम करने हेतु बच्चों की नई प्रविष्टि को रोकना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, नियमित आधार पर निरन्तर और सतत अभिज्ञता जनन कार्यक्रमों करने पड़ेंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक एनसीएलपी के सम्बन्ध में रु. १.२५ लाख प्रति वर्ष की धनराशि का एक बढ़ा हुआ बजटीय प्रावधान निर्धारित किया गया है।

(iii) सेवाओं का अभिसरण

दसवीं योजना में, बाल श्रम उन्मूलन प्रयासों को प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास (एचआरडी) के सर्व शिक्षा अभियान की योजना के साथ जोड़ा जाएगा। आशय है यह सुनिश्चित करना कि आयु समूह ५ - ८ वर्ष में सभी बच्चे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ एक घनिष्ठ, समन्वित प्रयास के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली से

जुड़ जाएँ। निरक्षरता के अलावा, गरीबी, बाल श्रम का एक प्रमुख कारण होने से, जिला स्तर पर क्रियान्वयन के अधीन विभिन्न योजनाओं के लाभों का तालमेल बिठा कर कार्यरत बच्चों के माता-पिता के आर्थिक स्तर को उठाना आवश्यक है। कार्यरत बच्चों के माता-पिता की काभी बड़ी संख्या ग्रामीण विकास विभाग के स्व-रोजगार और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत आच्छादित की जा सकती है। उपरोक्त उद्देश्यों के संदर्भ में, अपने स्थान पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर पर महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिसरण करने हेतु ठोक, ध्यान-केन्द्रित और कठोर प्रयासों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, श्रम इत्यादि जैसी अन्य विभागों की चालू योजनाओं के साथ अभिसरण समयबद्ध तरीके से बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य की अन्तिम प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

(iv) विधिक कार्रवाई का प्रवर्तन

यह महसूस किया जाता है कि १०वीं योजना अवधि के दौरान बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६ के प्रावधानों का एक अधिक ध्यान-केन्द्रित तथा प्रभावशाली प्रवर्तन जिलों में अपने स्थान पर रखे जाने की आवश्यकता है। राज्य और जिला स्तर पर कानून के प्रवर्तन के लिए ठोस और गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रवर्तन मशीनरी को उचित रूप से तेज और सक्रिय करना होगा।

६. (i) बाल श्रम की रोकथाम और इसके उन्मूलन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका की दृष्टि से, परियोजना में शिक्षा के एक अवयव का प्रावधान किया गया है। चूँकि कार्यरत बच्चे विविध पृष्ठभूमियों, कौशल और अनुभव से हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि विशेष पाठशालाओं में बच्चों को एक औपचारिक/गैर-औपचारिक ढाँचे पर एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम के साथ अधिकतम ३ वर्ष की अवधि के लिए शिक्षा दी जाए जिसके बाद बच्चों से ५वीं कक्षा के स्तर तक पहुँचने की अपेक्षा की जाती है। बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप विचार किया गया शिल्प और पूर्व-वोकेशनल प्रशिक्षण भी दिया जाना है। औपचारिक/गैर-औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद, बच्चों से ६टी कक्षा में औपचारिक शिक्षा की मुख्य-धारा के साथ जुड़ने की अपेक्षा की जाती है। कुछ बच्चे जो तीन वर्षों की शिक्षा पूरी करने से पहले मुख्य-धारा में आने में समर्थ हैं, उन्हें निर्धारित अधिकतम तीन वर्ष की अवधि से पहले मुख्य-धारा में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस बारे में सम्बन्धित एनसीएलपी द्वारा लचीलेपन का प्रयोग किया जा सकता है। वोकेशनल प्रशिक्षण की पसंद उन बच्चों को उपलब्ध होनी चाहिए जो विशेष पाठशालाओं में आरम्भिक प्रशिक्षण के पश्चात् कौशल-आधारित कार्य को लेना चाहते हैं। शिक्षा के अलावा,

विशेष पाठशालाओं के माध्यम से बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरक पोषाहार और स्वास्थ्य-देखभाल कल्याण आदानों का एक पैकेज भी प्रदान किया जाता है।

(ii) नामांकन का ध्यान-केन्द्र आयु समूह ९ - १४ वर्ष में बच्चों पर होना चाहिए। निम्न आयु समूह में कार्यरत बच्चों को सीधे औपचारिक पाठशाला प्रणाली (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक) से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

(iii) पाठ्यक्रम, कोर्स की विषय-वस्तु और पाठ्य सामग्री को बाल श्रम तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यरत एससीईआरटी, डीआईईटी, डीआरयू तथा गैर-सरकारी संगठनों जिला/राज्य स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार/जिला बाल श्रम परियोजना सोसाइटियों को जमीनी हालातों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। डीआईईटी, डीआरयू की सहायता से स्वयं-सेवकों के लिए जिला स्तर पर एक संक्षिप्त उन्मुखीकरण कार्यक्रम के रूप में प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।

(iv) बच्चे जिस काम में नियोजित हैं उस काम की प्रकृति पर विचार करते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विशेष पाठशालाएँ इस प्रकार से संचालित हों ताकि बच्चों को निषिद्ध नियोजन में काम करने से प्रभावशाली तरीके से रोजा जाए और उन्हें नियमित शिक्षा प्रणाली में मुख्य-धारा में आने में सक्षम बनाया जाए। इसलिए, काम पर जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने हेतु परियोजना सोसाइटियाँ/क्रियान्वयन एजेंसियों को विशेष पाठशालाओं के समय तथा अवधि के मामले में कुछ मात्रा में लचीलेपन की आज्ञा होती है

७. बाल श्रम परियोजना का एक विशिष्ट समय-ढाँचा है और यह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहेगा। विशेष पाठशालाओं के लिए पढ़ाने वाले स्वयं सेवक तथा परियोजना के अन्य कर्मचारी, सोसाइटी को स्पष्ट समझ/सहमति के साथ संलग्न होना चाहिए कि उन्हें, उनकी सेवाओं के लिए जोकि कमोवेश स्वैच्छिक प्रकृति की हैं तथा किसी भी हालत में स्थायी नहीं मानी जाएँगी, मानदेय की केवल एक समेकित धनराशि का भुगतान किया जाएगा। कोई नियमित वेतन-मान निर्धारित नहीं किया जाता है। जिला मुख्यालय स्तर पर शिक्षण स्वयंसेवकों की भर्ती की कोई केन्द्रीकृत प्रणाली नहीं होनी चाहिए। स्वयं सेवक क्रियान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चयनित तथा संलग्न स्थानीय समुदाय/गाँव से होने चाहिए। उनके चयन का मुख्य मानदण्ड समुदाय सेवा के निमित्त उनकी प्रतिबद्धता है। शैक्षणिक स्वयं सेवकों की योग्यता का न्यूनतम स्तर परियोजना सोसाइटियों के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

केन्द्रों के समय और अवधि लचीली हैं। केन्द्रों के समय उन बच्चों की सुविधा के अनुकूल समायोजित किया जाने चाहिए जो परियोजना के तहत लक्ष्य समूह हैं। जबकि विशेष पाठशाला की अवधि एक दिन में लगभग पाँच घंटे हो सकती है, तब भी प्रत्येक परियोजना कर्मी/स्वयं सेवक की इयूटी की अवधि एक दिन में पाँच घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि वे अन्यत्र भी काम करने के लिए सक्षम रहें। स्वयं सेवकों के समय, अवधि तथा कार्य के घंटों पर निर्णय लेते समय, परियोजना सोसाइटी को लक्ष्य समूह की सुविधा तथा परियोजना का उद्देश्य, जो प्राप्त करने की माँग की जाती है, को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

८. यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है जहाँ जिले में किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष पाठशालाओं के लिए निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, तो विशेष पाठशालाओं को नियमित पाठशालाओं के भवनों में पाठशाला के घंटे पूरे होने के उपरान्त भी चलाया जा सकता है,

९. कुछ महत्वपूर्ण और परिष्कृत मापदण्ड जिन्हें योजना में अब शामिल किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

(i) **वजीफा:** विद्यमान व्यवस्था में, हर माह रु. १००/- प्रति बच्चा प्रति माह संवितरित किया जा रहा था। संशोधित योजना के अनुसार, रु. १००/- प्रति माह प्रति बच्चे का वजीफा बच्चे के सफलतापूर्वक औपचारिक पाठशाला की मुख्यधारा में आने के बाद ही संवितरित किया जाएगा।

उस अवधि तक, वजीफे की धनराशि बच्चे के बैंक बचत खाते में नियमित रूप से जमा की जाएगी। वजीफे की संचित धनराशि बच्चे को उसके मुख्याधारा में आने के समय दी जा सकती है।

(ii) **पोषण:** विशेष पाठशालाओं में बच्चों के लिए पोषण के प्रावधान के लिए धनराशि को प्रतिदिन प्रति बच्चा रु. २.५ से बढ़ाकर रु. ५ कर दोगुना कर दिया गया है।

(iii) **स्वास्थ्य के अवयव:** विद्यमान योजना में, बच्चों में स्वास्थ्य-संबंधी पहलुओं की देखभाल के लिए किसी स्वास्थ्य अवयव का कोई पृथक बजट का प्रावधान नहीं था। संशोधित योजना में किसी चिकित्सक द्वारा बच्चों की नियमित तथा आवधिक प्रभावशाली स्वास्थ्य देखभाल को यथा स्थान रखने के लिए एक संस्थागत तंत्र रखने के लिए मानदेय की एक राशि

(हर २० पाठशालाओं के लिए एक चिकित्सक के लिए रु. ५,०००/- प्रति माह) का प्रावधान किया गया है।

एनसीएलपी चिकित्सक को इस आशय के दिशा-निर्देश दे सकता है कि उसे वजन, उँचाई इत्यादि सहित बच्चे के सामान्य विकास-संबंधी पहलुओं पर अधिक जोर देना चाहिए। हर बच्चे के संबंध में सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ एक स्वास्थ्य कार्ड अनुरक्षित करने की आवश्यकता है।

(iv) **वोकेशनल प्रशिक्षण:** विद्यमान योजना में, बच्चों/अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए किसी मास्टर ट्रेनर की सेवाओं के लिए अलग से किसी बजट का प्रावधान नहीं था। संशोधित योजना में, प्रत्येक एनएलसीपी के लिए एक मास्टर ट्रेनर की सेवाएँ लेने के लिए बजटीय प्रावधान [प्रत्येक एनसीएलपी के लिए एक मास्टर ट्रेनर को रु ५,०००/-] दिया गया है।

(v) **शैक्षणिक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण:** विद्यमान योजना में, शैक्षणिक अध्यापकों अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई कोई पृथक बजट का प्रावधान नहीं था। संशोधित योजना में, अध्यापकों को १०वीं योजना अवधि के दौरान दो बार प्रशिक्षण देने का बजटीय प्रावधान दिया गया है।

(vi) संशोधित योजना में, १०वीं योजना की अवधि के दौरान दो बार कार्यरत बच्चों का सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

परियोजना का क्रियान्वयन:

१०. (i) संपूर्ण परियोजना का क्रियान्वयन जिले के प्रशासनिक प्रमुख की अध्यक्षता में किसी पंजीकृत सोसाईटी के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है; अर्थात्, जिलाधीश / कलेक्टर/ जिला उपायुक्त। सोसाईटी के सदस्य सम्बन्धित सरकारी विभागों, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, आदि से लिए जा सकते हैं। जिला एनसीएलपी सोसाईटी की एक आदर्श संरचना अनुलग्नक-ड में दी गयी है।

(ii) परियोजना के क्रियान्वयन में, विशेषरूप से विशेष पाठशालाओं को चलाने के लिए, उपयुक्त स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, परियोजना सोसाईटी स्वयं भी कुछ कार्यक्रमों की गतिविधियों को सीधे तौर पर निष्पादन कर सकता है। परियोजना की गतिविधियों में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए योग्यता के बारे में परियोजना सोसाईटी स्वयं का मानदंड तैयार कर सकती है।

(iii) बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए, योजना को क्रियान्वित करने वालों कि ओर से अत्यधिक स्वेच्छा और एक उच्च स्तरीय प्रेरणा की मांग होती है। इसलिए, विशेष पाठशालाओं को चलाना, विश्वसनीय और विख्यात गैर सरकारी एजेन्सियों को सौंपा जाना चाहिए, जिसमें पंचायती राज संस्थान और ट्रेड यूनियन शामिल हैं। युवक संघ, वुमेन्स ग्रुप, विलेज क्लब, यूथ क्लब आदि जैसी छोटे क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सियों के माध्यम से विशेष पाठशालाओं को चलाने का प्रयोग सफल पाया गया है। परियोजना सोसाईटी द्वारा पर्याप्त जाँच और संतुलन वाली क्रियान्वयन एजेन्सियों को विशेष पाठशालाओं को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि प्रयाप्त मात्रा में अच्छे गैर सरकारी संगठन या क्रियान्वयन एजेन्सियाँ उपलब्ध नहीं हों, तो परियोजना सोसाईटी द्वारा केन्द्रों को केवल अस्थाई उपाय के तौर पर चलाया जा सकता है। हालाँकि, इन विशेष पाठशालाओं को उत्तरोत्तर ढंग से गैर सरकारी संगठनों और अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को बढ़ा देना चाहिए।

निगरानी और मूल्यांकन:

११. परियोजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नियमित निगरानी आवश्यक है। विभिन्न बाल श्रम परियोजनाओं का पर्यवेक्षण, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, यूनियन लेबर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति स्थापित की गई है। जिला स्तर पर, अध्यक्ष को परियोजना के काम-काज की लगातार समीक्षा करनी चाहिए। राज्य स्तर पर, सभापति को परियोजना के काम-काज की लगातार समीक्षा करना चाहिए। राज्य स्तर पर राज्य के श्रम विभाग (अथवा किसी अन्य पदनामित विभाग) द्वारा बाल श्रम परियोजनाओं के काम-काज की निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से संरक्षात्मक कानूनी प्रावधानों के प्रवर्तन का निरीक्षण करने और राज्य में बाल श्रम के मुद्दों के लिए एक केन्द्र-बिंदु के रूप में कार्य करने तथा बाल श्रमिकों के लाभ के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के समन्वय में सहायक बनने की अपेक्षा की जाती है।

जो कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का आवश्यक भाग है। परियोजनाओं की नियमित निगरानी के अलावा, मध्य-मार्गीय (मिड-कोर्स) सुधारात्मक उपाय करने तथा साथ ही परियोजनाओं की समग्र प्रभावकारिता का आँकलन करने के लिए आवधिक मूल्यांकन आवश्यक हैं।

राज्य सरकार की भूमिका:

१२. कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:-

- क. शिक्षा विभाग, एससीईआरटी, डीआईटी, इत्यादि की सहभागिता के माध्यम से एक समान पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु तथा पाठ्य सामग्री को अन्तिम रूप देना।
- ख. विशेष पाठशालाओं / पुनर्वास केन्द्रों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में नामांकन सहज बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभाग के साथ समन्वय।
- ग. विशेष पाठशालाओं में नामांकित बच्चों के लिए शिल्प (क्राफ्ट) तथा पूर्व-वोकेशनल प्रशिक्षण मॉड्यूल को अन्तिम रूप देना।
- घ. बाल श्रम परियोजनाओं का निरीक्षण सुनिश्चित करना तथा श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को आवधिक (कम से कम वर्ष में एक बार) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित करना।
- ङ. परियोजना सोसाइटियों द्वारा लेखापरीक्षित खातों और उपयोगिता प्रमाण - पत्रों की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना सोसाइटियों के साथ नियमित बातचीत। राज्य सरकार को वर्ष में दो बार बाल श्रम कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रगति की समीक्षा अवश्य करनी चाहिए।
- च. अभिविन्यास कार्यक्रमों के द्वारा स्वयंसेवकों को संक्षिप्त प्रशिक्षण।
- छ. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएँ प्रदर्शनात्मक परियोजनाएँ हैं, जो कार्यरत बच्चों की सीमित संख्या को आवृत्त करती हैं। अन्य कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को या तो औपचारिक प्रणाली में उनके नामांकन के माध्यम से अथवा किसी अन्य उचित मानी गई विधि के माध्यम से अर्थोपाय ज्ञात करने चाहिए।

वित्तपोषण:

१३. चूंकि परियोजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र में ले लिया गया है, इसलिए संपूर्ण निधीयन केन्द्रीय सरकार (श्रम मंत्रालय) द्वारा किया गया है। परियोजना गतिविधियों की प्रगति के आधार पर संबंधित परियोजना को कोष जारी किया जाता है। वित्तीय वर्ष के लिए कोष को दो समान किश्तों में जारी किया जाएगा। अप्रैल-सितंबर माह के लिए प्रथम किश्त को जारी की जाएगी, यदि इसे कार्यान्वित करना, उस वित्तीय वर्ष में जारी रखना प्रस्तावित होता है। दूसरी किश्त लेखा परीक्षित लेखें, पिछले वित्तीय वर्ष में पहले जारी किए गए अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र और पिछले वित्तीय वर्ष की ३१ मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्धारित संरूप में एक प्रगति प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात जारी की जाएगी।

परियोजना के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना और बजट:

१४. परियोजना के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करने और परियोजना सोसाईटी और विशेष पाठशालाओं के बजट के मॉडल अनुलग्नक च और छ में दिया गया है। परियोजना सोसाईटी को अनुमोदित मॉडल बजट के अनुरूप अवश्य होना चाहिए और या तो परियोजना कर्मियों पर अथवा कल्याण आगतों पर उसके स्वरूप और खर्च के मानकों में कोई भी परिवर्तन अवश्य श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व एवं व्यक्ति अनुमोदन से किया जाना चाहिए। विद्यमान परियोजना के अन्तर्गत बजट का ढाँचा, कर्मियों/स्वयंसेवकों आदि को संलग्न करना उत्तरोत्तर संशोधित ढाँचे के अनुरूप होना चाहिए।

बाल-श्रम के उन्मूलन के लिए दसवीं योजना के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यनीति।

- योजना अवधि के अंत तक खतरनाक व्यवसायों में बाल-श्रम के उन्मूलन के लिए ध्यान-केंद्रित और सुदृढ़ कार्य।
- योजना के दौरान १५० अतिरिक्त जिलों में एनसीएलपी का विस्तार।
- सुनिश्चित करना कि एनसीएलपी में स्पष्टरूप से परिभाषित लक्ष्य के साथ ५ वर्ष का ध्यान-केंद्रित समय ढाँचा हो।
- उन्मूलन को एमएचआरडी के सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ना यह सुनिश्चित करने का प्रयास कि आयू समूह ५ - ८ वर्ष में छोटे बच्चे सीधे पाठशाला से जुड़ें और बड़े बच्चे

पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य-धारा में आएँ। अधिक उम्र के बच्चों को वोकेशलन प्रशिक्षण देने के लिए बड़े हुए प्रयास।

- देश में बाल श्रम प्रकोप वाले क्षेत्रों में गुणवत्ता तथा संख्यां दोनों अर्थों में औपचारिक पाठशाला तंत्र को इस प्रकार सुदृढ़ करना जो बाल श्रम बल और इसके माता-पिता को एक आकर्षक पाठशाला पढ़ाई की प्रणाली प्रदान करे ताकि माता-पिता तथा ऐसे बच्चों दोनों के प्रेरणात्मक स्तर ऊँचे रहें और इन बच्चों को पाठशाला में भेजना एक आकर्षक प्रस्ताव बन जाए।
- सभी बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रभावशाली प्रावधान बनाए जाएँगे।
- बाल-श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि दी गई समायाविध में परियोजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है निगरानी प्रणाली को राज्य सरकार की घनिष्ट सम्बद्धता के साथ आगे सुव्यवस्थित किया जाएगा।
- मुद्रण, लोक संगीत तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निरन्तर जागरूकता पैदा करने के पहलू को समान महत्व दिया जाएगा। सभी स्तरों पर अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तथा सुग्राहीकरण की कार्यशालाओं का अयोजन किया जाएगा।
- बाल श्रम उन्मूलन के काम को राष्ट्र की कार्यसूची में शीर्ष पर रखा जाए तथा एक "मिशन मोड" दिया जाएगा।
- बाल श्रम उन्मूलन के उद्देश्य को एक समयबद्ध तरीके से अन्तिम रूप से प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास की चालू योजनाओं के साथ अभिसरण महत्वपूर्ण होगा।
- एनसीएलपी पाठशालाओं को चलाने में जिला स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों का बड़े-पैमाने पर सम्बद्धता। योजना के दौरान पुनर्वास पाठशालाओं को केवल स्वीकृत तथा प्रतिबद्ध गैर सरकारी संगठनों के माध्यम चलाया जाना प्रोत्साहित करने का प्रयास होगा ताकि सरकारी मशीनरी पाठशालाओं को चलाने के बोझ नहीं से न दबे।

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

